रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092022-239138
CG-DL-E-27092022-239138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944
No. 645] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 726(अ).—केंद्रीय सरकार, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2 के खंड (3) के साथ पठित धारा 68 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दत्तकग्रहण विनियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा यथा विरचित निम्नलिखित दत्तकग्रहण विनियम अधिसूचित करती है, अर्थात्-

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **दत्तकग्रहण विनियम, 2022** है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं– इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) "अधिनियम" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;

(2) "दत्तक समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है, जिसमें संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकृत पदाधिकारी, इसके आगंतुक चिकित्सक या सरकारी अस्पताल का एक चिकित्सा अधिकारी और जिला बालक संरक्षण इकाई का

एक पदधारी समाविष्ट होंगे और बालक देखरेख संस्था का एक प्रतिनिधि, यदि दत्तकग्रहण विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से भिन्न किसी अन्य बालक देखरेख संस्था से किया जाता है, भी शामिल होगा और जिला बालक संरक्षण अधिकारी इस समिति का अध्यक्ष होगा;

(3) "दत्तकग्रहण फीस" से प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट, भावी दत्तक माता-पिता से सीधे, यदि वे भारत में निवास करते हैं, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली फीस अभिप्रेत है;

(4) "जैविक माता-पिता" से ऐसा कोई पुरुष या महिला अभिप्रेत है, जो आनुवंशिक रूप से किसी बालक का पिता या माता है;

(5) "दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक" से अधिनियम की धारा 38 के अधीन सम्यक् जांच करने के पश्चात, **अनुसूची 1** में उपबंधित प्रारूप के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा इस प्रकार घोषित कोई बालक अभिप्रेत है;

(6) "बालक अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें **अनुसूची 2** में उपबंधित प्रपत्र के अनुसार, बालक के जन्म की तारीख और सामाजिक पृष्ठभूमि सहित उसका ब्यौरा अंतर्विष्ट है;

(7) दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए "राज्यों के समूह" से भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथापरिभाषित परिक्षेत्र या क्षेत्र अभिप्रेत है;

(8) "अभिहित पोर्टल" से बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली या कोई अन्य पोर्टल अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर दत्तकग्रहण के कार्यक्रम सुकर बनाने, मार्गदर्शन करने और मॉनिटरी करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है;

(9) "विच्छिन्नता' से दत्तकग्रहण की विधिक प्रक्रिया के पूरा होने से पहले, बालक और दत्तक कुटुम्ब दोनों का स्थानन के पश्चात् एक दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक कुटुम्ब से बालक का अमेल होना अभिप्रेत है;

(10) "विघटन" से जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त होने के पश्चात्, बालक और दत्तक कुटुम्ब, दोनों का एक दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तकग्रहण का विधिक रूप से बातीलीकरण अभिप्रेत है;

(11) "साधारण निवास" से किसी व्यक्ति का कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण आवास अभिप्रेत है;

(12) "हेग दत्तकग्रहण अभिसमय" से बालकों के संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में सहयोग पर हेग अभिसमय (1993) अभिप्रेत है;

(13) "दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे नीचे वर्णित प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात् दत्तकग्रहण में नहीं रखा गया है:

(क) पांच वर्ष से कम आयु का एक सामान्य बालक जिसे अभिनिर्देर्शन के पश्चात् साठ दिनों के भीतर एक निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तकग्रहण के लिए नहीं रखा गया है;

(ख) या पांच वर्ष से अधिक आयु का बालक या उसके सहोदर, जिन्हें अभिनिर्देर्शन के पश्चात् तीस दिनों के भीतर एक निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तकग्रहण में नहीं रखा गया है;

(ग) उपरोक्त खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित बालकों की श्रेणियां, जिन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर दत्तकग्रहण में नहीं रखा गया है, उन्हें आगे सभी भावी दत्तक माता-पिता को खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य सात दिनों की अवधि में दिखाया जाएगा;

(घ) खंड (ग) में उल्लिखित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् बालक को विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के पास पंद्रह दिनों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा;

(ड़) उपरोक्त खंड (क) से (घ) में नियत समय सीमा के पश्चात् दत्तकग्रहण में न रखे गए बालक को दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बालक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

(14) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जिसमें **अनुसूची 7** में उपबंधित रूपविधान के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता का ब्यौरा अंतर्विष्ट होता है, जिसमें उसकी सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति, कौटुम्बिक पृष्ठभूमि, घर

का विवरण और वहाँ का वातावरण तथा स्वास्थ्य की दशा शामिल होगी;

(15) "देश के भीतर दत्तकग्रहण" से भारत में निवास करने वाले भारत के नागरिक द्वारा किसी बालक का दत्तकग्रहण अभिप्रेत है;

(16) **"**चिकित्सा जांच रिपोर्ट" से सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त चिकित्सक द्वारा **अनुसूची 3** में उपबंधित रूपविधान में बालक की स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में दी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है**;**

(17) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" से प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जिसमें बालक को विदेशी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तकग्रहण की अनुमति दी गई है;

(18) दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए "बड़ा बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसकी आयु पांच वर्ष से अधिक है;

(19) "लंबित दत्तकग्रहण" से ऐसे दत्तकग्रहण मामले अभिप्रेत हैं, जिनमें भावी दत्तक माता-पिता पहले से ही दत्तकग्रहण के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं या जिनमें ऐसे विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता समाप्त होने, निलंबन या प्रत्याहरण से पहले किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से बालक के अभिनिर्देशन को स्वीकार कर लिया गया हो;

(20) "दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख" से वह अवस्था अभिप्रेत है जिसमें भावी दत्तक माता-पिता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दत्तकग्रहण का आदेश दिए जाने तक किसी बालक की अस्थायी अभिरक्षा दी जाती है;

(21) "निवासी भारतीय" से भारत में निवास करने वाला भारतीय नागरिक है;

(22) "नियम" से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2022 अभिप्रेत है;

(23) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(24) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(25) "विशेष आवश्यकताओं वाला बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो इन विनियमों की **अनुसूची 18** और **अनुसूची 3** (भाग ङ) में दी गई दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) में यथाउपबंधित किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त है;

(26) "सौतेले माता-पिता" से ऐसे माता-पिता अभिप्रेत हैं जो किसी बालक के पिता या माता से विवाहित है, लेकिन जो उस बालक का जैविक पिता या माता नहीं है;

(27) "सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण" से ऐसी कोई स्थिति अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के बालक के लिए विधिक माता या पिता बन जाता है;

(28) उन शब्दों और पदों के, जो इन उपनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में हैं।

3. दत्तकग्रहण को शासित करने वाले मूलभूत सिद्धांत– निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांत भारत से बालकों को दत्तकग्रहण को शासित करेंगे**,** अर्थात्:**–**

(1) किसी भी दत्तकग्रहण को करते समय बालक के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होंगे;

(2) जहां तक संभव हो, बालक को उनके अपने सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में रखने के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकों द्वारा दत्तकग्रहण के लिए बालक को रखने को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(3) दत्तकग्रहण के लिए सभी आवेदनों को अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा उनकी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

4. दत्तकग्रहण के लिए पात्र बालक - निम्नलिखित बालक दत्तकग्रहण के लिए पात्र होंगे**,** अर्थात्:**–**

(1) कोई भी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित किया गया बालक, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया हो;

(2) धारा 2 के खंड (52) के अधीन परिभाषित किसी रिश्तेदार का बालक; और

(3) पूर्ववर्ती विवाह से पति या पत्नी के बालक, सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पित बालक।

5. भावी दत्तक माता-पिता के लिए पात्रता मानदंड- (1) भावी दत्तक माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, उनके जीवन के लिए कोई खतरनाक चिकित्सा स्थिति नहीं होगी और उन्हें किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में दोषी न ठहराया गया हो या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपी नहीं होना चाहिए।

(2) कोई भी भावी दत्तक माता-पिता**,** उनकी वैवाहिक स्थिति और उनका जैविक पुत्र या पुत्री होने या न होने के बावजूद**,** निम्नलिखित के अधीन बालक का दत्तकग्रहण कर सकते हैं**,** अर्थात्:–

(क) विवाहित दंपति के मामले में, दत्तकग्रहण के लिए दोनों पति-पत्नी की सहमति आवश्यक होगी;

(ख) कोई एकल महिला किसी भी लिंग के बालक का दत्तकग्रहण कर सकती है; और

(ग) कोई एकल पुरुष बालिका को दत्तकग्रहण का पात्र नहीं होगा।

(3) किसी दंपत्ति को, रिश्तेदार या सौतेले माता-पिता के दत्तकग्रहण के मामलों के सिवाय, कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक संबंध न होने तक कोई बालक का दत्तकग्रहण नहीं दिया जाएगा।

(4) भावी दत्तक माता-पिता की आयु, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को, विभिन्न आयु समूहों के बालकों के लिए भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता तय करने के लिए निम्नानुसार गणना की जाएगी:

बालक की आयु	भावी दत्तक माता-पिता (दंपति) की अधिकतम संयुक्त आयु	एकल भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतम आयु
2 वर्ष तक	85 वर्ष	40 वर्ष
2 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक	90 वर्ष	45 वर्ष
4 वर्ष से अधिक और 8 वर्ष तक	100 वर्ष	50 वर्ष
8 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक	110 वर्ष	वर्ष

परंतु बालक और भावी दत्तक माता-पिता में से किसी के बीच न्यूनतम आयु का अंतर पच्चीस वर्ष से कम का *नहीं होगा।*

(5) दंपत्ति के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता की संयुक्त आयु की गणना की जाएगी।

(6) रिश्तेदार दत्तकग्रहण और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता-पिता के लिए आयु मानदंड लागू नहीं होंगे।

(7) दो या दो से अधिक बालकों वाले दंपति के लिए विनियम 2 के खंड (25) में निर्दिष्ट केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों, और विनियम 2 के खंड (13) में उल्लिखित रखने में मुश्किल वाले बालकों, यदि वे रिश्तेदार या सौतेले बालक न हों, के लिए ही विचार किया जाएगा।

(8) भावी दत्तक माता-पिता को तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट को फिर से सत्यापित करना होगा।

(9) भावी दत्तक माता-पिता, जिन्हें तीन वर्षों के भीतर एक भी अभिनिर्देशन प्राप्त नहीं हुआ है, की ज्येष्ठता की गणना उनके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने एक सौ दस वर्ष के समग्र वर्ष पूरे कर लिए हैं।

अध्याय-2

दत्तकग्रहण के लिए बालकों से संबंधित प्रक्रिया

6. अनाथ या परित्यक्त बालक से संबंधित प्रक्रिया- (1) अनाथ या परित्यक्त बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक करने की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध अधिनियम की धारा 31, 32, 36, खंड (क) से (ग) और धारा 37 की उप-धारा (1) के और खंड (ज), धारा 38 और धारा 40, के साथ ही इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रासंगिक उपबंधों के अधीन निर्धारित किए गए हैं।

(2) बाल कल्याण समिति की भागीदारी के बिना सीधे किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बालक देखरेख संस्था द्वारा प्राप्त किसी अनाथ या परित्यक्त बालक को नियमों के प्रारूप 17 में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट सहित चौबीस घंटे (यात्रा के समय को छोड़कर) के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसी अवधि के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में जमा की जाएगी।

(3) यदि कोई बालक उपचाराधीन है या बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, तो उक्त समय-सीमा के भीतर बालक से संबंधित दस्तावेज ही बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे और बाल कल्याण समिति बालक से मुलाकात करेगी।

(4) यदि जांच लंबित है, तो बाल कल्याण समिति, अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (ग) और उक्त नियमों के नियम 19 के उप-नियम (26) के उपबंधों के अनुसार नियमों के प्ररूप 18 में किसी बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, जैसा भी मामला हो, को बालक की अल्पकालिक व्यवस्था या अंतरिम देखभाल के लिए आदेश जारी करेगी।

(5) बाल कल्याण समिति के आदेश से बालक को प्रवेश देने पर, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बाल कल्याण समिति के आदेश प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर उनका विवरण और फोटो निर्धारित प्रारूप में अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे, और ऐसी अभिकरण द्वारा अभिहित पोर्टल पर प्रत्येक छह महीने में बालक की फोटो और प्रोफाइल अपडेट की जाएगी।

(6) बाल कल्याण समिति के आदेश के आधार पर बालक देखरेख संस्थानों में भर्ती अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बड़े बालकों के मामले में, ऐसे बालकों का विवरण अभिहित पोर्टल पर संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा दर्ज किया जाएगा।

(7) जैविक माता-पिता या विधिक अभिभावकों का पता लगाने के लिए, बाल कल्याण समिति, जोखिम कारकों को ध्यान में रखकर, और बालक के सर्वोत्तम हित में, जिला बालक संरक्षण इकाई को बालक के पाए जाने के स्थान में व्यापक प्रसार वाले एक राष्ट्रीय समाचारपत्र में बालक के पाए जाने के तीन दिनों के भीतर अनाथ या परित्यक्त बालक के विवरण और चित्र का विज्ञापन करने और साथ ही बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा ट्रैक चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया में डेटा की प्रविष्टि भी सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकती है।

(8) यदि बालक दूसरे राज्य से है, तो स्थानीय भाषा में बालक के ज्ञात मूल स्थान पर प्रकाशन किया जाएगा और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया में जानकारी की प्रविष्टि सहित ऐसे प्रकाशन को संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा सुगम बनाया जाएगा।

(9) यदि उप-विनियम (7) से उप-विनियम (8) में निर्दिष्ट प्रयासों के बावजूद जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो जिला बालक संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(10) बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिन पूरे होने पर तुरंत बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट में बालक द्वारा अपने अल्पकालीन प्रवास के दौरान प्रकट की गई कोई भी जानकारी और बालक का दावा करने के लिए संपर्क करने वाले व्यक्तियों, यदि कोई हों, का विवरण शामिल होगा।

(11) यदि दो वर्ष से कम आयु के अनाथ या परित्यक्त बालक के मामले में दो महीने के भीतर और दो वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में चार महीने के भीतर जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षकों का पता न लगने की स्थानीय

पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो माता-पिता को पता न लगाने योग्य समझा जाएगा।

(12) बाल कल्याण समिति, यह पता लगाने के लिए चाइल्ड पोर्टल या खोया पाया का उपयोग करेगी कि क्या परित्यक्त बालक या अनाथ बालक लापता बालक है और यदि बालक की पहचान स्थापित हो जाती है, तो उन्हें जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षकों को सौंप दिया जाएगा।

(13) बाल कल्याण समिति, क्रमश: दो वर्ष तक के या दो वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में, बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तारीख से दो या चार महीने समाप्त होने के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर, अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अनुसार कार्रवाई करने के पश्चात्, बाल कल्याण समिति के किन्हीं तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश जारी करेगी, जिसमें परित्यक्त् या अनाथ बालक को **अनुसूची 1** में दिए गए प्रारूप में दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाएगा।

(14) बाल कल्याण समिति द्वारा धारा 36 के अधीन जांच और धारा 38 के अधीन एक परित्यक्त या अनाथ बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने का आदेश उस जिले में पूरा किया जाएगा जहां बालक प्रारम्भ में पाया गया था, या उस जिले में जहां बाल कल्याण समिति के आदेश के अधीन बालक को स्थानांतरित किया गया है।

(15) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा किसी अनाथ या परित्यक्त बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट क्रमशः **अनुसूची 2** और **अनुसूची 3** में दिए गए प्रारूप में तैयार की जाएगी और बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से अधिकतम दस दिनों के भीतर अभिहित पोर्टल पर डाली जाएगी या जब भी बालक में उल्लेखनीय शारीरिक परिवर्तन देखे जाएं अभिहित पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा।

(16) बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के अलावा अंग्रेजी में होगी।

(17) जिला बालक संरक्षण इकाई, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट या कोई अन्य आवश्यक जानकारी अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने में सुविधा प्रदान करेगी, यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(18) बाल कल्याण समिति द्वारा मानसिक बीमारी या बौद्धिक अक्षमता वाले माता-पिता के बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा उसके संबंध में स्थापित कानूनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से माता-पिता की मानसिक दिव्यांगता को दर्शाने वाले प्रमाणपत्र के आधार पर की जाएगी।

(19) सहोदर या जुड़वां बालकों के मामले में, बाल कल्याण समिति बालकों की स्थिति को सहोदर या जुड़वां के रूप में निर्दिष्ट करेगी और बालकों को एक ही क्रम में विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

7. अभ्यर्पित बालक से संबंधित प्रक्रिया- (1) अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन किसी बालक को अभ्यर्पित करने के इच्छुक माता-पिता या संरक्षक, नियम के प्ररूप 23 में यथाउपबंधित बाल कल्याण समिति को आवेदन करेंगे।

(2) जो माता-पिता या संरक्षक निरक्षरता या किसी अन्य कारण से आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए बाल कल्याण समिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए विधिक सहायता काउंसेल के माध्यम से ऐसी सुविधा प्रदान करेगी।

(3) अभ्यर्पण विलेख बालक को प्रस्तुत करने के दिन निष्पादित किया जाएगा जैसा कि **अनुसूची 5** में उपबंध किया गया है।

(4) यदि अविवाहित माता सहित कोई महिला जैविक माता-पिता अधिनियम की धारा 35 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से बालक का अभ्यर्पण करने की इच्छुक है, तो अधिनियम की धारा 35 के अधीन परिकल्पना के अनुसार अभ्यर्पण विलेख बाल कल्याण समिति की किसी एक महिला सदस्य की उपस्थिति में निष्पादित किया जा सकता है।

(5) यदि विवाहित दंपति से पैदा हुए बालक का अभ्यर्पण किया जाना है, तो माता-पिता दोनों अभ्यर्पण विलेख पर

हस्ताक्षर करेंगे और यदि उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो मृत माता-पिता के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(6) यदि एक विवाहित दंपति से पैदा हुए बालक को एक जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पित किया जाना है और दूसरे माता-पिता के ठिकाने का पता नहीं है, तो बालक को परित्यक्त बालक माना जाएगा और इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार आगे की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

(7) विवाह के बिना पैदा हुए बालक के मामले में, केवल माता ही बालक को अभ्यर्पित कर सकती है और यदि माता अवयस्क है और संरक्षक या अवयस्क का परिवार अधिनियम की धारा 35 में दी गई प्रक्रिया के अधीन बालक को अभ्यर्पित करने का इच्छुक है, तो साक्षी के रूप में साथ आने वाले वयस्क द्वारा अभ्यर्पण विलेख पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(8) माता-पिता या विधिक संरक्षक के सिवाय कोई और बालक को अभ्यर्पित नहीं कर सकता। यदि माता-पिता या विधिक संरक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पण किया जाता है तो बालक को परित्यक्त बालक माना जाएगा और विनियम 6 के अनुसार आगे की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा:

परंतु कि कोई अविवाहित माता या बालक को अभ्यर्पित करने वाले किसी अवयस्क सहित एक महिला जैविक माता अपनी पहचान प्रकट करने की इच्छुक नहीं है, तो ऐसे बालक को परित्यक्त समझा जाएगा।

(9) बाल कल्याण समिति, यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण विलेख की एक प्रति अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता या व्यक्ति को दी जाए।

(10) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बालक को प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर अभ्यर्पित बालक का विवरण उसके फोटो के साथ अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(11) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, जिला बालक संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति द्वारा माता-पिता का बालक को धारित रखने की संभावना का पता लगाने के प्रयास किए जाएंगे, जिसमें परामर्श या उन्हें राज्य सरकार द्वारा चिन्हित परामर्श केंद्र से जोड़ना, उन्हें धारित रखने के लिए प्रोत्साहित करना, और यह समझाना शामिल है कि जैविक माता-पिता द्वारा अभ्यर्पण को हतोत्साहित करने के लिए अभ्यर्पण विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्पण की प्रक्रिया अप्रतिसंहरणीय हो जाएगी।

(12) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता या विधिक संरक्षक को इस बात से अवगत कराया जाए कि वे अभ्यर्पण करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर ही अभ्यर्पित बालक को पुनःप्राप्त कर सकते हैं।

(13) प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और अभिकरणों द्वारा अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता और अभ्यर्पण करने वाले बालक की गोपनीयता पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

(14) अभ्यर्पित बालक के मामले में कोई सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

(15) यदि अभ्यर्पण करने वाले जैविक माता-पिता ने पुनर्विचार अवधि के दौरान बालक को वापस लेने का दावा नहीं किया है, तो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा बाल कल्याण समिति को अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन पूरे होने पर इसकी सूचना दी जाएगी।

(16) जैविक माता-पिता के लिए पुनर्विचार की अवधि अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट है और अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को कोई और नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

(17) बाल कल्याण समिति अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिए कम से कम तीन सदस्यों के हस्ताक्षर से **अनुसूची 1** के प्रारूप में एक आदेश जारी करेगी।

(18) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा अभ्यर्पित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से दस दिनों के भीतर, इन विनियमों की क्रमशः **अनुसूची 2** और **अनुसूची 3** के प्रारूप में अभिहित पोर्टल पर डाली जाएगी।

(19) बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट अंग्रेजी में (संबंधित क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा के अलावा) उपलब्ध कराई जाएगी और जिला बालक संरक्षण इकाई अभिहित पोर्टल पर बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट

अपलोड करने में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को सहयोग प्रदान करेगी, यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को किसी तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़े।

(20) सभी परिस्थितियों में जैविक माता-पिता से संबंधित सभी दस्तावेजों के मामलों में सख्त गोपनीयता बनाए रखी जाएगी यदि अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता ने इसे प्रकट करने की इच्छा व्यक्त नहीं की हो:

परंतु अभ्यर्पण विलेख तक पहुंच केवल बालक के पास होगी।

(21) बाल कल्याण समिति के समक्ष किसी बालक का अभ्यर्पण बंद कमरे में होगा।

(22) सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए जैविक माता-पिता द्वारा बालक या बालकों का अभ्यर्पण **अनुसूची 20** में दिए गए प्रारूप में बाल कल्याण समिति के समक्ष होगा।

8. दत्तकग्रहण के लिए बालक की उपलब्धता– (1) जैसे ही ही बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाता है, ऐसे बालक को उन भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण की अनुमति दी जाएगी जो निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक हैं।

(क) पांच वर्ष से कम आयु के सामान्य बालक को निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को साठ दिनों के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) पांच वर्ष से अधिक आयु के सामान्य बालक या भाई-बहनों को तीस दिनों के लिए निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को निर्दिष्ट किया जाएगा;

(ग) उपरोक्त खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित श्रेणियों के बालक, जिनका विहित समय सीमा में दत्तकग्रहण नहीं हुआ है, उन्हें निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को उनकी वरिष्ठता पर विचार किए बिना सात दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा; और

(घ) इसके पश्चात्, उपरोक्त खंड (क) से खंड (ग) में उल्लिखित श्रेणियों के बालकों को पंद्रह दिनों के लिए विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) विशेष आवश्यकता वाले बालक या बालकों से संबंधित प्रक्रिया:- यदि बालक में चिकित्सा जांच रिपोर्ट की **अनुसूची 28** और **अनुसूची 3 (भाग ङ)** में सूचीबद्ध कोई दिव्यांगता है, तो ऐसे बालक को निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को पंद्रह दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद सभी श्रेणियों के भावी दत्तक माता-पिता को उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) विशेष आवश्यकताओं वाले बालकसे संबंधित प्रक्रिया:- जहां तक बालकों को रखने में कठिनाई का संबंध है, ऐसे बालकों को विनियम 2 के उप-विनियम (13) के अनुसार दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि समय सीमा की गणना उस तारीख से की जाएगी जब बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिए जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

9. दत्तकग्रहण अभिनिर्देशन में प्राथमिकता- (1) निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को पहचान दस्तावेजों के प्रमाण जैसे पति या पत्नी के आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाणपत्र या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के आधार पर दो राज्यों के चयन की अनुमति दी जाएगी, या वे अपनी पहचान के अनुसार राज्यों के किसी समूह का चयन कर सकते हैं।

(2) सभी भावी दत्तक माता-पिता यह सूचित करने में सक्षम होंगे कि क्या वे विशिष्ट श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं वाले बालक का दत्तकग्रहण करना चाहते हैं और "रखने में कठिनाई वाले बालक" श्रेणी से किसी बालक को आरक्षित करने में सक्षम होंगे।

(3) जब निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता तीन अभिनिर्देशन में से एक भी बालक को आरक्षित नहीं करते हैं, तो ऐसे माता-पिता को एक वर्ष की अवधि के लिए वर्जित कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात् वे नए रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को भी एक वर्ष की अवधि के लिए वर्जित कर दिया जाएगा यदि वे दो अभिनिर्देशन में से किसी बालक को आरक्षित नहीं करते हैं।

(4) यदि दत्तक माता-पिता विच्छिन्न या विघटन का कारण पाए जाते हैं, तो उन्हें फिर से दत्तकग्रहण से वर्जित कर दिया जाएगा।

अध्याय-3

निवासी भारतीयों द्वारा दत्तकग्रहण की प्रक्रिया

10. भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन- (1) यदि भारतीय भावी दत्तक माता-पिता, अनाथ या परित्यकृत या अभ्यर्पित बालक का दत्तकग्रहण करने के इच्छुक हैं, तो वे इसके लिए **अनुसूची 6** में दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके तीस दिनों के भीतर स्वयं को भावी दत्तक माता-पिता के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अभिहित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

(2) भावी दत्तक माता-पिता को उनकी पहचान के अनुसार दो राज्य के विकल्पों की अनुमति होगी या वे अपनी पहचान के अनुसार राज्यों के किसी समूह का चयन कर सकते हैं।

(3) अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण उनके द्वारा चुने गए राज्य या राज्यों की सभी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों में मानित रजिस्ट्रीकरण होगा।

(4) भावी दत्तक माता-पिता को अपना रजिस्ट्रीकरण नंबर पावती पर्ची से प्राप्त होगा, जिसका उपयोग उनके आवेदन की प्रगति को देखने के लिए किया जा सकता है।

(5) **अनुसूची 6** में यथा उपबंधित आवेदन पत्र को अभिहित पोर्टल पर अपलोड किए जाने के तुरंत पश्चात् रजिस्ट्रीकरण पूरा किया जाएगा और भावी दत्तक माता-पिता की पुष्टि की जाएगी।

(6) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, भावी दत्तक माता-पिता गृह अध्ययन कराने के लिए अपने निवास के निकट किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई में आवेदन करेंगे।

(7) भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट चयनित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता या जिला बालक संरक्षण इकाई या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के पैनलबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से तैयार की जाएगी, जो भावी दत्तक माता-पिता को दत्तक-पूर्व परामर्श प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

(8) गृह अध्ययन रिपोर्ट **अनुसूची 7** में दिए गए प्रारूप में अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर पूरी की जाएगी और उसके तुरंत पश्चात् भावी दत्तक माता-पिता के साथ साझा की जाएगी।

(9) गृह अध्ययन रिपोर्ट को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा गृह अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने की तारीख से तीन दिनों की अवधि के भीतर अभिहित पोर्टल पर पोस्ट किया जाएगा।

(10) गृह अध्ययन रिपोर्ट तीन वर्ष के लिए वैध रहेगी और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा देश में कहीं से भी बालक को दत्तकग्रहण का आधार होगी।

(11) जिला बालक संरक्षण इकाई भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण, उनके दस्तावेजों को अपलोड करने और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों के सामने आने वाली तकनीकी कठिनाइयों को दूर करने की सुविधा प्रदान करेगी।

(12) गृह अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने के पश्चात् भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक का दत्तकग्रहण करना एक उपयुक्त बालक की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

11. अभिहित पोर्टल के माध्यम से विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से भावी दत्तक माता-पिता को किसी बालक का अभिनिर्देशन - (1) बालक के अभिनिर्देशन के लिए भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के पूरा होने की तारीख से होगी।

(2) ज्येष्ठता के आधार पर, भावी दत्तक माता-पिता को बालकों की उपलब्धता के अधीन अभिहित पोर्टल के माध्यम से दो लगातार अभिनिर्देशन के बीच एक महीने के अंतराल के साथ अधिकतम तीन अभिनिर्देशन भेजे जाएंगे, जिसमें एक या अधिक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों से उनकी पसंद की श्रेणी, यदि कोई हो, के अनुसार जिसमें, उनके फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट शामिल होगी।

(3) अभिहित पोर्टल पर बालक या बालकों की विवरणिका देखने के पश्चात्, भावी दत्तक माता-पिता बालक या बालकों को भावी दत्तकग्रहण के लिए अड़तालीस घंटे की अवधि के भीतर आरक्षित कर सकते हैं और अनारक्षित बालक या बालकों को अभिहित पोर्टल द्वारा प्रतीक्षा सूची में अन्य भावी दत्तक माता-पिता के लिए जारी किया जाएगा।

(4) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण विनियम 2 के उप-विनियम (2) में यथापरिभाषित एक दत्तकग्रहण समिति द्वारा भावी दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु, मिलान करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता से साक्षात्कार तय करने के लिए अभिहित पोर्टल के माध्यम से भावी दत्तक माता-पिता का विवरण प्राप्त करेगी और दत्तकग्रहण समिति **अनुसूची 27** में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगी।

(5) किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से दत्तकग्रहण के मामले में अध्यक्ष और अन्य सदस्य दत्तकग्रहण समिति की गणपूर्ति करेंगे और बालक देखरेख संस्था से दत्तकग्रहण के मामले में समिति में विनियम 2 के उप-विनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट समिति के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे।

(6) दत्तकग्रहण समिति भावी दत्तक माता-पिता के लिए यथा नियत और विनियमों की **अनुसूची 9 (भाग 1)** में सूचीबद्ध अपेक्षित दस्तावेजों की जांच करेगी।

(7) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक की एक बैठक आयोजित करेगी।

(8) मिलान करते समय, संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का सामाजिक कार्यकर्ता भावी दत्तक माता-पिता को बालक का ध्यान रखने के साथ ही बड़े बालक या बालकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी आग्रह करेगा।

(9) मिलान करने की संपूर्ण प्रक्रिया बालक को आरक्षित करने की तारीख से तीस दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

(10) भावी दत्तक माता-पिता बालक के मिलान के संबंध में अपनी शिकायतें, यदि कोई हों, जिला बालक संरक्षण इकाई को बताएँगे।

(11) बालक को स्वीकार करते समय, भावी दत्तक माता-पिता बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट, जिसे विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के सामाजिक कार्यकर्ता या मुख्य कार्यकारी की उपस्थिति में अभिहित पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा, पर हस्ताक्षर करेंगे और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्वीकृति को अभिहित पोर्टल पर रिकॉर्ड करेगा।

(12) यदि दत्तकग्रहण समिति द्वारा भावी दत्तक माता-पिता को बालक के लिए नहीं चुना जाता है तो भावी दत्तक माता-पिता को न चुने जाने का कारण अभिहित पोर्टल पर रिकॉर्ड किया जाएगा।

(13) यदि जांच के पश्चात् अस्वीकृति के आधार प्रणालीगत त्रुटि के कारण या गैर-न्यायसंगत कारणों से पाए जाते हैं, तो भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता को कायम रखा जाएगा।

(14) यदि भावी दत्तक माता-पिता आरक्षित बालक को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भावी दत्तक माता-पिता को उस तारीख को ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा, जो ज्येष्ठता के देय होने पर एक नया अवसर प्राप्त कर सकते हैं और पश्चात् के अवसरों में उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(15) उप-विनियम (12) में निर्दिष्ट सभी मामलों में, भावी माता-पिता के पास अस्वीकार करने का कारण अभिहित पोर्टल पर स्पष्ट रूप से बताना होगा।

(16) भावी दत्तक माता-पिता का रजिस्ट्रीकरण विनियम 5 के उप-विनियम (4) के अनुसार अधिकतम संयुक्त आयु यानी एकल के लिए पचपन वर्ष और युगल के लिए एक सौ दस वर्ष से अधिक आयु हो जाने, और प्रत्येक तीन वर्षों में गृह अध्ययन रिपोर्ट के पुनर्विधिमान्यकरण के अध्यधीन जारी रहेगा।

(17) भावी दत्तक माता-पिता बालक को दत्तकग्रहण के लिए अपनी स्वीकृति देने से पहले अपनी पसंद के चिकित्सक द्वारा बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट की समीक्षा करवा सकते हैं।

12. दत्तक-पूर्व पोषण देख रेख - (1) बालक को मिलान की तारीख से दस दिनों के भीतर, भावी दत्तक माता-पिता द्वारा **अनुसूची 8** में उपबंधित प्रारूप में दत्तक-पूर्व पोषण देख रेख वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् दत्तक-पूर्व पोषण देख रेख में लिया जाएगा।

(2) भावी दत्तक माता-पिता विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को **अनुसूची 9** में यथा उपबंधित मूल दस्तावेज या मूल दस्तावेजों की नोटरीकृत या स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करेंगे।

13. दत्तकग्रहण आदेश- (1) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता-पिता से बालक के मिलान की तारीख से दस दिनों के भीतर जिला बालक संरक्षण इकाई, जहां बालक स्थित है, के माध्यम से **अनुसूची 9** में यथा उपबंधित सुसंगत दस्तावेजों के साथ जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फ़ाइल करेगी।

(2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में **अनुसूची 28** में दिए गए प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(3) यदि बालक बालक देखरेख संस्था से है, जो एक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण नहीं है और दूसरे जिले में स्थित है, तो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन फ़ाइल करेगी जहां बालक स्थित है और ऐसे मामले में, बालक देखरेख संस्था विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ एक सह-आवेदक होगा और बालक देखरेख संस्था संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(4) सहोदर या जुड़वां बालकों के मामले में, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के पास एकल आवेदन फ़ाइल करेगी।

(5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण के आवेदन में किसी को विपक्षी या प्रतिवादी नहीं बनाएगी क्योंकि दत्तकग्रहण का मामला गैर-प्रतिकूल प्रकृति का है।

(6) जिला मजिस्ट्रेट दत्तकग्रहण की कार्यवाही बंद कमरे में आयोजित करेगा और मामले को अतिशीघ्र निपटाएगा, जो धारा 61 की उप-धारा (2) के अधीन यथाउपबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण आवेदन फ़ाइल करने की तारीख से दो महीने से अधिक का नहीं होगा।

(7) दत्तकग्रहण के आदेश में दत्तक माता-पिता को, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उनकी मनो-सामाजिक विवरणिका और वित्तीय स्थिति का गृह अध्ययन रिपोर्ट और अन्य सहायक दस्तावेजों से पहले ही पता लगाया जा चुका है, बालक के नाम पर कोई बांड निष्पादित करने या निवेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

(8) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण के आदेश की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी और इसे दस दिनों के भीतर भावी दत्तक माता-पिता को ई-मेल के माध्यम से अग्रेषित करेगी और इसे अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड करेगी जिसे भावी दत्तक माता-पिता द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

(9) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण के आदेश जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर बालक का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकरण को आवेदन करेगी, जिसमें दत्तक माता-पिता का नाम माता-पिता के रूप में होगा, और जन्म की तारीख को दत्तकग्रहण आदेश में दर्ज किया जाएगा और जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर इसे जारी किया जाएगा।

(10) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण **अनुसूची 23** में यथा उपबंधित आवेदन फ़ाइल करते समय जिला मजिस्ट्रेट को एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगी।

(11) यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता नवीनीकृत नहीं की गई है या जल्द ही नवीनीकरण की संभावना नहीं है, तो संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई इसकी जांच पूरी करने के पश्चात् सीधे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगी।

14. दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की प्रगति का अनुवर्तन- (1) गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वाली विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, भावी दत्तक माता-पिता के साथ दत्तक-पूर्व पोषण स्थापन की तारीख से दो वर्ष के लिए छमाही आधार पर **अनुसूची 12** में यथा उपबंधित प्रारूप में दत्तक-ग्रहण पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करेगी और ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के दस दिनों के भीतर बालक के फोटो के साथ अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(2) दत्तक माता-पिता के स्थानांतरित होने की स्थिति में, वे उस अभिकरण को सूचित करेंगे जिसने उनका गृह अध्ययन किया है और जिस जिले में वे स्थानांतरित होते हैं, उस जिले की जिला बालक संरक्षण इकाई को सूचित करेंगे।

(3) भावी दत्तक माता-पिता के वर्तमान निवास के जिले की जिला बालक संरक्षण इकाई, दत्तकग्रहण के पश्चात् की अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करेगी और ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के दस दिनों के भीतर अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी:

परंतु दत्तकग्रहण किए गए बालक की पहली अनुवर्तन रिपोर्ट दत्तक-पूर्व पोषण देख रेख *की तारीख से तीन महीने के भीतर की जाएगी।*

(4) बालक और दत्तक परिवार दोनों के एक दूसरे से समायोजित न होने की स्थिति में, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई ऐसे दत्तक माता-पिता और दत्तकों के लिए राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और जिला मजिस्ट्रेट को उचित सूचना के साथ सात दिनों के भीतर आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करेगी या उन्हें जिले के भीतर उपलब्ध परामर्श सेवाओं से संबद्ध करेगी:

परंतु दत्तकग्रहण के पश्चात् *लगातार तीन अनुवर्ती कार्रवाइयों के गैर-अनुपालन के मामले में जिला बालक संरक्षण इकाई सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करेगी और बाल कल्याण समिति को आगे की उपयुक्त कार्रवाई के लिए सूचित करेगी, जो वह उचित समझे।*

(5) **विच्छिन्नता की प्रक्रिया –** देश के भीतर दत्तकग्रहण में विच्छिन्नता के मामले में -

(क) दत्तक-ग्रहण - पूर्व पोषण देख रेख के चरण पर दत्तकग्रहण आवेदन फ़ाइल करने से पहले, बालक को जिला बालक संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को सूचना सहित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में वापस लाया जाएगा;

(ख) दत्तकग्रहण पूर्व पोषण देख रेख के चरण पर जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फ़ाइल करने के पश्चात्, बालक को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा और बाल कल्याण समिति की पूर्व अनुमति से जिला बालक संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को सूचित करते हुए दत्तकग्रहण का आवेदन वापस ले लिया जाएगा और तदनुसार विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की स्थिति को अद्यतन किया जाएगा; और

(ग) जहां बालक को दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के दौरान दूसरे राज्य में ले जाया गया है, बालक के स्थानांतरण को राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा उस राज्य, जहां बालक वर्तमान में रह रहा है और मूल राज्य में समन्वयित किया जाएगा।

(6) **विघटन की प्रक्रिया-** देश के भीतर दत्तकग्रहण में विघटन की स्थिति में-

(क) विघटन की स्थिति में, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण आदेश को रद्द करने के लिए जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन फ़ाइल किया जाएगा;

(ख) विच्छिन्नता या विघटन से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थानीय विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा दो परामर्श सत्र पूरा होने तक कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(ग) विघटन के आदेश के पश्चात्, बालक दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त हो जाएगा; और

(घ) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई तीन दिनों के भीतर अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त बालक की स्थिति को अद्यतन करेगी।

(7) जब भारतीय दत्तक माता-पिता बालक के साथ विदेश में जाते हैं, तो दत्तकग्रहण पूर्व पोषण देख रेख की तारीख से दो वर्ष के भीतर, हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के मामले में आगमन के देश में संबंधित भारतीय राजनयिक मिशनों और हेग देशों के मामले में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों या केंद्रीय प्राधिकरणों को, दत्तक माता-पिता द्वारा नए देश में उनके पूर्ण संपर्क विवरण सहित शेष अनुवर्तन रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए लिखित संचार के माध्यम से कम से कम पंद्रह दिन पहले सूचित किया जाएगा।

(8) दत्तकग्रहण के बाद बकाया अनुवर्ती कार्रवाई कराने का दायित्व दत्तक माता-पिता का है और उन्हें वृत्तिक भार स्वयं वहन करने होंगे, और साथ ही दत्तक माता-पिता प्राधिकरण को इस आशय का एक वचन देंगे।

अध्याय-4

अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक और विदेशी भावी दत्तकग्रहण माता-पिता के लिए दत्तकग्रहण प्रक्रिया

15. अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों को निवासी भारतीय के समान माना जाए - अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक को या विदेशी भावी माता-पिता को अनाथ, परित्यक्त या समर्पित किए बालकों की दत्तकग्रहण की प्राथमिकता के मामले में भारत में रहने वाले भारतीय के समान माना जाएगा।

16. अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता के लिए रजिस्ट्रीकरण और गृह अध्ययन रिपोर्ट - (1) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय हस्ताक्षरित देश में रहने वाला कोई भी अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या विदेशी भावी दत्तक माता-पिता और जो किसी भारतीय बालक को दत्तकग्रहण करने के इच्छुक हों, गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए और अभिहित पोर्टल पर उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए, जैसा भी मामला हो, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

(2) यदि उनके निवास के देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण नहीं है तो अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, भावी माता-पिता, इस उद्देश्य के लिए उस देश में सरकारी विभाग या संबंधित भारतीय राजनायिक मिशन से संपर्क करेंगे।

(3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग या संबंधित भारतीय राजनायिक मिशन, जैसा भी मामला हो, बालक दत्तकग्रहण के लिए भावी माता-पिता की पात्रता सुनिश्चित करने पर उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी कराएंगे और **अनुसूची-6** में यथा उपबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अभिहित पोर्टल पर अपना आवेदन रजिस्ट्रीकृत करें।

(4) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता अभिहित पोर्टल पर उनके रजिस्ट्रीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के अपलोड करने की तारीख से गणना की जाएगी।

(5) इस अध्याय में निर्दिष्ट गृह अध्ययन रिपोर्ट और भावी माता-पिता के अन्य दस्तावेजों की प्राधिकरण में जांच उनकी योग्यता और उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए की जाएगी।

(6) दो लगातार अभिनिर्देशन के मध्य एक महीने के अंतराल के साथ एक या दो अभिनिर्देशन में दो बालकों की विवरणिका को अभिहित पोर्टल के माध्यम से प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग या भारतीय राजनायिक मिशन, जैसा भी मामला हो, को अग्रेषित किया जाएगा, जिसे स्थानीय नियमों के अनुसार इस तरह के विवरणिका को संबंधित भावी माता-पिता को अग्रेषित कर सकते हैं:

परंतु अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता के मामले में अभिनिर्देशन की संख्या निवासी भारतीयों के समान होगी।

(7) भावी माता-पिता 96 घंटे के भीतर निर्दिष्ट किए गए बालकों को आरक्षित कर सकते हैं।

(8) यदि भावी माता-पिता 96 घंटे के भीतर बालक को आरक्षित करने में असफल रहते हैं तो बालक की विवरणिका स्वत: वापस हो जाएगी।

(9) भावी माता-पिता की पंसद उन्हें अभिनिर्देशन भेजते समय ध्यान में रखा जाएगा।

(10) अगर भावी माता-पिता दर्शाए गए बालक को आरक्षित कर लेते हैं तो वे आरक्षण की तिथि से 30 दिन के

भीतर बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके अभिनिर्देशन स्वीकृत करेंगे।

(11) बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट और बालक की मूल फोटो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा विशिष्टिकृत प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित भारतीय राजनायिक मिशन को भेजा जाएगा।

(12) यदि भावी माता-पिता 30 दिन के भीतर आरक्षित बालक को स्वीकार करने में असफल रहते हैं तो अभिहित पोर्टल से बालक की विवरणिका हट जाएगी और भावी माता-पिता की ज्येष्ठता को सूची के अंत में डाल दिया जाएगा और उन्हें बालक को आरक्षित और स्वीकृत करने का दूसरा मौका उनकी बारी आने पर दिया जाएगा, यदि उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट मान्य रहती है।

(13) यदि भावी माता-पिता आरक्षण के पश्चात् बालक से मिलने के लिए विशिष्टिकृत दत्तकग्रहण अभिकरण जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं; उन्हें विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा उनके पसंद के चिकित्सक द्वारा बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने में मदद की जा सकती है।

(14) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण भावी माता-पिता के मूल दस्तावेजों को, जैसा कि **अनुसूची-9** में यथा विनिर्दिष्ट है, को उनकी जांच के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित करेगी।

(15) ग्रह अध्ययन रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले सभी दस्तावेजों को नोटरीकृत किया जाएगा और नोटरी के हस्ताक्षर हेग दत्तकग्रहण सम्मेलन के अनुसमर्थित देशों के मामले में प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए जाने हैं, हालांकि भारत से उत्पन्न होने वाले दस्तावेज स्वत: प्रमाणित होंगे।

(16) यदि दस्तावेज़ अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो मूल के साथ अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए, जो सत्यापन के उद्देश्य से भावी दत्तक माता-पिता के निवास के देश में अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित हो।

17. **प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाणपत्र और दत्तकग्रहण पूर्व पोषण देखरेख –**

1) प्राधिकरण, जहां भी लागू हो, हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश के भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर **अनुसूची 10** में उपबंधित प्रारूप में प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में **अनापत्ति** प्रमाणपत्र जारी करेगा और **अनापत्ति** प्रमाणपत्र अभिहित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सृजित किया जाएगा।

2) भावी दत्तक माता-पिता **अनुसूची 8** में उपबंधित प्रारूप में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को वचनबंध देकर दत्तकग्रहण आदेश के लंबित रहते हुए प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात भारत के भीतर अस्थायी अवधि के लिए पूर्व दत्तकग्रहण पोषण देखरेख में बालक को रख सकते हैं।

3) भावी दत्तक माता-पिता जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण आदेश के जारी होने के पश्चात बालक को पासपोर्ट और वीजा के जारी होते ही विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से बालक की अंतिम अभिरक्षण प्राप्त करेंगे।

18. **दत्तकग्रहण आदेश –** (1) विनियम 13 में यथा उपबंधित विधिक प्रक्रिया का अनुपालन इस अध्याय के अधीन अंतर देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित किया जाएगा:-

(2) प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आवेदन के साथ पांच दिन के भीतर जिला बालक संरक्षण इकाई से सम्पर्क करेगा और जिला बालक संरक्षण इकाई **अनुसूची 29** में उपबंधित प्ररूप में पांच दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को डोजियर के प्रस्तुतीकरण के लिए आवेदन की जांच करेगा:

परंतु उपरोक्त समय सीमा को ऑनलाइन माध्यम से सक्षम होने पर प्रत्येक स्तर पर तीन दिन तक कम कर दिया जाएगा।

(3) यदि विदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले भावी दत्तक माता-पिता विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा करते हैं तो उस आवेदन के साथ सामाजिक कार्यकर्ता या विशिष्ट मामलों पर कार्यवाही करने वाले विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का दत्तकग्रहण भार-साधक के पक्ष में मुख्तारनामा भी भेजी जाएगी और यह मूढ़तारनामा भावी दत्तकग्रहण माता-पिता की ओर से मामले को देखेगी।

19. **पासपोर्ट और वीजा, प्रवासी प्राधिकरण को सूचना, पुष्टि प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र आदि – (1)** प्राधिकरण, दत्तकग्रहण किए गए बालक का प्राप्तकर्ता देश के हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता होने के मामले में अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण आदेश की उपलब्धता की तारीख से तीन दिन के भीतर **अनुसूची 11** में उपबंधित विवरणिका में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन पुष्टि प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) प्राधिकरण, दत्तकग्रहण की पुष्टि के बारे में प्रवासी प्राधिकरणों और विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को सूचित करेगा।

(3) दत्तकग्रहण किए गए बालक को भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आदेश की प्राप्ति की तरीख से तीन दिन के भीतर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अंतर देशीय रूप से दत्तकग्रहण किए गए बालकों को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर दत्तकग्रहण किए गए बालक के लिए पासपोर्ट जारी करेगा।

(5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण दत्तकग्रहण आवेदन की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की पांच दिन की अवधि के भीतर दत्तक माता-पिता को माता-पिता के रूप में नाम तथा दत्तकग्रहण आदेश में रिकॉर्ड की गई जन्म तिथि के साथ दत्तकग्रहण किये गए बालक का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण से संपर्क करेगा।

(6) दत्तक माता-पिता दत्तकग्रहण आवेदन की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर दत्तकग्रहण किये गए बालक को अपने देश ले जाने के लिए भारत आएंगे।

20 **अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक और विदेशी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण किये गए बालक की प्रगति का अनुवर्तन –**(1) यथास्थिति, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या भारतीय राजनयिक मिशन या संबंधित सरकारी विभाग **अनुसूची 12** में यथा उपबंधित बालक की फोटो अर्जित अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना अपलोड करके प्रथम वर्ष के दौरान त्रैमासिक आधार पर तथा दूसरे वर्ष के दौरान 6 मास के आधार पर प्राप्तकर्ता देश में दत्तकग्रहण किये गए बालक के आगमन की तारीख से दो वर्ष के लिए दत्तकग्रहण किये गए बालक की प्रगति की सूचना देगा।

(2) प्रगति रिपोर्ट के आधार पर तथा दत्तकग्रहण किये जाने वाले घरेलू दौरों के क्रम में, यदि प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सम्बंधित सरकारी विभाग के जानकारी में दत्तक बालकों के दत्तक माता-पिता के पास समायोजन संबंधी समस्या आती है, तो जहां भी लागू हो, वहां दत्तक माता-पिता और दत्तकग्रहण किये गए बालकों के लिए आवश्यक परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।

(3) यदि यह पाया जाता है की दत्तक बालक दत्तकग्रहण करने वाले परिवार में समायोजित होने में असमर्थ या दत्तकग्रहण करने वाले परिवार में बालक का रहना बालक के हित में नहीं है तो यथास्थिति प्राप्तकर्ता देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग बालक को वापस ले लेगा और आवश्यक परामर्श प्रदान करेगा तथा भारतीय राजनयिक मिशन और प्राधिकरण के परामर्शों से उस देश के बालकों के उपयुक्त वैकल्पिक दत्तकग्रहण या पोषण देखरेख में रखे जाने की व्यवस्था करेगा।

(4) दत्तकग्रहण के बाधित होने या भंग होने के मामले में, बालक उस देश की बाल संरक्षण सेवाओं के माध्यम से और हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में यथा उपबंधित देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास प्राप्त करने का हक़दार होगा।

(5) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण या सम्बंधित सरकारी विभाग बालक को आवश्यक सहायता प्रदान करने और यदि आवश्यक हो, तो बालक की पुन: वापसी को सुगम बनाने के लिए भारतीय राजनयिक मिशन से संपर्क करेगा।

(6) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सम्बंधित सरकारी विभाग दत्तकग्रहण किये गए भारतीय बालकों तथा उनके दत्तक माता-पिता का वार्षिक सम्मलेन आयोजित कर सकेगा और प्राधिकरण को इस घटना की एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

(7) भावी दत्तक माता-पिता, इस बात से सबंधित एक वचनबंध देंगे कि वे प्राप्तकर्ता देश में बालक के आगमन की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि तक दत्तक माता-पिता या परिवार के साथ बालक की प्रगति का पता लगाने के लिए, यथास्थति, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, विदेशी केंद्रीय प्राधिकरण या सम्बंधित सरकारी विभाग के प्रतिनिधि के व्यक्तिगत दौरों की अनुमति देंगे।

21. भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या भारत में रहने वाला हेग दत्तकग्रहण अभिसमय की पुष्टि करने वाले विदेशी नागरिक द्वारा दत्तकग्रहण – (1) भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय की पुष्टि करने वाले देश का नागरिक और भारत का साधारणतया निवासी है, अभिहित पोर्टल पर अपलोड द्वारा दत्तकग्रहण हेतु दूतावास या उचायोग से अनापति प्रमाण पत्र सहित उसमे विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ **अनुसूची 6** में यथा उपबंधित विहित प्रारूप में ऑनलाइन दत्तकग्रहण हेतु आवेदन करेगा।

(2) भारत के उन दस्तावेजों के सिवाय, जिन्हें स्वप्रमाणित किया जा सकता हो, समयक् रूप में नोटरी किये गए अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण **अनुसूची 7** में उपबंधित प्रारूप में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए मामले को विशिष्ट दत्तकग्रहइण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई को निर्दिष्ट करेगा और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, गृह अध्ययन रिपोर्ट को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(3) भावी दत्तक माता-पिता अड़तालीस घंटे के भीतर निर्दिष्ट बालकों में से एक को आरक्षित करेंगे और यथा लागू विनियम 16 के उप-विनियम (9), उप-विनियम (10), उप-विनियम (12) और उप-विनियम (13) और विनियम 17 से विनियम 19 तक के उपबंधों के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

(4) इन विनियमों के अधीन अपेक्षित गृह अध्ययन रिपार्ट और प्रगति रिपोर्ट को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा तैयार किया जाएगा और इन्हें उन्हीं द्वारा अपलोड किया जाएगा।

(5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, दत्तकग्रहण से पहले पालन पोषण देखभाल की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए छमाही आधार पर **अनुसूची 12** में यथा उपबंधित प्रारूप में बालक की फोटो के साथ अभिहित पोर्टल पर विवरण अपलोड करके बालक की प्रगति की सूचना देगा:

परंतु प्रथम दत्तकग्रहण - पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट, दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख के तीन मास के भीतर पूरी की जाएगी।

(6) अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान, यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को पता चलता है कि दत्तक, दत्तक परिवार में समायोजन करने में असमर्थ है या दत्तक परिवार में दत्तक को रखना बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, तो दत्तक माता-पिता और दत्तक के लिए परामर्श की व्यवस्था की जाएगी और इसके अतिरिक्त, विनियम 14 के उप-विनियम (4), उप-विनियम (5) और उप-विनियम (6) में यथा उपबंधित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(7) संबंधित राजनयिक मिशन, यह भी सुनिश्चित करेगा कि दत्तक बालक दत्तकग्रहण आदेश के तुरंत पश्चात् अपने माता-पिता के देश की नागरिकता प्राप्त कर ले और भावी दत्तक माता-पिता की राष्ट्रीयता के देश से बालक के पासपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण और संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित की जाएगी।

(8) भारत के किसी प्रवासी नागरिक कार्डधारक या भारत में रहने वाले विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को इस आशय का एक शपथपत्र देना आवश्यक होगा कि वे दत्तकग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट दत्तक अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को व्यक्तिगत दौरा करने की अनुमति देंगे।

(9) भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक या भारत में रहने वाले विदेशी भावी दत्तक माता-पिता, जैसा भी मामला हो, को इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि यदि वे दत्तकग्रहण के दो वर्ष पूरे होने से पहले भारत से बाहर चले जाते हैं, तो वे प्राधिकरण को अपनी गतिविधियों के बारे में, अपना नए पते की जानकारी और शेष अवधि के लिए अपनी दत्तकग्रहण के बाद की प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजना जारी रखेंगे।

(10) दत्तक माता-पिता के भिन्न देश में स्थान परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने पर, दत्तक माता-पिता को विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण को सौंपा जाएगा, जिसके माध्यम से शेष दत्तकग्रहण - पश्चात अनुवर्ती कार्य संबंधित भारतीय मिशन को सूचना के अधीन भेजा जाएगा ताकि किसी भी कठिनाई, विच्छिन्नता या विघटन के मामले में मिशन आवश्यक सहायता प्रदान कर सके।

22. भारतीय भावी दत्तक माता-पिता जो आभ्यासिक निवासी हैं या किसी अन्य देश के स्थायी निवासी हैं द्वारा दत्तकग्रहण - (1) ऐसे सभी मामलों में, यदि भावी दत्तक माता-पिता साधारणतया विदेश में रह रहे हैं, तो उन्हें गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने और अभिहित पोर्टल पर उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्तकर्ता देश के दत्तकग्रहण प्राधिकरण से संपर्क करना होगा।

(2) ऐसे मामलों में, यदि भावी दत्तक माता-पिता अस्थायी रूप से भारत में निवास कर रहे हैं, तो उन्हें दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए भारत में स्थित प्राप्तकर्ता देश के राजदूतावास या उच्चायोग से संपर्क करना होगा और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना होगा।

(3) यदि भावी दत्तक माता-पिता में से एक विदेशी है और दूसरा भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, तो ऐसे मामले को भारत में रहने वाले भारतीयों के बराबर माना जाएगा ताकि दत्तकग्रहण के नियोजन में प्राथमिकता पर विचार किया जा सके।

(4) ऐसे भावी दत्तक माता-पिता के लिए दत्तक-ग्रहण विनियमों के विनियम 21 के अनुसार दत्तक-ग्रहण प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

23. भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक के दत्तकग्रहण की प्रक्रिया - (1) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश से बालक का दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं शुरू में उस देश में उनके और प्रक्रिया के विधि अनुसार पूरी की जाएंगी।

(2) भावी दत्तक माता-पिता (सहायक दस्तावेजों सहित), बाल अध्ययन रिपोर्ट और बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट की गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 17 के अधीन प्राप्तकर्ता देश से भारत आने वाले बालकों का दत्तकग्रहण के मामलों में आवश्यकता अनुसार अनुमोदन जारी करेगा।

(3) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में दत्तकग्रहण किया गया बालक, जिसके पास विदेशी पासपोर्ट है, और जिसे भारत आने के लिए भारतीय वीज़ा की आवश्यकता है, संबंधित देश में भारतीय मिशन के लिए वीजा या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के लिए आवेदन करेगा, जो बालक को सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के बाद प्रवेश वीजा जारी कर सकेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दत्तकग्रहण नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है।

(4) विदेश में दत्तकग्रहण किए गए बालक के लिए आप्रवासन निर्बाधन उस देश में भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से विदेश प्रभाग, गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त की जाएगी।

अध्याय 5

दत्तकग्रहण अभिकरणों की मान्यता, निरीक्षण और कार्य

24 विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता - (1) कोई भी बालक देखरेख संस्था, जो बालकों को देश में और अंतर-देश में दत्तकग्रहण के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यताप्राप्त करने का आशय रखता है, संबंधित राज्य सरकार को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **अनुसूची 26** में प्रदान किए गए अभिहित पोर्टलों पर एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–

(क) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) या तत्समय प्रवत्त कोई अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति;

(ख) इसके संगम ज्ञापन, नियमों, विनियमों और उपनियमों की एक प्रति;

(ग) अधिनियम के अधीन बालक देखरेख संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति;

(घ) प्रबंधन समिति या कार्यकारी समिति या बोर्ड के सदस्यों की एक सूची जो यह दर्शाती है कि ऐसी समिति या बोर्ड के अधिकांश सदस्य भारतीय नागरिक हैं;

(ङ.) पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित खातों सहित वार्षिक रिपोर्ट;

(च) अनाथ, परित्यक्त या अध्यर्पित करने वाले बालकों का दत्तकग्रहण के निर्णय का समर्थन करने वाली अभिकरण द्वारा संकल्प;

(छ) बालक देखरेख संस्था के मुख्य अधिकारी को अपने शीर्षनामा में संबंधित राज्यों और इन विनियमों में लागू प्रासंगिक नियमों का पालन करने का वचन देना;

(ज) बालक देखरेख संस्था के मुख्य अधिकारी को अपने शीर्षनामा में अभिहित पोर्टल पर आंकड़ें को नियमित रूप से अद्यतन करने और उसके लिए आवश्यक सुविधाएं रखने का वचन देना;

(झ) सहायक दस्तावेज यह दर्शाते हों कि संगठन, बाल संरक्षण और कल्याण गतिविधियों में शामिल है;

(ञ) संस्थान में बालकों की सूची; और

(ट) पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता और अर्हित बाल देखरेख कर्मचारिवृन्द की सूची।

(2) यदि बालक देखरेख संस्था को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में उपयुक्त पाया जाता है, तो उसके लिए किए गए निरीक्षण के आधार पर राज्य सरकार, बालक देखरेख संस्था को आवेदन करने की तारीख से तीन महीने के भीतर विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता का प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(3) एक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को बालकों को देश में और अंतर-देश में दत्तकग्रहण के लिए मान्यता पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी, जब तक कि इसे विनियम 26 में उल्लिखित आधारों पर इससे पहले रद्द नहीं किया जाता है।

25. **विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के नवीनीकरण के लिए मानदंड** – (1) राज्य सरकार, किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के नवीनीकरण से पहले निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी, अर्थात्:–

(क) क्या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण ने दत्तकग्रहण नियोजन में संतोषजनक प्रदर्शन किया है;

(ख) क्या इसने अभिहित पोर्टल पर डेटा को नियमित रूप से अद्यतन किया है और इन विनियमों में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा का पालन कर रहा है;

(ग) क्या इसने इन विनियमों के उपबंधों और दत्तकग्रहण से संबंधित मामलों को संभालने के लिए राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन किया है;

(घ) क्या यह किसी कदाचार में लिप्त है;

(ङ) क्या इसने **अनुसूची 15** में यथा उपबंधित दत्तकग्रहण फीस का उचित उपयोग किया है; और

(च) क्या यह **अनुसूची 13** में यथा उपबंधित बाल देखरेख के मानकों का पालन करता है।

(2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण नवीनीकरण के लिए अपनी मान्यता की समाप्ति से छह महीने पहले निम्नलिखित दस्तावेजों और सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा, अर्थात:

(क) मान्यता की पिछली अवधि के दौरान जैविक माता-पिता, रिश्तेदारों या अभिभावकों को वापस किए गए बालकों की संख्या और उनका विवरण;

(ख) मान्यता की पिछली अवधि के दौरान देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण में रखे गए बालकों की संख्या और विवरण और दत्तकग्रहण पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण;

(ग) मान्यता की पिछली अवधि के दौरान दत्तक ग्रहण फीस की वर्षवार प्राप्ति और उसके उपयोग का विवरण;

(घ) एक शपथपत्र जिसमें यह घोषित किया गया है कि यह अभिहित पोर्टल पर डेटा को नियमित रूप से अपडेट कर रहा है; और

(ङ) एक शपथपत्र जिसमें कहा गया है कि वह इन विनियमों के साथ-साथ राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत है।

(3) किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को विधिमान्य मान्यता की समाप्ति से पहले, पांच वर्ष की अवधि के लिए, इस उद्देश्य के लिए किए गए निरीक्षण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नवीकृत किया जाएगा, यदि यह पाया जाता है कि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट पात्रता के कारकों को पूरा कर रहा है और उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और सूचनाओं को प्रस्तुत कर रहा है।

(4) यदि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण ने राज्य सरकार के पास मान्यता या नवीकरण के लिए आवेदन किया है और आवेदन की तारीख से एक महीने के भीतर राज्य सरकार द्वारा अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, तो

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के प्रमाण को अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए अभिकरण को संचालित करने के लिए अनंतिम मान्यता के रूप में माना जाएगा।

(5) यदि किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का नवीनीकरण लंबित है, तो इन विनियमों के अन्य सभी उपबंधों को पूरा किए जाने के अधीन दत्तकग्रहण के सभी लंबित मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

26. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता का निलंबन या प्रतिसंहरण - (1) राज्य सरकार स्व-प्रेरणा से या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या प्राधिकरण की सिफारिश पर उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को प्रदान की गई मान्यता को निलंबित या वापस लेने की कार्रवाई करेगी।

(2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर निलंबित किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) दत्तकग्रहण के संबंध में अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ-साथ इन विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन;

(ख) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या राज्य सरकार या प्राधिकरण को या अभिहित पोर्टल पर झूठी जानकारी या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना;

(ग) बालक या दत्तकग्रहण से संबंधित किसी प्रक्रिया के बारे में भावी दत्तक माता-पिता, बाल कल्याण समिति या जिला बालक संरक्षण इकाई को अधूरी या मिथ्या जानकारी देना;

(घ) अभिहित पोर्टल पर डेटा को ऑनलाइन अपडेट करने में विफलता;

(ङ) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिपोर्टें या डेटा प्रस्तुत करने में विफलता;

(च) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के कामकाज के संबंध में केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के निरीक्षण दल के प्रतिकूल निष्कर्ष;

(छ) यदि पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता और अर्हित बाल देखरेख कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं;

(ज) वित्तीय अनियमितताएं या कदाचार या भावी दत्तक माता-पिता या दत्तक माता-पिता से वस्तु या नकदी के रूप में कोई दान प्राप्त करना;

(झ) दत्तकग्रहण फीस या सरकार से प्राप्त अनुदान का उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग या विपथन, जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था;

(ञ) अनैतिक कार्य, जैसे कि भावी दत्तक माता-पिता से प्राधिकरण द्वारा पहले से विनिर्दिष्ट दत्तकग्रहण फीस के अलावा फीस या उपहार की अपेक्षा करना या मांगना, एकल मां या जैविक माता-पिता को अपने बालक को त्यागने के लिए प्रेरित करना या बालक को अवैध रूप से उपलब्ध कराना;

(ट) गोपनीयता के सिद्धांतों के उल्लंघन में जैविक मां या माता-पिता या दत्तकग्रहण वाले व्यक्ति की जानकारी को सार्वजनिक करना;

(ठ) प्राधिकरण, संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन न करना; और

(ड) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में बालकों के साथ दुर्व्यवहार या उनकी उपेक्षा।

(3) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिए बिना प्राधिकार के निलंबन या प्रतिसंहरण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(4) किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबन के बाद, संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यक जांच कराएगा और यदि आरोप साबित होंगे, तो संबंधित राज्य सरकार विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता को रद्द करेगी।

(5) किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के प्रतिसंहरण के मामले में, संबंधित राज्य सरकार तीस दिन के भीतर, उस गृह के बालकों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास योजना तैयार करेगी, जिसमें उन्हें किसी अन्य विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में स्थानांतरित करना शामिल है।

(6) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबन या प्रतिसंहरण या बंद होने की स्थिति में, जिन मामलों में भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अभिनिर्देशन स्वीकार किए गए हैं, उन्हें इन विनियमों के अन्य सभी उपबंधों को पूरा किए जाने के अधीन अंतिम दत्तकग्रहण के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।

(7) उप-विनियम (6) में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी मामलों में, जिले की जिला बालक संरक्षण इकाई या कोई अन्य अभिकरण जहां बालकों को स्थानांतरित किया गया है, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा तय किए गए मामलों को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

27. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण- (1) संबंधित राज्य सरकार बालक देखरेख संस्था को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता या नवीकरण पर विचार करने से पूर्व निरीक्षण करेगी, जैसा कि नियमों के प्ररूप 46क में उपबंधित है।

(2) संबंधित राज्य सरकार या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों का वार्षिक निरीक्षण करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कुशलतापूर्वक और नियमों के प्ररूप 46 में अधिकथित मानदंडों के अनुसार कार्य कर रही हैं।

28. सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्कीमों के अधीन अनुदान की पात्रता- एक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण सरकार अधिसूचित अन्य स्कीमों के अधीन, ऐसी स्कीम के अधीन नियम और शर्तों को पूरा करने के अधीन अनुदान प्राप्त करने की हकदार है।

29. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों द्वारा खातों का रखरखाव- (1) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण **अनुसूची 15** में उपबंधित मानदंडों के अनुसार या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित किए जाने वाले मानदंडों के अनुसार दत्तकग्रहण फीस के रूप में प्राप्त धन का उपयोग करेगी।

(2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अन्य सरकारी अधिसूचित स्कीमों के अधीन दत्तकग्रहण फीस और सरकारी अनुदान के उपयोग और प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा सहित खातों का उचित रखरखाव करेगी।

(3) संगठन के लेखापरीक्षित खातों की एक सत्यापित प्रति, उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट की एक सत्यापित प्रति राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या संबंधित राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

30. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों के कार्य- विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण इन विनियमों के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्यों के अलावा, अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों को दत्तकग्रहण में सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:

(1) **बालकों के प्रति कार्य:** प्रत्येक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण:

(क) इसके प्रभार में प्रत्येक बालक की यथास्थिति, देखभाल, सुरक्षा और कल्याण और उनकी स्वास्थ्य जरूरतों; भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों; शैक्षिक और प्रशिक्षण की जरूरतों; अवकाश और मनोरंजक गतिविधियों की पूर्ति करने; किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा और शोषण से सुरक्षा; सामाजिक मुख्यधारा और बहाली, और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगी;

(ख) बालकों के प्रवेश, बहाली, स्थानांतरण, मृत्यु और दत्तकग्रहण के सभी मामलों के साथ ही संस्थान से लापता बालकों, यदि कोई हों, के बारे में बाल कल्याण समिति, जिला बालक संरक्षण इकाई, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण को अभिहित पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट करेगी;

(ग) प्रत्येक अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक की स्थिति वेबसाइट www.cara.nic.in पर उपलब्ध अभिहित पोर्टल पर प्रस्तुत करेगी;

(घ) बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिए जारी प्रमाणपत्र, ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति से अड़तालीस घंटे के भीतर अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी और यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र पर अध्यक्ष सहित समिति के तीन सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं और सभी उपयुक्त स्तंभ भरे गए हैं;

(ङ) अपने सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से सभी अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगी और बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बालकों को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से दस दिन के भीतर उन्हें अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी;

(च) अपने घर में भर्ती सभी बालकों के लिए **अनुसूची 4** में दिए गए चिकित्सा परीक्षणों की व्यवस्था करेगी और संस्थान में बालक के प्रवेश के एक महीने की अवधि के भीतर ऐसे बालकों को बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से दस दिन के भीतर अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अपने बाल रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक के माध्यम से चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार करेगी;

(छ) संस्थान में भर्ती विशेष जरूरत वाले बालकों के बारे में जिला बालक संरक्षण इकाई, जिला मजिस्ट्रेट और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेगी;

(ज) यदि बालक के चिकित्सा परीक्षण में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या समस्या का संकेत मिलता है; तो जिला बालक संरक्षण इकाई और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सहायता से जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष बालक को पेश करेगी।

(झ) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहायता से बालक को उनकी स्वास्थ्य समस्या या बीमारी के इलाज के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में इलाज करेगी;

(ञ) यदि बालक बीमार है और बीमारी से ठीक हो गया है; तो अभिहित पोर्टल पर बालक के स्वास्थ्य की स्थिति को अपडेट करेगी।

(ट) बालक के सर्वोत्तम हितों के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रत्येक बालक के लिए नियमों के प्ररूप 7 के अनुसार व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करेगी:–

(i) जैविक परिवार या विधिक अभिभावक को बहाली;

(ii) देश के भीतर दत्तकग्रहण;

(iii) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण;

(iv) पालक देखभाल; और

(v) संस्थागत देखभाल;

(ठ) प्रत्येक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण प्रत्येक बालक के लिए निम्नलिखित के संबंध में आयु और लिंग विशिष्ट जरूरतों के आधार पर व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करेगी:

(i) स्वास्थ्य और चिकित्सा जरूरतों;

(ii) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों;

(iii) शैक्षणिक और प्रशिक्षण जरूरतों;

(iv) आराम, रचनात्मकता और खेल;

(v) जुड़ाव और रिश्तों;

(vi) सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार से सुरक्षा;

(vii) परिवार के साथ पुनर्मिलन, दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत देखभाल सहित पुनर्वास;

(viii) सामाजिक मुख्यधारा में लाना; और

(ix) पुनर्वास या बहाली के बाद अनुवर्ती कार्रवाई।

(ड) एक मेमोरी एल्बम बनाना, जिसमें बालक का एक फोटो एल्बम, वृतांत और बालक के जीवन का ब्यौरा अर्थात् उल्लेख न किए जाने वाले अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता का ब्यौरा, और बालक की रुचियां निहित होंगी जिसे बालक को दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देख रख में भावी दत्तक माता-पिता को बालक सौंपते समय बालक के चिकित्सा इतिहास के साथ दत्तकग्राही परिवार को सौंप दिया जाएगा;

(ढ) प्रत्येक बालक, जिसे बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है, को दत्तकग्रहण में देने के लिए प्रयास करना;

(ण) भावी दत्तक माता-पिता के लिए एक बालक की अभिनिर्देशन प्रक्रिया और इन विनियमों में प्रदान की गई दत्तकग्रहण से संबंधित विधिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार रहना;

(त) प्रत्येक दत्तक बालक को, जहां कहीं आवश्यक हो, दत्तक परिवार के साथ आत्मसात करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना;

(थ) जहां कहीं आवश्यक हो, भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक की बातचीत की सुविधा प्रदान करना;

(द) यह सुनिश्चित करना कि सहोदर और जुड़वां बालकों को, यथासंभव, एक ही बाल देखरेख संस्थान में और एक ही परिवार में, रखा जाए;

(ध) दत्तकग्रहण के रिकॉर्ड को इस तरह से संरक्षित करना कि ऐसा रिकॉर्ड केवल प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए ही सुलभ हो;

(न) विनियम 47 के अधीन बताए तरीके से दत्तकों द्वारा रूट खोज की सुविधा प्रदान करना;

(प) बाल देखरेख कर्मचारियों को जागरूक होने के लिए प्रशिक्षित करना और सभी बालकों, विशेष रूप से पांच वर्ष से कम आयु के बालकों में विकासपरक उपलब्धियों के संकेतों की देखभाल के लिए जागरूक करना और **अनुसूची 4** में यथाउपबंधित औपचारिक मूल्यांकन के लिए एक बाल रोग विशेषज्ञ को निर्दिष्ट करना और विशेष आवश्यकता वाले बालकों की देखभाल के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करना;

(फ) यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कीमों के लाभ, जिनके लिए एक बालक पात्र है, बालक की बेहतरी के लिए लागू किया जाता है, जिसमें छात्रवृत्ति, आंगनवाड़ी सेवाएं, आदि शामिल हैं।

(2) **जैविक माता-पिता के प्रति कार्य:** प्रत्येक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण:–

(क) अभ्यर्पण प्रक्रिया के दौरान एक अभ्यर्पित बालक के जैविक माता-पिता के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करेगी;

(ख) अविवाहित माता और जैविक माता-पिता की गोपनीयता बनाए रखेगी;

(ग) अभ्यर्पण करने वाले माता-पिता को सलाह देगी और उन्हें भविष्य में उनके बालक द्वारा भावी मूल खोज के बारे में सूचित करेगी;

(घ) बालक का अभ्यर्पण करने वाले जैविक माता-पिता को बालक की पृष्ठभूमि और प्रगति के साथ ही अपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगी;

(ङ) माता-पिता को अंतर-देशीय दत्तकग्रहण की संभावना सहित अपने बालक को अभ्यर्पण करने के निहितार्थ की व्याख्या करेगी;

(च) यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्पण और दत्तकग्रहण की सहमति माता-पिता द्वारा किसी जबरदस्ती या मौद्रिक या भौतिक लेनदेन के बिना दी गई है;

(छ) उनके जन्म से पहले बालक को दत्तकग्रहण के संबंध में जैविक माता-पिता के साथ कोई प्रतिबद्धता या समझौता नहीं करेगी;

(ज) माता-पिता को यह सूचित करेगी कि उनके पास अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन की पुनर्विचार अवधि होगी, जिसके दौरान वे बालक को वापस ले सकते हैं।

(3) भावी दत्तक माता-पिता के प्रति कार्य: प्रत्येक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण निम्न कार्य करेंगे:

(क) भावी दत्तक माता-पिता के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें और उचित शिष्टाचार, सहायता और सलाह दें;

(ख) भावी दत्तक माता-पिता को किसी भी कठिनाई का सामना करने की स्थिति में अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण की सुविधा प्रदान करना;

(ग) अधिकृत पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता या परामर्शदाता के माध्यम से भावी दत्तक माता-पिता को सलाह देना, उन्हें दत्तकग्रहण की प्रक्रिया से अवगत कराना और इसके लिए उनकी तैयारी के स्तर का पता लगाना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अपना परिवार बनाने के वैकल्पिक तरीके के रूप में दत्तकग्रहण की स्वीकृति;

(ii) बालक को दत्तकग्रहण के लिए प्राथमिकता;

(iii) एक असंबंधित बालक को दत्तकग्रहण के लिए भावनात्मक तत्परता;

(iv) बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और आनुवंशिक कारकों के बारे में चिंता;

(v) परवरिश और अनुशासन के प्रति रवैया;

(vi) बालक के बड़े होने पर दत्तकग्रहण के तथ्य को बालक के साथ साझा करना;

(vii) जब बालक बड़ा हो जाता है, तो दत्तक बालक द्वारा मूल परिवार की खोज से निपटना; और

(viii) कोई अन्य मुद्दा, जो बातचीत के दौरान उभर सकता है;

(घ) अपने रजिस्ट्रीकरण और दस्तावेज जमा करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर भावी दत्तक माता-पिता, जिन्होंने गृह अध्ययन का विकल्प चुना है, की गृह अध्ययन रिपोर्ट को पूरा करें और तीन वर्ष की समाप्ति से पहले उनका पुनर्मूल्यांकन सुनिश्चित करें;

(ड.) दत्तक माता-पिता द्वारा बालक को आरक्षित किए जाने के बाद पूरी दत्तकग्रहण की प्रक्रिया के दौरान पालन की जाने वाली वर्तमान स्थिति और प्रक्रिया के दत्तक माता-पिता को लगातार अद्यतन करना;

(च) भावी दत्तक माता-पिता को बालकों की अतिरिक्त तस्वीरें, वीडियो क्लिप प्रदान करना और अभिनिर्देशन के बाद बालक के साथ उनकी वीडियो कॉल की सुविधा प्रदान करना;

(छ) यदि ऐसा बालक दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित है, तो भावी दत्तक माता-पिता को बालक के चिकित्सा इतिहास और विशेष आवश्यकता वाले बालक के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना;

(ज) भावी माता- पिता को टीकाकरण रिकॉर्ड और हाल की नैदानिक रिपोर्ट के साथ-साथ उसकी भोजन और सामाजिक आदतों और स्मृति एल्बम सहित बालक से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना;

(झ) जब कभी भी आवश्यक हो, दत्तक माता-पिता को जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण के आदेश की एक प्रति, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट प्रदान करें;

(ञ) इन विनियमों में निर्धारित अधिकथित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद एक बालक को पूर्व-दत्तक-पोषण देखभाल में रखना;

(ट) यदि आवश्यक हो, तो भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श सहित दत्तकग्रहण के बाद सेवाओं का विस्तार;

(ठ) सुनिश्चित करें कि सामाजिक कार्यकर्ता गृह अध्ययन करते समय रजिस्ट्रीकरण के समय भावी दत्तक माता-पिता द्वारा प्रदान की गई जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करे;

(ड) भावी दत्तक माता-पिता की विधिमान्य अवधि की समाप्ति से पहले उनके गृह अध्ययन का पूर्ण पुनर्मूल्यांकन और यदि वे दत्तकग्रहण के लिए पात्र या उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसी सभी गृह अध्ययन रिपोर्ट जिला बालक संरक्षण इकाई को निर्दिष्ट की जाएगी;

(ढ) अंतर-देशीय दत्तक माता-पिता को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, जैसे कि क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के पास बालक के पासपोर्ट के लिए आवेदन दाखिल करना, दत्तकग्रहण का आदेश प्राप्त होते ही बालक के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना और दत्तकग्रहण लिये गए बालक का पासपोर्ट सौंपना दत्तक माता-पिता को उनके प्रस्थान की सुविधा के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दत्तकग्रहण आदेश और बालक का फोटो एल्बम, आदि;

(ण) अभिहित पोर्टल के माध्यम से अड़तालीस घंटे के भीतर भावी दत्तक माता-पिता और दत्तक माता-पिता की सभी शिकायतों का समाधान करना।

(4) **परामर्श से संबंधित कार्य:** परामर्श के संबंध में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:–

(क) अध्यर्पित के मामले में जैविक माता-पिता को परामर्श;

(ख) गृह अध्ययन रिपोर्ट और मिलान प्रक्रिया की तैयारी के दौरान भावी दत्तक माता-पिता की पूर्व-दत्तक परामर्श और, जहां कहीं भी आवश्यक हो, उन्हें प्राधिकरण या राज्य दत्तक संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई, परामर्श केंद्र से जोड़ना;

(ग) दत्तकग्रहण से पहले और उसके दौरान बड़े बालकों को परामर्श;

(घ) जब भी आवश्यक हो, दत्तक माता-पिता को परामर्श; और

(ड.) दत्तकग्रहण के बाद उनकी मूल कुटुम्ब की तलाश में उनके द्वारा संपर्क किए जाने पर, दत्तकग्रहण के बाद परामर्श।

5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के अन्य कार्य निम्नानुसार हैं:

(क) दत्तकग्रहण के कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण गतिविधियों का आयोजन; इन विनियमों के उपबंध में प्रदान की गई प्रक्रियाओं के बारे में अपने बाल देखरेख और पेशेवर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना; यह सुनिश्चित करना कि देश में दत्तकग्रहण का आवेदन संवीक्षा के प्रयोजन के लिए दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख के पांच दिन के भीतर जिला बालक संरक्षण इकाई को अग्रेषित कर दिया गया है; और इसी तरह, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में, जांच के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से पूर्ण डोजियर प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन के भीतर जिला बालक संरक्षण इकाई को आवेदन अग्रेषित किया जाना है; और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(ख) परित्यक्त बालकों को प्राप्त करने के लिए अपने घर पर पालना शिशु बिंदु स्थापित करना और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, अल्पावास और महिलाओं के लिए स्वाधार होम में पालना शिशु केंद्र स्थापित करना।

(ग) प्रत्येक बालक की केस फाइल में निम्नलिखित दस्तावेज रखें, अर्थात्:–

(i) केस हिस्ट्री और बालक की सामाजिक जांच रिपोर्ट;

(ii) अंतरिम देखरेख आदेश के साथ-साथ बाल कल्याण समिति द्वारा बालक का दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने का आदेश और त्याग किए गए बालक के मामले में समर्पण का विलेख;

(iii) बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बालक का टीकाकरण रिकॉर्ड;

(iv) छह महीने के अंतराल पर लिए गए बालक की तस्वीरें;

(v) भावी दत्तक माता-पिता का आवेदन पत्र, दस्तावेज और गृह अध्ययन रिपोर्ट;

(vi) दत्तकग्रहण का आवेदन, दत्तकग्रहण का आदेश, बालक का जन्म प्रमाण पत्र और जहां भी आवश्यक हो, बालक के पासपोर्ट की प्रति;

(vii) बालक के नियोजन के बाद की प्रगति रिपोर्ट।

(घ) सभी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित अभिलेखों को बनाए रखेगी अर्थात्:–

(i) मास्टर प्रवेश रजिस्टर;

(ii) बालक की चिकित्सा और संवर्द्धन फाइल;

(iii) बालक की केस फाइल;

(iv) बालकों और कर्मचारिवृंद की उपस्थिति रजिस्टर;

(v) दत्तक माता-पिता के विवरण के साथ दत्तक बालकों का रजिस्टर (रजिस्ट्रीकरण की तारीख, गृह अध्ययन रिपोर्ट की तारीख, बालक या बालकों के रेफर करने की तारीख, दत्तकग्रहण के आदेश की तारीख, भावी दत्तक माता-पिता को बालक को सौंपने की तारीख, आदि ;

(vi) वाउचर, कैशबुक, लेजर, जर्नल और वार्षिक खाते;

(vii) अनुदान दत्तकग्रहण की फीस रसीद और उपयोग रजिस्टर;

(viii) स्टॉक रजिस्टर; और

(ix) प्रबंधन समिति और दत्तकग्रहण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड (अलग से रखा जाना है)।

31. प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के कार्य - प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्: -

(क) भारत से बालकों को दत्तकग्रहण के इच्छुक भावी दत्तक माता-पिता को रजिस्ट्रीकृत करें और अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट को शीघ्रता से पूरा करना;

(ख) अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता के दत्तकग्रहण के आवेदन की सत्यापित प्रतियां अपलोड करना, मूल रूप से आवंटित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को अग्रेषित करना;

(ग) प्राधिकरण से दत्तकग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद शीघ्र दत्तकग्रहण सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ अनुवर्ती कार्रवाई;

(घ) भावी दत्तक माता-पिता को उस स्थान की संस्कृति, भाषा और भोजन के प्रति उन्मुखीकरण करना जहां से दत्तक बालक संबंधित है;

(ङ.) दत्तकग्रहण किए गए बालकों के संवर्धन के लिए दत्तकग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करना और विनियम 20 में यथा विनिर्दिष्ट विच्छिन्न और विघटन के मामलों को संबोधित करना;

(च) संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन की भागीदारी से समय-समय पर भारतीय मूल के बालकों और उनके दत्तक परिवारों के मिलन की व्यवस्था करना;

(छ) पुराने दत्तकग्रहणकर्ताओं द्वारा मूल कुटुम्ब की खोज की सुविधा प्रदान करना; और

(ज) मेजबान देश की विधिक आवश्यकताओं के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकरण के नियमों और शर्तों को पूरा करना।

32. विदेशी अभिकरणों को प्राधिकृत करने के लिए मानदंड और प्रक्रिया। – (1) विदेशी दत्तक अभिकरण भारतीय बालक को दत्तकग्रहण के लिए उस देश के भारतीय राजनयिक मिशन के माध्यम से विदेशी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए प्राधिकार की मांग करने के इच्छुक केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग की सिफारिश के साथ प्राधिकरण को एक आवेदन करेगी।

(2) केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकार दिया जा सकता है और आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार होंगे:–

(क) ज्ञापन या उपनियम, रजिस्ट्रीकरण स्थिति की प्रतियां, अंतरराष्ट्रीय दत्तकग्रहण के लिए संबंधित सरकारी विभाग द्वारा जारी नवीनतम अनुज्ञप्ति, बोर्ड या कार्यकारी सदस्यों की सूची, उन देशों की सूची जिनके साथ यह काम कर रहा है, मान्यता प्रमाण पत्र और इसकी वार्षिक रिपोर्ट या पिछले दो वित्तीय वर्षों का विवरण;

(ख) संगठन के प्रमुख या मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र जिसमें कहा गया है कि अभिकरण इन विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा;

(ग) विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा शपथपत्र कि दत्तकग्रहण किए गए बालकों के विच्छिन्न या प्रत्यावर्तन के मामले में, यह इन विनियमों में यथाकथितविशिष्ट उपबंधों का पालन करेगा;

(घ) भारत से दत्तकग्रहण किये गए बालकों की स्थिति पर हर वर्ष अप्रैल के महीने में प्राधिकरण को एक वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा शपथपत्र;

(ङ.) दत्तकग्रहण विधि या दत्तकग्रहण के नियम या उनके देश के दत्तकग्रहण के नियमों की प्रति;

(च) भारत के साथ काम करने के लिए विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी से सिफारिश या प्राधिकरण के कर्मचारिवृंद की एक सूची;

(छ) विदेश में भारतीय राजनयिक मिशन और प्राप्त करने वाले देश के केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग से सिफारिश पत्र।

(3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण को निम्नलिखित ब्यौरों के साथ उप-विनियम (1) और (2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने प्राधिकार की समाप्ति से नब्बे दिन पहले अपने प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है, अर्थात्:

(क) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से नागरिकता की स्थिति सहित दत्तकग्रहण किए गए बालकों की सूची; और

(ख) विच्छिन्न, यदि कोई हो।

(4) प्राधिकरण या नवीकरण के मामले में, भारत से अंतर-देशीय दत्तकग्रहण को संभालने के लिए ऐसे संगठनों की समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के पास आवेदन पर विचार करने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा:

परंतु कोई भी आवेदन उसमें उल्लिखित कारणों को विनिर्दिष्ट किए बिना खारिज नहीं किया जाएगा।

33. प्राधिकार का निलंबन या प्रतिसंहरण - (1) किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकार के निलंबन या प्रतिसंहरण के आधार निम्नानुसार होंगे:

(क) यदि विदेशी दत्तकग्रण अभिकरण इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करती है या उनका पालन करने में विफल रहती है;

(ख) यदि विदेशी दत्तकग्रहण प्राधिकरण की अनुज्ञप्ति या प्रत्यायन या मान्यता उस देश के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द कर दी गई है;

(ग) यदि विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण समय-समय पर अभिहित पोर्टल पर दत्तक-ग्रहण आवेदन या दत्तक-पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट अपलोड करने में विफल रहती है।

(2) बिना अभिकरण को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान दिए बिना निलंबन या प्रतिसंहरण का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अध्याय- 6

सरकारी संगठनों और प्राधिकरण के कार्य

34. राज्य सरकार की भूमिकाएँ: (1) राज्य सरकार, नियमित अंतराल पर जिला मजिस्ट्रेट के पास लंबित दत्तकग्रहण मामलों की समीक्षा करेगी और दत्तकग्रहण के मामलों के समय पर निपटान के लिए मार्गदर्शन और सहायता करेगी।

(2) राज्य सरकार, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों को मान्यता देगी और अधिनियम और नियमों में प्रदान किए गए ऐसे अन्य कार्यों को करेगी।

(3) राज्य सरकार, धारा 32, धारा 41 की उप-धारा (1) और धारा 41 की उपधारा (5), धारा 65 की उप-धारा (4), धारा 80 और धारा 81 के अधीन उपबंधों के उल्लंघन के मामलों में स्वत: या शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई करेगी।

35. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण:- (1) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की संरचना निम्नानुसार होगी:–

(क) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 67 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण के मार्गदर्शन में राज्य में दत्तकग्रहण और संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की स्थापना करेगी।

(ख राज्य सरकार, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के एक शासी निकाय की स्थापना करेगी, जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव करेंगे जो दत्तकग्रहण मामलों को निपटाएंगे और विभाग के निदेशक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(ग) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण, उप निदेशक के स्तर पर एक नोडल अधिकारी और बाल संरक्षण स्कीम के अधीन आवश्यक ऐसे अन्य कर्मचारियों को अपने कामकाज को सुचारू करने के लिए नियुक्त करेगी जो कार्य सदस्य सचिव को शासी निकाय की बैठकों की व्यवस्था करने और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य करने में सहायता करेंगे।

(घ) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के सात सदस्यों वाले शासी निकाय का गठन नीचे बताए अनुसार किया जाएगा:–

(i) अध्यक्ष के रूप में दत्तकग्रहण से संबंधित राज्य सरकार के विभाग के प्रधान सचिव या सचिव;

(ii) विभाग के निदेशक जो राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और इसके सदस्य सचिव होंगे;

(iii) सदस्य के रूप में राज्य सरकार के स्वास्थ्य या अस्पताल प्रशासन विभाग के निदेशक;

(iv) सदस्य के रूप में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष;

(v) सदस्य के रूप में एक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के प्रतिनिधि;

(vi) सदस्य के रूप में बाल कल्याण में शामिल नागरिक समाज का एक सदस्य;

(vii) एक सदस्य के रूप में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक मदरूप।

(ड.) जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और अन्य संबंधित मामलों को जारी करने वाले अधिकारियों को राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रिति के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा ।

(च) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का शासी निकाय अपने समग्र कार्यों की समीक्षा करने, राज्य में बालक के दत्तकग्रहण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने, दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में परिचालन के साथ-साथ रसद मुद्दों और बाधाओं को दूर करने और अनाथ और निराश्रितों बालकों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए त्रैमासिक आधार पर बैठक करेगा।

(2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण राज्य में दत्तकग्रहण के कार्यक्रम के प्रचार, सुविधा, निगरानी और विनियमन के लिए राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगी और इसके कार्यों में शामिल होंगे:

(क) वर्ष में कम से कम एक बार राज्य में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के संपर्क ब्यौरे प्रकाशित करना;

(ख) संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन हर पांच वर्ष में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को मान्यता के नवीकरण की सिफारिश करना;

(ग) दत्तकग्रहण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और अभिहित पोर्टल पर ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त अपलोड करने के लिए तिमाही आधार पर विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों की बैठकें आयोजित करना;

(घ) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों के दत्तकग्रहण कार्यक्रम और गतिविधियों का निरीक्षण और निगरानी करना;

(ड.) ऐसे बालक देखरेख संस्थानों की पहचान करना, जिन्हें विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और उन्हें धारा 66 के अधीन उपबंधों के अनुसरण में ऐसे संस्थानों में पात्र बालकों को दत्तकग्रहण में सक्षम बनाने और सुविधा प्रदान करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों से जोड़ना;

(च) अनाथ, परित्यक्त और अध्यर्पित बालकों को दत्तकग्रहण के लिए मानकों और उपायों को लागू करना, जैसा कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अधीन परिकल्पित है;

(छ) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों या बालक देखरेख संस्थानों की पहचान करना, जो मानव इम्यूनोडिफीसिएन्सी वायरस (एचआईवी) या एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स) से प्रभावित या संक्रमित बालक सहित विशेष आवश्यकता वाले बालकों को दीर्घकालिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण देखरेख और उपचार प्रदान करने की क्षमता रखते हों और मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम बालक, और ऐसे बालकों को इन अभिकरणों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करना;

(ज) दत्तकग्रहण और अन्य गैर-संस्थागत देखरेख के माध्यम से बालकों के गैर-संस्थानीकरण में तेजी लाना;

(झ) राज्य में दत्तकग्रहण के कार्यक्रम के विस्तार के लिए आवश्यक उपाय करना, जैसे, ज्ञान आधार को मजबूत करना, अनुसंधान और प्रलेखन, बाल ट्रैकिंग प्रणाली को मजबूत करना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ, प्रचार और जागरूकता गतिविधियाँ, पक्ष समर्थन और संचार, निगरानी और मूल्यांकन;

(ञ) राज्य में बाल कल्याण समितियों द्वारा अभिहित पोर्टल पर धारा 38 की उप धारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आंकड़े का सत्यपान करना;

(ट) इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और आवधिकता में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा अभिहित पोर्टल पर दत्तक-ग्रहण संबंधी सही दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना;

(ठ) दत्तकग्रहण योग्य बालकों, भावी दत्तक माता-पिता, देश में दिए गए बालकों और अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के अभिहित पोर्टल पर एक राज्य-विशिष्ट डेटाबेस बनाए रखना;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि राज्य में सभी दत्तकग्रहण नियोजन, अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अनुसार की जाती है;

(ढ) जिला बालक संरक्षण इकाई के पास पर्याप्त संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता उपलब्ध हो इसके लिए एक प्रणाली स्थापित करना:–

(i) भावी दत्तक माता-पिता को परामर्श प्रदान करना और गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना;

(ii) जहां कहीं आवश्यक हो, बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और बड़े बालकों की काउंसलिंग करना;

(iii) जहां कहीं आवश्यक हो, दत्तक-ग्रहण पश्चात अनुवर्तन रिपोर्ट तैयार करना;

(iv) दत्तक बालकों और दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण के बाद परामर्श; और

(v) पुराने दत्तकग्रहण करने वालों को मूल कुटुम्ब खोज में सहायता और परामर्श देना।

(ण) समय-समय पर प्राधिकरण डाटा सौंपे गए ऐसे ही अन्य कार्यों को पूरा करना है। इसमें अंतरदेशीय दत्तक-ग्रहण के मामले में प्रगति रिपोर्ट की निगरानी करना, जिला बालक संरक्षण ईकाइयों के माध्यम से पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और जैविक माता-पिता की वंशावली प्राप्त करना और संबंधी और सौतेले माता-पिता दत्तकग्रहण के मामले में पूर्व-अनुमोदन पत्र जारी करना, परामर्श और गृह अध्ययन रिपोर्टें आयोजित करने के लिए कुशल पेशेवरों को हायर करना, तय समय से भावी दत्तक माता-पिता की शिकायतों को सुलझाना और प्राधिकरण डाटा सौंपा गया कोई भी कार्य शामिल है;

(त) विशेष जरूरत वाले, अधिक आयु के बालकों और दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बालकों की श्रेणी में आने वाले बालकों के दत्तकग्रहण प्रबंध के लिए राज्य में प्रतीक्षारत माता-पिता के साथ अतिरिक्त प्रयास करना;

(थ) नियम 44 में उपबंधित समय के भीतर राज्य बाल संरक्षण सोसायटी और जिला बालक संरक्षण इकाई की सहायता से ऐसे बालकों के लिए फॉस्टर केयर सहित पुनर्वास का प्रयास करना;

(द) विधिक दत्तकग्रहण पर सुरक्षित अभ्यर्पण, जनजागरुकता, मीडिया और हितधारकों के मामले पर जन जागरुकता अभियान आयोजित करना;

(ध) केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण वेबसाइट में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के डाटा को समय-समय पर अपडेट करना;

(न) विशिष्ट सुझावों के साथ विच्छिन्न या विघटन के मामले में प्राधिकरण को रिपोर्ट अग्रेषित करना।

36. ज़िला मजिस्ट्रेट के कार्य - न्यायालय के समक्ष लंबित दत्तकग्रहण मामलों से संबंधित सभी मामले नियम 45 में प्रदत्त विनियमों की अधिसूचना की तारीख से ज़िला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) नए आवेदनों के मामले में, यह आवेदन भरने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर दत्तकग्रहण आदेश जारी करेगा। इसका उपबंध अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (2) और **अनुसूची 33** में दिए गए प्रारुप के अनुसार किया गया है।

(3) ज़िला मजिस्ट्रेट के निम्नलिखित कार्यकारी कार्य होंगे:-

(क) विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या जिला बालक संरक्षण कार्यालय और बालक के संबंधी परिवार या दत्तकग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए बालक से आवेदन लेना;

(ख) संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा दस्तावेजों की उचित छानबीन के बाद मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक प्रबंधन करना;

(ग) दत्तकग्रहण के मामलों में विशेष रूप से अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के मामले में गोपनीयता बनाए रखना;

(घ) संतुष्ट होने पर दत्तकग्रहण ओदश जारी करना कि -

(i) प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तकग्रहण विनियमों के अधीन किए गए उपबंध का प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए पूर्णतया अनुसरण किया गया है;

(ii) दत्तकग्रहण विनियमों की लागू अनुसूची में किए गए उपबंध के अनुसार दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों का जिला बालक संरक्षण इकाइयां डाटा सत्यापन को सुनिश्चित करना;

(iii) यदि बालक की आयु पाँच वर्ष से अधिक है तो उस बालक की सहमति सुनिश्चित करना;

(iv) प्राधिकरण ने अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में निर्धारित प्ररुप में निराक्षेप प्रमाणपत्र जारी कर दिया है;

(v) दत्तकग्रहण के सभी मामलों में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त उपलब्ध हैं;

(vi) किसी नातेदार दत्तक ग्रहण के मामले में न तो भावी दत्तक माता पिता, न ही विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक के माता पिता या संरक्षक ने दत्तक ग्रहण फीस के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए दत्तक ग्रहण विनियमों के अधीन यथा अनुज्ञात के सिवाय दत्तक ग्रहण के प्रतिफल स्वरूप कोई संदाय किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत हुए है या कोई परितोष प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमत हुए हैं |

(ड.) अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण आदेशों को अपलोड करने के लिए जिला बालक संरक्षण इकाई को निर्देश देना और दत्तकग्रहण रिकार्डों को सुरक्षित अभिरक्षा में संरक्षित रखना;

(च) यदि आवश्यक हो तो किसी भी दत्तकग्रहण प्रक्रिया के दौरान शारीरिक उपस्थिति के लिए देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में किसी भी आवेदक को नोटिस देना;

परंतु अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में भावी दत्तक माता-पिता की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है और यदि जरूरत महसूस हो तो भावी दत्तक माता-पिता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्याप्त समझी जानी चाहिए।

(छ) दत्तकग्रहण के लिए किए गए आवेदन को रद्द या खारिज किया जा सकेगा, यदि दत्तकग्रहण विनियमों में अभिकथित उपबंधों का अनुपालन न किया गया है तो और उसे मौखिक आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट कारण बताते हुए खारिज किया जा सकता है;

(ज) जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा विघटित एवं विच्छेदन किए गए मामलों पुनर्विलोकन करना और यदि विघटन या विच्छेदन का दोषी भावी या दत्तक माता-पिता का होना पाया जाता है तो उन्हें भविष्य में दत्तकग्रहण से प्रतिबंधित किया जा सकता है और इसके बारे में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को सूचना देने के साथ-साथ दत्तक माता-पिता द्वारा किए गए दुराचार और उपेक्षा के लिए समुचित विधिक कार्यवाही करना।

(4) बालक की दत्तकग्रहण से संबंधित जानकारी उजागर करने से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई कोई भी सूचना या दत्तकग्रहण आदेश को दत्तकग्रहण विनियमों में किए गए उपबंध के अनुसार अभिहित पोर्टल के अलावा किसी भी पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाएगा।

(5) इस अधिनियम के बाहर पूर्ण किए गए दत्तकग्रहण के मामले में, ज़िला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी उपबंध उसमें संकलित किए जाने हैं।

(6) सहोदर के मामले में, ज़िला मजिस्ट्रेट जहां तक संभव हो सके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उनकी दत्तकग्रहण की प्रक्रिया होने से पहले वे एक कैंपस या संस्थान में रहें।

(7) यदि दत्तकग्रहण समिति की अध्यक्षता के लिए कोई भी जिला बालक संरक्षण अधिकारी न हो तो ज़िला मजिस्ट्रेट समुचित स्तर का अधिकारी नियुक्त करेंगे।

(8) यदि बालक के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या उसे विशिष्ट जरूरत की आवश्यकता वाले बालक के रूप में पहचाना गया हो तो ज़िला मजिस्ट्रेट ऐसे बालक के बारे में जैसे ही संबंधित जिला बालक संरक्षण ए इकाई की सहायता से विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या बालक देखरेख संस्था से सूचना प्राप्त करते हैं तो तुरंत चौबीस घंटे के भीतर बालक को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजेगा।

(9) मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिव्यागंजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की **अनुसूची 18** के अधीन और विनियमों की **अनुसूची-3 (भाग - ड.)** के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार बालक के स्वास्थ्य की जांच करेगा और आकलन करेगा कि क्या बालक को पंद्रह दिन की अवधि के अन्दर किसी प्रकार का रोग या विशेष जरूरत की आवश्यकता है।

(10) दत्तकग्रहण विघटन के मामले में ज़िला मजिस्ट्रेट **अनुसूची-34** में प्रदत्त प्रारुप के अनुसार जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान द्वारा दायर विघटन आदेश को पारित करेगा।

37. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी विद्यमान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्कीमों के माध्यम से विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान या बालक देखरेख संस्था में रह रहे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को इलाज की सुविधा प्रदान करेगा और पंद्रह दिन के भीतर **अनुसूची-18** और **अनुसूची-3 (भाग-ड.)** में किए गए उपबंधों के अनुसार बालक की स्वास्थ्य की स्थिति को सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बालकों के रूप में वर्गीकृत करेगा तथा साथ ही सरकार की विभिन्न स्कीमों के अधीन ऐसे बालकों के इलाज को भी प्रोत्साहित करेगा।

38. जिला बालक संरक्षण इकाई:- अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ-साथ सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्कीमों के कार्यों के अलावा; जिला बालक संरक्षण इकाई निम्नलिखित कार्य करेगा:-

(1) जिले में अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों की पहचान करना और संस्थान की सहायता से बाल देखरेख समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए बालकों को विधिक रूप से मुक्त घोषित करवाना;

(2) दत्तकग्रहण के लिए जब बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाता है तो इसके घोषित होने के दस दिन के भीतर विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान द्वारा अभिहित पोर्टल पर बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट सुनिश्चित करना।

(3) दत्तकग्रहण की सुविधा के लिए समान जिले में या अन्य जिलों में विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थाओं के साथ बालक देखरेख संस्थाओं के जुड़ाव की सुविधा के लिए कार्य करना।

(4) विधिक रूप से दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित प्रत्येक बालक की दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को ट्रेक करना और जहां भी आवश्यक हो इस मामले में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।

(5) जिले में बालक या बालकों के दत्तकग्रहण के लिए अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन की प्रगति को ट्रैक करना और जहां भी जरूरी हो मामले में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना।

(6) ऐसी सेवाओं को दत्तकग्रहण विनियमों के नियम 35(2) (ढ) में किए गए उपबंधों के अनुसार सूचीबद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं या परामर्शदाताओं के माध्यम से पूरा करवाना।

(7) जिले में दत्तकग्रहण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण और निगरानी करना।

(8) यह सुनिश्चित करना कि विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान द्वारा अभिहित पोर्टल पर डाटा को समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है और यह सही तरीके से किया जा रहा है।

(9) दत्तकग्रहण से संबंधी सभी मामलों में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और प्राधिकरण को सहायता करना।

(10) पुनर्वास प्रयासों और परित्यक्त बालकों को दत्तकग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा करवाने में बाल देखरेख समिति की सहायता करने के साथ ही जहां कहीं भी जरूरत महसूस हो वहां समाचार पत्र में बालक की जानकारी प्रकाशित करना, प्रोबेशन अधिकारी से सामाजिक छानबीन रिपोर्ट प्राप्त करना और विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान की सहायता से पुलिस से नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट प्राप्त करना।

(11) बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित करने के अड़तालीस घंटे के भीतर सत्यापन को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करना जिसमें पहले इस तथ्य को अच्छी तरह जांच लिया गया हो कि यह सत्यापन पत्र समिति के सदस्यों द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित की गई है जिसमें समिति का मुखिया भी शामिल है और समुचित स्तम्भ भरे जा चुके हैं।

(12) जिले में बालकों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित सभी मामलों में ज़िला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना और दत्तकग्रहण से संबंधित सूचना अभिहित पोर्टल पर अपडेट करना;

(13) अभिहित पोर्टल के माध्यम से अड़तालीस घंटों के भीतर सभी भावी दत्तक माता-पिता की शिकायतों को संबोधित करना।

(14) यह सुनिश्चित करना कि इसको पेशेवर स्टाफ अर्थात परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता और संरक्षण अधिकारी गृह अध्ययन करते समय भावी दत्तक माता-पिता के आवश्यक पेपरवर्क और रजिस्ट्रीकरण के समय दी जाने वाली सूचना को सत्यापित करते हैं।

(15) भावी दत्तक माता-पिता के रजिस्ट्रीकरण के दो माह के अंदर ही उनके गृह अध्ययन रिपोर्ट को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना कि उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट को तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व पुन: मान्य की जाए और यदि भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण के लिए पात्र नहीं समझा जाता है तो निर्णय करने के लिए संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को ऐसी सभी गृह अध्ययन रिपोर्ट भेजे और उसके उपरांत ये रिपोर्ट तदनुरूप अभिहित पोर्टल पर अपलोड की जाए;

(16) दत्तकग्रहण की सुनवाई नियत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को मामला प्रस्तुत करने से पहले विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से दस्तावेजों की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर **अनुसूची 9** में यथा उपबंधित दत्तकग्रहण से संबंधित के मामले के सभी दस्तावेजों की संवीक्षा करे;

(17) दत्तकग्रहण के लिए बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित करने में बाल कल्याण समिति की सहायता करना जो विनियम 6 के उप विनियम 7 और विनियम 7 के उप विनियम 11 में यथा विनिर्दिष्ट है;

(18) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से जुड़े बाल देखरेख सस्थान में रह रहे बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट और ऐसी ही रिपोर्टों की व्यवस्था करना।

39. बाल कल्याण समिति: (i) बाल कल्याण समिति विनियम 6 और 7 तथा नियमों के नियम 18 व 19 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

स्पष्टीकरण: संदेह दूर करने के लिए, यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में बालकों को जैविक माता द्वारा स्वयं की इच्छा से समर्पित किया जाता है, बालक का जन्म बिना यौन संबंधों की सहमति के हुआ हो या जहां मामला यौन अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत हुआ हो तो बाल कल्याण समिति निर्धारित समय के भीतर दत्तकग्रहण के लिए बालक को स्वतंत्र करने के लिए बाध्य है जिसमें डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल (डीएनए) नमूना एकत्रित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में दत्तकग्रहण वाले परिवार परेशानी से बच सके।

40. जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण:- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन स्थानीय रजिस्टार विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या दत्तक माता-पिता द्वारा दिए गए आवेदन पर दत्तक बालक के पक्ष में पाँच दिन के भीतर जन्म प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें दत्तक माता-पिता का नाम माता-पिता के रूप में और ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दत्तकग्रहण आदेशों में उल्लेखित बालक की जन्म तिथि भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार होगी:

परंतु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दत्तक माता-पिता की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

41. केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण: प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:-

(1) देश में दत्तकग्रहण को बढावा देना, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के सहयोग से अंतर-राज्यीय दत्तकग्रहण की सुविधा करना और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण को विनियमित करना;

(2) गैर-भारतीय निवासी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों के आवेदन प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण संस्थाओं या केंद्रीय प्राधिकारी या सरकारी विभाग या संबंधित भारतीय राजदूत मिशन के माध्यम से प्राप्त करना और धारा 59 की उप-धारा (5) के अधीन इसे आगे बढ़ाना है;

(3) भारत में एक वर्ष या अधिक समय से रह रहे विदेशी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक से, जो धारा 59 की उप-धारा (12) के अनुरूप भारत से बालक दत्तकग्रहण का इच्छुक हो, उनके आवेदन लेना और तैयार करना;

(4) अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के बारे में भारत के प्रवासन प्राधिकरणों और जिस देश में बालक का दत्तकग्रहण किया जा रहा है उन्हें सूचित करना;

(5) प्रशिक्षण, कार्यशाला, एक्पोजर विजिट, मंत्रणा, सम्मेलन, सेमीनार और अन्य क्षमता निर्माण करने वाली गतिविधियों के माध्यम से राज्य दत्तकग्रहण संस्थाओं, जिला न्यायाधीशों, जिला बालक संरक्षण ईकाइयों, विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थाओं और अन्य हितधारकों को सहयोग और परामर्श देना;

(6) राज्य सरकारों या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन संस्थाओं और जिला न्यायाधीशों के साथ समन्वय स्थापित करना और दत्तकग्रहण से संबंधित मामलों पर उन्हें सलाह देना;

(7) निम्नलिखित से संबंधित समान मानक और संकेतक स्थापित करना:

क. अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों तथा संबंधियों द्वारा दत्तकग्रहण से संबंधित दत्तकग्रहण प्रक्रिया;

ख. सेवा प्रदाताओं की निगरानी और पर्यवेक्षण;

ग. दत्तकग्रहण के मामलों में दस्तावेजों का मानकीकरण;

घ. चिंतास्वतंत्र दत्तकग्रहण की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही बचाव और नैतिक प्रथाएं; और

ङ. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अलावा अन्य अधिनियम के अधीन किए गए दत्तकग्रहण के लिए प्रक्रिया;

(8) दत्तकग्रहण और इससे संबंधित मामलों पर अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और प्रकाशन करना;

(9) अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण के उद्देश्य से बालकों और भावी दत्तक माता-पिता का समग्र केंद्रीयकृत डाटा रखना;

(10) अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण के लिए बालकों और भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित गोपनीय केंद्रीयकृत डाटाबेस रखना;

(11) या तो स्वयं या अपने अनुषंगी निकायों द्वारा दत्तकग्रहण और अन्य गैर संस्थागत बाल देखरेख सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एडवोकेसी, जागरूकता और सूचना, शिक्षा और संवाद गतिविधियां आयोजित करना;

(12) जहां कहीं आवश्यक हो; हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अधीन किए गए उपबंधों के अनुसार विदेशी केंद्रीय प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय समझौते करना;

(13) भारतीय बालकों के अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए अनिवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारकों या विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों को प्रत्यायोजित करने के लिए विदेशी दत्तकग्रहण संस्थाओं को प्राधिकृत करना;

(14) अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में सिस्टम जनरेटेड निराक्षेप प्रमाणपत्र जारी करना;

(15) अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करना;

(16) उन भावी दत्तक माता-पिता के लिए आयु की आवश्यकता को सरल बनाना जो विशेष आवश्यकता वाले जरूरतमंद बालकों या कठिन श्रेणी में आने वाले बालकों का दत्तकग्रहण करते हैं;

(17) निम्नलिखित परिस्थितियों में दत्तक माता-पिता से अनिवार्य शपथ प्राप्त करने के लिए **अनुसूची 17** में किए गए

उपबंध के अनुसार सिस्टम जनरेटेड समर्थन पत्र क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस को जारी करना:-

क. जब निवासी भारतीय दत्तक माता साधारणतया भारत में रहते हुए अधिनियम के अनुसार दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है और जब वह विदेश में जाना चाहता है तो यह प्रक्रिया प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण संस्थाओं या केंद्रीय प्राधिकारियों या सरकारी विभाग या संबंधित भारतीय मिशन के माध्यम से पश्च-दत्तकग्रहण कार्यवाही के शेष को पूरा करने के लिए शपथ के अधीन है और इस संबंध में, दत्तक माता-पिता को प्राप्तकर्ता देश द्वारा निर्धारित किए गए व्यावसायिक शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता है।

ख. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समर्थन पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कोई विशेष परिस्थिति।

(18) आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने पर हेग दत्तकग्रहण अभिसमय द्वारा प्रमाणित देशों के मामले में इन विनियमों के अध्याय 8 (हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन दत्तकग्रहण के मामलों में निराक्षेप प्रमाणपत्र जारी करना तथा हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में जो देश शामिल नहीं है उन्हें समर्थन पत्र जारी करना जब प्राप्तकर्ता देश के संबंधित सरकारी विभाग से कथित दत्तकग्रहण की स्वीकार्यता का पत्र प्राप्त हो जाए;

(19) दत्तकग्रहण के माध्यम से परिवार प्राप्त करने में असक्षम बालकों के लिए ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे बालकों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा मिल सके।

42. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी

(1) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय समय समय पर केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार आवशयक दस्तावेजों के साथ साथ फोटो, बायोमेट्रिक आदी लेने के साथ ही सभी के पूरा होने के दस दिन के अंदर दत्तक बालक के लिए पासपोर्ट जारी करेगा।

(2) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्राधिकरण के निराक्षेप प्रमाणपत्र, बालक की जन्म की तारीख उल्लिखित करते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए दत्तकग्रहण के आदेश तथा अनुरूपता प्रमाणपत्र (हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से प्रमाणित देशों के मामले में) के आधार पर पासपोर्ट जारी कर सकता है;

(3) पासपोर्ट आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों को जमा करते समय दोनों दत्तक माता-पिता की उपस्थिति वांछनीय होगी। हालांकि, यदि दत्तक माता-पिता में से एक ही उपस्थित हो पाता है तो पासपोर्ट मैनुअल का **उपाबद्ध 'घ'** यथोचित भरा जाना चाहिए तथा दस्तावेजों को जमा करते समय हस्ताक्षर भी किए जाने चाहिए।

(4) दत्तक बालक के पासपोर्ट आवेदन को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के अपॉइन्टमेंट स्लॉट की अनुमति के लिए अनुरोध पर प्राथमिकता दी जाएगी।

(5) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ऐसे मामलों में पहले के अपॉइन्टमेंट को टाल देंगे जहां विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट आवेदन के साथ गए हों और उन्हें यथाशीघ्र पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बायोमैट्रिक डाटा या फोटो लेने या सत्यापन आदि के लिए स्लॉट, आवंटित करेंगे।

(6) पासपोर्ट आवेदन के सभी दस्तावेज प्ररूप दत्तक माता-पिता द्वारा स्व-प्रमाणित होने चाहिए;

(7) अधिनियम के अधीन पूरे किए गए सभी अंतर-देशीय दत्तकग्रहणों में जहां बालक के साथ दो वर्ष के कानून निवास को पूरा नहीं किया गया हो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्राधिकरण से प्राप्त समर्थन पत्र के आधार पर बालक को पासपोर्ट जारी करेगा।

(8) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को प्राधिकरण से समर्थन पत्र की आवश्यकता नहीं होगी यदि दत्तकग्रहण आदेश जारी करने के बाद दत्तक माता-पिता ने विधिक निवास के दो वर्ष पूरे कर लिए हो।

43. अंतर्देशीय दत्तकग्रहण में भारतीय राजनयिक मिशनों की भूमिका- भारतीय बालकों के अंतर्देशीय दत्तकग्रहण में विदेशों में भारतीय राजनयिक मिशनों की निम्नलिखित भूमिका होगी, अर्थात:-

(1) अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के मामले में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों, केन्द्रीय प्राधिकारियों, संबंधित विदेशी सरकारी विभागों और जहां आवश्यक हो उनके द्वारा

प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से संपर्क स्थापित करना, समन्वय करना और सुगम बनाना;

(2) भारतीय बालकों के दत्तकग्रहण के प्रायोजन संप्रयोग के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्राधिकारी या संबंधित सरकारी विभाग के परामर्श से अनुज्ञप्ति चाहने वाले विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रस्तावों की सिफारिश करना;

(3) भावी विदेशी दत्तक माता-पिता को जो दत्तकग्रहण के पहले, प्राधिकारी द्वारा दत्तकग्रहण आवेदन अनुमोदित किए जाने के बाद और दत्तकग्रहण आदेश के जारी किए जाने के बाद बालक को अपने अभिरक्षा में लेने के लिए, भारत में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में बालक को देखना चाहते हैं, के लिए सहायक दस्तावेजों के आधार पर वीजा जारी करना;

(4) हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों में जहां दत्तकग्रहण के मामले को निपटाने के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या सरकारी विभाग नहीं हैं, गृह अध्ययन रिपार्ट सहित दत्तकग्रहण आवेदन की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को सूचीबद्ध करना और प्राधिकृत करना;

(5) हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों में प्राप्त करने वाले देश में बालक के पहुंचने से पहले वर्ष में पाक्षिक और दूसरे वर्ष में छमाही आधार पर बालक की प्रगति रिपोर्ट भेजने और दत्तकग्रहण के विच्छेद होने के मामले में विनियम 20 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ताओं से संबंध स्थापित करना;

(6) विदेश में स्थानांतरित होने वाले ग्राही दत्तक माता-पिता की शेष प्रगति रिपोर्ट को पूरा करने के लिए हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करना;

(7) स्थानीय प्राधिकारियों, संबंधित दत्तकग्रहण अभिकरण और प्राधिकरण के परामर्श से आवश्यक होने पर बालक के प्रत्यावर्तन में आवश्यक मदद करना और सुविधा प्रदान करना।

अध्याय- 7
प्रकीर्ण उपबंध

44. **भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता -** (1) निवासी भारतीय या अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता को राज्यों के विशिष्ट और क्लस्टर विशिष्ट विकल्प के आधार पर बालकों को ज्येष्ठता के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से और इन नियमों के अधीन निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार होगा, जबकि विदेशी भावी दत्तक माता-पिता को 'भारत में कहीं भी' के आधार पर अभिनिर्देशन प्रदान किया जाएगा।

(2) भारत में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता के किसी भी कारण से निर्दिष्ट बालक को लेने के लिए इच्छुक नहीं होने के मामले में, अड़तालीस घंटे की आरक्षण अवधि की समाप्ति के बाद बालक प्रतीक्षा सूची में अगले प्रतीक्षारत भावी दत्तक माता-पिता को स्वतः निर्दिष्ट हो जाएगा।

(3) विदेश में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता के किसी भी कारण से संदर्भित बालक को लेने के इच्छुक नहीं होने के मामले में, छियान्वे घंटे की आरक्षण अवधि की समाप्ति के बाद बालक प्रतीक्षा सूची में अगले प्रतीक्षारत भावी दत्तक माता-पिता को स्वत: निर्दिष्ट हो जाएगा।

(4) निवासी भारतीयों की ज्येष्ठता अभिहित पोर्टल पर गृह अध्ययन रिपोर्ट को छोड़कर, ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण और दस्तावेजों को जमा करने की तिथि पर आधारित होगी।

(5) अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक या विदेश में रहने वाले विदेशी भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण की तारीख और अभिहित पोर्टल पर गृह अध्ययन रिपोर्ट के साथ अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की तिथि पर आधारित होगी।

(6) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता की गणना, जिन्होंने अविवाहित के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराया लेकिन बाद में शादी कर ली, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष के स्थिर वैवाहिक संबंध और एक नई गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने के अधीन की जाएगी।

(7) भावी दत्तक माता-पिता की ज्येष्ठता की गणना, जो युगल के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, लेकिन बाद में तलाकशुदा, विधवा या पुनर्विवाह कर लिया हो, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक नई गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने और पुनर्विवाह के मामले में दो वर्ष के स्थिर वैवाहिक संबंध के अधीन की जाएगी।

(8) सामान्य बालक के लिए रजिस्ट्रीकृत भावी दत्तक माता-पिता, विशेष आवश्यकता वाले बालक के दत्तकग्रहण में सक्षम होंगे या उसी रजिस्ट्रीकरण के साथ बालक को रखने में सक्षम होंगे।

45. **उन देशों में रहने वाले भारतीय माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं।–(1)** ऐसी स्थिति में जहां भारतीय माता-पिता में से एक भारत में रह रहा है और पति या पत्नी अस्थायी वर्क परमिट पर ऐसे देश में काम कर रहे हैं जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है**,** माता-पिता को यह तय करना होगा कि उन्हें अपना गृह अध्ययन कहां कराना है और इस उद्देश्य के लिए**,** उन्हें देश के भीतर या विदेश में एक साथ रहना होगा।

(2) यदि अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता किसी ऐसे देश में प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है**,** तो भारतीय मिशन ऐसे माता-पिता को अभिहित पोर्टल पर अधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से गृह अध्ययन रिपोर्ट और दत्तकग्रहण के बाद की अनुवर्तन रिपोर्ट को अपलोड करने सहित दत्तकग्रहण की प्रक्रिया की व्यवस्था भारतीय मिशन करेगा।

(3) ऐसे देश में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण के लिए जो हेग अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, **अनुसूची 6** में निर्दिष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

46. समय सीमा का अनुपालन- दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में शामिल सभी अभिकरणों और प्राधिकरणों को **अनुसूची 14** में निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करना होगा।

47. मूल वंशज की खोज- (1) यदि बालक के अध्यर्पित करने के समय जैविक माता-पिता ने विशेष रूप से अज्ञात रहने का अनुरोध किया है, तो जानकारी प्रकट करने से पहले विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा, जैसा भी मामला हो, जैविक माता-पिता की लिखित सहमति ली जाएगी।

(2) पुराने दत्तकों द्वारा मूल वंशज की तलाश करने के मामले में, जब भी किसी दत्तक द्वारा संपर्क किया जाता है तो अभिकरण या संबंधित प्राधिकारी जो प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण, भारतीय राजनयिक मिशन, प्राधिकरण, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण हैं, उनके मूल वंशज की तलाश की सुविधा प्रदान करेगी।

(3) अठारह वर्ष से ऊपर के व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि अठारह वर्ष से कम उम्र के बालक अपने दत्तक माता-पिता के साथ संयुक्त रूप से मूल वंशज की तलाश की सुविधा के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(4) अध्यर्पित मामलों में जैविक माता-पिता द्वारा इंकार करने या माता-पिता का पता न लग पाने की स्थिति में, जिन कारणों और परिस्थितियों के अधीन जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, उनके बारे में दत्तक को बताया जाएगा।

(5) किसी तीसरे पक्ष द्वारा मूल वंशज की खोज की अनुमति नहीं दी जाएगी और संबंधित अभिकरण या प्राधिकरण जैविक माता-पिता, दत्तक माता-पिता या दत्तक बालक से संबंधित किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेंगे।

(6) दत्तक बालक का अधिकार जैविक माता-पिता की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा।

48. दत्तकग्रहण अभिलेखों की गोपनीयता- दत्तकग्रहण प्रक्रिया में शामिल सभी अभिकरणों या प्राधिकरणों के सिवाय इसके कि किसी अन्य कानून के अधीन अनुमति दी गई है, यह सुनिश्चित करना होगा कि दत्तकग्रहण अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखी जाए और इस तरह के उद्देश्य के लिए दत्तकग्रहण के आदेश को किसी भी सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है।

49. दत्तकग्रहण के लिए फीस – (1) भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण का खर्च वहन करना होगा और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को दत्तकग्रहण की फीस और उनके उपयोग के तरीके का पालन करना होगा जैसा कि **अनुसूची 15 में** उपबंध किया गया है और जिसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

(2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या सबद्ध बालक देखरेख संस्था भावी दत्तक माता-पिता से दत्तकग्रहण की फीस प्राप्त कर सकता है और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार धन का उपयोग कर सकता है।

(3) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को बालक को दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकद या वस्तु के रूप में कोई दान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

50. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा दत्तकग्रहण आंकड़े को अद्यतन करना:- विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण **अनुसूची 14** में प्रदान की गई निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अभिहित पोर्टल पर आंकड़े को अद्यतन करेगा।

51. विशेष आवश्यकता वाले बालकों का दत्तकग्रहण: – (1) गृह अध्ययन के माध्यम से बाल कल्याण समिति द्वारा विशेष जरूरत वाले बालकों को दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित किए जाने के बाद उनकी प्रोफाइल को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने की तारीख से पात्र और उपयुक्त पाए गए विशेष आवश्यकता वाले बालकों, जो निवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध होंगे की दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को संबंधित अभिकरणों या अधिकारियों द्वारा यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जाएगा:

परंतु विशेष आवश्यकता वाले ऐसे बालक विदेशी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के बाद उपलब्ध होंगे।

(2) सभी भावी दत्तक माता-पिता यह इंगित करने में सक्षम होंगे कि क्या वे विशेष आवश्यकता वाले बालक की एक विशिष्ट श्रेणी का दत्तकग्रहण करना चाहते हैं।

(3) विशेष आवश्यकता वाले बालकों का दत्तकग्रहण के मामलों पर कार्रवाई करते समय विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि भावी दत्तक माता-पिता बालक की उचित चिकित्सा स्थिति से अवगत हों और बालक को अतिरिक्त देखरेख और ध्यान देने के लिए तैयार हों।

(4) इन विनियमों की **अनुसूची 18** और **अनुसूची 3** (भाग ड.) में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के जो प्रकार दिए गए हैं, वे सांकेतिक हैं और संपूर्ण नहीं हैं; इसे www.cara.nic.in से देखा जा सकता है और इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(5) विशेष आवश्यकता वाले बालक जिनका दत्तकग्रहण नहीं किया गया था, उन्हें विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा उचित देखरेख और सुरक्षा प्रदान की जाएगी और यदि उनके पास आवश्यक सुविधाएं और उनकी दीर्घकालिक देखरेख के साधन नहीं हैं, तो ऐसे बालकों को किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित किसी अन्य विशिष्ट संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(6) विशेष आवश्यकता वाले बालकों का उपचार:-

(क) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण में बालक के प्रवेश के एक महीने के भीतर, संस्थान **अनुसूची 4** में निर्दिष्ट चिकित्सा परीक्षणों की व्यवस्था करेगा, और बाल कल्याण समिति द्वारा ऐसे बालकों के दत्तकग्रहण के मुक्त घोषित करने की तिथि से दस दिनों के भीतर अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अपने बाल रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक के माध्यम से चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा।

(ख) जहां चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट में पता चलता है कि बालक किसी स्वास्थ्य समस्या या बीमारी से पीड़ित है, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को

मामले को चौबीस घंटे के भीतर सिफारिश करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए सूचित करेगा।

(ग) मुख्य चिकित्सा अधिकारी तब विशेष आवश्यकता वाले बालक को वर्गीकृत करने से पहले उक्त बालक का अतिरिक्त जांच और चिकित्सा परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जैसा कि **अनुसूची 3 (भाग ड.)** में उपबंध किया गया है।

(घ) रोग उपचार योग्य होने के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभिन्न सरकारी स्कीमों के अधीन विशेष आवश्यकता वाले ऐसे बालक के उपचार की सुविधा और पर्यवेक्षण करेगा।

(ड.) मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे बालक का इलाज जल्द से जल्द पूरा हो जाए।

(च) बालक का इलाज पूरा होने के बाद, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अभिहित पोर्टल पर बालक के स्वास्थ्य की स्थिति को तदनुसार अद्यतन करेगा।

52. बड़े बालकों और सहोदर का दत्तकग्रहण: –(1) चूंकि बड़े बालक को असंबंधित माता-पिता के साथ तालमेल बैठाने में समय लगता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि संस्था छोड़ने से पहले बालक और भावी दत्तक माता-पिता को एक-दूसरे से परिचित कराया जाए।

(2) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण के मार्गदर्शन में, भावी दत्तक माता-पिता बड़े बालकों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, उन्हे अपनी अभिरक्षा में लेने से पहले भी बातचीत कर सकते हैं और भावी दत्तक माता-पिता को संस्थान छोड़ने से पहले बालक के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(3) सहोदर और बड़े बालक, बाल कल्याण समिति द्वारा उन्हें विधिक रूप से दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित करने के बाद अभिहित पोर्टल पर उनके प्रोफाइल अपलोड करने की तारीख से निवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए उपलब्ध माने जाएंगे और अन्य श्रेणी के भावी दत्तक माता-पिता के लिए वे तीस दिनों बाद उपलब्ध होंगे।

53. बालकों के पुनर्वास के लिए अन्य विकल्प:- (1) प्राधिकरण अपनी संचालन समिति के अनुमोदन से दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बालकों को, अभिहित पोर्टल पर पोषण देखरेख के माध्यम से दत्तकग्रहण के लिए अतिरिक्त प्रयास कर सकता है।

(2) जिन बालकों को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद दत्तकग्रहण नहीं किया जा रहा है, वे नियमों के नियम 44 और विनियमों की **अनुसूची 16** के अधीन उपयुक्त पोषण माता-पिता द्वारा पोषण देखरेख के लिए पात्र हो सकते हैं।

(3) दत्तकग्रहण में कठिनाई वाले बालक पालक देखरेख के लिए पात्र होंगे और नियमों के नियम 44 में निर्धारित अन्य श्रेणियों के बालकों के साथ ऐसे बालकों की सूची जिला बालक संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के लिए अभिहित पोर्टल के माध्यम से सुलभ होगी।

(4) पोषण देखरेख में रखे गए बालकों का दत्तकग्रहण के उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और बालक देखरेख संस्था के बीच इसके द्वारा दत्तकग्रहण के उद्देश्य के लिए स्थापित संपर्क के अनुसार संपर्क प्रदान करेगा।

(5) ऐसे बालकों के दत्तकग्रहण के इच्छुक पालक परिवार उक्त अभिहित पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रीकरण कराएंगे।

(6) भावी पोषण माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे और वे जीवन खतरे वाली चिकित्सा स्थिति में नहीं होंगे और उन्हें किसी भी आपराधिक कृत्य में दोषी नहीं ठहराया गया हो या वे बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपी न हों।

54. **देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तकग्रहण-** (1) भावी दत्तक माता-पिता अभिहित पोर्टल पर **अनुसूची 6** में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रीकरण करेंगे।

(2) जैविक माता-पिता की सहमति या बाल कल्याण समिति की अनुमति, जैसा भी मामला हो, की आवश्यकता होगी जैसा कि क्रमशः **अनुसूची 19** या **अनुसूची 22** में उपबंध किया गया है।

(3) यदि बालक पांच वर्ष या उससे अधिक आयु का है तो बालक की सहमति प्राप्त की जाएगी।

(4) देश में रिश्तेदार दत्तकग्रहण के मामलों में **अनुसूची 24** में निर्दिष्ट उनकी वित्तीय और सामाजिक स्थिति के समर्थन में दत्तक माता-पिता के शपथ पत्र की आवश्यकता होती है।

(5) भावी दत्तक माता-पिता का जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा यथोचित सत्यापन किया जाएगा।

(6) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण मामले को आगे आवश्यक अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को संदर्भित करेगी जिसके बाद राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा पूर्व-अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जैसा कि **अनुसूची 25** में उपबंध किया गया है।

(7) यदि भावी दत्तक माता-पिता के पास विदेशी पासपोर्ट है, तो मामला विशिष्ट की सलाह के लिए प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

(8) आवेदन की जांच के बाद जिला बालक संरक्षण इकाई उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करेगी, जैसा कि **अनुसूची 30** में उपबंध किया गया है, जहां बालक साधारणतया निवास कर रहा है।

(9) जिला बालक संरक्षण इकाई संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी और उसकी एक प्रति अभिहित पोर्टल के माध्यम से प्राधिकरण और दत्तक माता-पिता को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी।

55. सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण– (1) दंपत्ति (सौतेले माता-पिता और जैविक माता-पिता में से एक) **अनुसूची 6** में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करेंगे।

(2) बालक या बालकों को दत्तकग्रहण वाले जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता की सहमति **अनुसूची 20** में प्रदान की जाएगी।

(3) यदि बालक की अभिरक्षा को लेकर मुकदमा चल रहा है, तो संबंधित अदालत द्वारा मामले को अंतिम रूप देने के बाद ही दत्तकग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

(4) सौतेले माता-पिता या दंपित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा उचित सत्यापन प्राप्त करेंगे।

(5) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण आवश्यक अनुमोदन के लिए मामले को प्राधिकरण को संदर्भित करेगा जिसके बाद **अनुसूची 25** में उपबंध के अनुसार राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा पूर्व-अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(6) यदि भावी दत्तक माता-पिता के पास विदेशी पासपोर्ट है, तो विशिष्ट सलाह के लिए मामला प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा।

(7) जिला बालक संरक्षण इकाई से उचित सत्यापन और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा अनुमोदन के बाद **अनुसूची 32** में प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दायर करेंगे, जहां बालक स्वाभाविक रूप से रह रहा है।

(8) जिला बालक संरक्षण इकाई संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी और अभिहित पोर्टल के माध्यम से उसकी एक प्रति प्राधिकरण और दत्तक माता-पिता को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी।

(9) सौतेले माता-पिता द्वारा अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के मामले में, अंतर्देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा और **अनुसूची 20** में उपबंध के अनुसार बाल कल्याण समिति के समक्ष अपेक्षित सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा और फिर **अनुसूची 21** में उपबंध के अनुसार परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट को पूरा करना होगा।

56. अंतर्देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण– (1) किसी रिश्तेदार के बालक को दत्तकग्रहण के इच्छुक अनिवासी भारतीय या

भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने और अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने निवास के देश में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

(2) यदि उनके निवास के देश में कोई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, तो किसी रिश्तेदार के बालक को दत्तकग्रहण के इच्छुक भावी दत्तक माता-पिता संबंधित सरकारी विभाग या उस देश में भारतीय राजनयिक मिशन (भारतीय नागरिकों और भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के मामलों में) से संपर्क करेंगे।

(3) गृह अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने पर, यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित विभाग या भारतीय राजनयिक मिशन (भारतीय नागरिकों के मामलों में) अभिहित पोर्टल पर **अनुसूची 6** में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(4) अंतर्देशीय दत्तकग्रहण से संबंधित मामलों में अनुवर्ती विनियम 57, 58, 59 और 60 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

57. प्राधिकरण से अंतर्देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण की प्रक्रिया– (1) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता के प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ गृह अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अधिकरण दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए **अनुसूची 21** में उपबंध के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ उसे राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई को अग्रेषित करेगा।

(2) जिला बालक संरक्षण इकाई अपने सामाजिक कार्यकर्ता से परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट प्राप्त करेगी और इस उद्देश्य के लिए वह प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार शुल्क वसूल कर सकता है।

(3) जिला बालक संरक्षण इकाई प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या विदेश स्थित भारतीय मिशन को प्रस्तुत करने के लिए बालक और जैविक परिवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट की प्रति संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के माध्यम से प्राधिकरण को अग्रेषित करेगी।

(4) रिश्तेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्राधिकरण उसे हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 4 और 16 के अधीन अपेक्षा के अनुसार प्राप्तकर्ता देश को अग्रेषित करेगा।

(5) उप विनियम (3) में निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, प्राधिकृतविदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग प्राधिकरण को हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 17 के अधीन प्रमाण पत्र अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा।

(6) ऐसे देशों के मामले में जिन्होंने भारतीय नागरिकों के संबंध में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, रिश्तेदार के बालक की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट और प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन पत्र संबंधित सरकारी विभाग या उस देश के भारतीय मिशन को भेजा जाएगा जो प्राधिकरण को सिफारिश पत्र जारी करेगा।

(7) भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के मामले में जो भारत में रहने वाले भावी दत्तक माता-पिता हैं, ऐसे माता-पिता अभिहित पोर्टल पर सीधे रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं और प्रारंभिक आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।

58. प्राधिकरण का निराक्षेप प्रमाण पत्र– सभी अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के मामले में, प्राधिकरण प्राप्तकर्ता देश से हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद **5** या **17** के अधीन जारी प्रमाण पत्र की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर बालक के दत्तकग्रहण के पक्ष में निराक्षेप प्रमाण पत्र जारी करेगा और इसकी प्रति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी।

59. रिश्तेदार और सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के लिए दत्तकग्रहण आदेश– (1) भावी दत्तक माता-पिता, जो धारा 2 के खंड (52) में परिभाषित किसी रिश्तेदार के बालक का दत्तकग्रहण करना चाहते हैं, देश के भीतर रिश्तेदार दत्तकग्रहण या अंतर्देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण के मामले में क्रमशः अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) या

धारा 60 की उप-धारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दाखिल करेंगे।

(2) भावी दत्तक माता-पिता जिला बालक संरक्षण इकाई के कार्यालय के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दाखिल करेंगे।

(3) देश के भीतर रिश्तेदार दत्तकग्रहण के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता **अनुसूची 6 और अनुसूची 9** में उपबंध के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ **अनुसूची 30** में उपबंध के अनुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण आवेदन दाखिल करेंगे, जहां बालक जैविक माता-पिता या अभिभावकों के साथ स्वाभाविक रूप से रहता है।

(4) अंतर देशीय रिश्तेदार दत्तकग्रहण के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता **अनुसूची 6** और **अनुसूची 9** में उपबंध के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ **अनुसूची 31** में उपबंध के अनुसार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण आवेदन दाखिल करेंगे, जहां बालक जैविक माता-पिता या अभिभावकों के साथ स्वाभाविक रूप से रहता है।

(5) सौतेले माता-पिता और जैविक माता-पिता, जो जीवनसाथी के बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करना चाहते हैं, **अनुसूची 6** और **अनुसूची 9** में उपबंध के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ **अनुसूची 32** में उपबंध के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण का आवेदन दाखिल करेंगे, जहां बालक स्वाभाविक रूप से रहता है।

(6) दत्तकग्रहण आदेश जारी करने से पहले, जिला मजिस्ट्रेट यथास्थिति अधिनियम की धारा 61 और विनियम 54 से 57 के अधीन निर्धारित विभिन्न शर्तों के बारे में खुद को संतुष्ट करेंगे।

(7) भावी दत्तक माता-पिता जिला मजिस्ट्रेट से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेंगे और प्राधिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए उसकी प्रति जिला बालक संरक्षण इकाई को प्रस्तुत करेंगे।

60. अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करना– यदि दत्तक बालक का प्राप्तकर्ता देश हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है, तो प्राधिकरण अभिहित पोर्टल पर दत्तकग्रहण आदेश की उपलब्धता की तारीख से तीन दिन के भीतर **अनुसूची 11** में प्रदान किए गए प्रारूप में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 23 के अधीन अनुरूपता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

61. बालक देखरेख संस्था और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ इसका जुड़ाव– (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी बालक देखरेख संस्था, जिन्हें विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यह सुनिश्चित करेंगी कि उनकी देखभाल और संरक्षण के अधीन सभी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित किए गए बालकों को अधिनियम की धारा 32, धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 66 की उप-धारा (1) के उपबंधों और इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा सूचित, प्रस्तुत और दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है।

(2) ऐसी रिपोर्ट में बालक का नाम, लिंग, जन्म तारीख या उम्र, तस्वीर और स्वास्थ्य की स्थिति, बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा (यदि कोई हो), पता या स्रोत (जहां ज्ञात हो) और बालक को संस्था में लाए जाने और दाखिल किए जाने के तरीके और परिस्थितियों को शामिल किया जाएगा।

(3) संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई अधिनियम के उपबंधों, इसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के अधीन निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित किए गए बालक के दत्तकग्रहण के लिए उसे विधिक रूप से मुक्त घोषित करने में संबंधित बालक देखरेख संस्था को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

(4) जिला बालक संरक्षण इकाई उस बालक देखरेख संस्था को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के साथ जोड़ने के लिए जिम्मेदार होगी जहां दत्तकग्रहण के योग्य बालकों की पहचान की गई है।

(5) यदि बालक देखरेख संस्था उसी जिले में स्थित है–

(क) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक प्रलेखन और औपचारिकताओं को पूरा करेगा, जिसमें क्रमशः **अनुसूची 2** और **अनुसूची 3** में उपबंध के अनुसार बालक की

बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार करना शामिल है; और

(ख) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण बालक की प्रोफाइल को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिसमें बालक की तस्वीर, बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति से प्रमाण पत्र शामिल है जिसमें दत्तकग्रहण के लिए बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है।

(6) यदि बालक देखरेख संस्था और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण एक ही जिले में स्थित नहीं हैं–

(क) जिला बालक संरक्षण इकाई **अनुसूची 2** और **अनुसूची 3** में उपबंध के अनुसार किसी सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से बालक की क्रमशः बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट तैयार कराएगी;

(ख) जिला बालक संरक्षण इकाई अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रोफाइल अपलोड करेगी, जिसमें बालक की तस्वीर, बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और बाल कल्याण समिति से प्रमाण पत्र शामिल है जिसमें दत्तकग्रहण के लिए बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है; तथा

(ग) अभिहित पोर्टल पर बालकों के दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, लिंक्ड विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे बालकों के दत्तकग्रहण में सहायता प्रदान करने के लिए उनकी जानकारी को अक्सेस करेगा।

(7) यदि बाल देखदेख संस्था को लिंक करने के लिए जिले में एक से अधिक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण होंगे, तो इन दो के बीच दूरी, बालक की आवश्यकताओं और विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा।

(8) दत्तकग्रहण समिति में शामिल होंगे–

(क) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का दत्तकग्रहण प्रभारी या सामाजिक कार्यकर्ता;

(ख) बाल देखदेख संस्था का बाल रोग विशेषज्ञ या अतिथि डॉक्टर;

(ग) उस जिले की जिला बालक संरक्षण इकाई से अधिकारी जहां बालक देखरेख संस्था स्थित है; और

(घ) बाल देखदेख संस्था का प्रतिनिधि, यदि उसके बालक को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से लिंक किया गया है।

(9) दत्तकग्रहण के ऐसे सभी मामलों में जिला बालक संरक्षण अधिकारी के माध्यम से विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण आवेदन दाखिल किया जाएगा और बालक देखरेख संस्था को सह आवेदक बनाया जाएगा।

(10) यदि बालक ऐसे बालक देखरेख संस्था से है जो दूसरे जिले में स्थित है तो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण जिला बालक संरक्षण ईकाई के माध्यम से उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास दत्तकग्रहण आवेदन दाखिल करेगा जहां बालक अवस्थित है।

(11) दत्तकग्रहण फीस को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और बालक देखरेख संस्था के बीच उस अनुपात में साझा किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(12) जिला बालक संरक्षण ईकाई जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से दत्तकग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेगी और भावी दत्तक माता-पिता, बालक देखरेख संस्था, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को उसकी प्रति प्रस्तुत करेगी और अभिहित पोर्टल पर उसे अपलोड करेगी।

62. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण और केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण में अपील- (1) देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में कोई भावी दत्तक माता-पिता या बालक या उनकी ओर से कोई व्यक्ति, जो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की राय के कारण दत्तकग्रहण के लिए चयन न होने या भावी दत्तक माता-पिता या दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की पात्रता से संबंधित मुद्दों या भावी दत्तक माता-पिता या बालक से संबंधित प्रलेखन जैसे कि गृह अध्ययन रिपोर्ट या भावी दत्तक माता-पिता की स्वास्थ्य स्थिति, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट या अभिहित पोर्टल से संबंधित किसी तकनीकी मुद्दे के कारण व्यथित हैं, राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

(2) व्यथित पक्ष द्वारा उप विनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन राय या निर्णय की तारीख से 7 दिन के भीतर दाखिल किया

जाएगा।

(3) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा।

(4) यदि व्यथित पक्ष 15 दिन की नियत अवधि के भीतर उपयुक्त प्रत्युत्तर प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो वह उक्त प्रत्युत्तर की प्राप्ति से 48 घंटे के भीतर अपनी शिकायत के निवारण के लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को लिखेगा। जिस पर प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर विचार किया जाएगा।

(5) अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के मामलों में, अपील उप विनियम (2) में नियत समय सीमा के भीतर प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी और प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगा।

63. शिथिल करने की शक्ति और निर्वचन– (1) किसी मामले या मामलों की श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने तथा छूट प्रदान करने की शक्ति प्राधिकरण की शिथिलता समिति के पास होगी।

(2) प्राधिकरण की शिथिलता समिति की अध्यक्षता प्राधिकरण की संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और इसके दो सदस्य होंगे, इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संचालन समिति का कोई सदसृय जिसे विधि का अनुभव हो।

(3) प्राधिकरण की शिथिलता समिति का कोई भी निर्णय आम तौर पर किसी भावी दत्तक माता-पिता की ज्वेष्ठता को परिवर्तित नहीं करेगा, जब तक की लिखित रूप में कारण अभिलिखित न किए गए हों और मुख्य वजह बालक का सर्वोत्तम हित न हो।

(4) इन विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन में किसी संदिग्धता के मामले में प्राधिकरण का विनिश्चय अभिभावी होगा।

अध्याय- 8

बालक को विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखने वाले माता-पिता द्वारा हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 के अधीन दत्तक बालकों के लिए प्रक्रिया

64. यह अध्याय लागू होगा —

(क) देश के बाहर निवास करने वाले दत्तक माता-पिता हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन दत्तकग्रहण के मामलों पर; और

(ख) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से बाहर के देशों से संबंधित दत्तकग्रहण के सभी मामलों पर।

65. केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन प्रोसेस करने के लिए अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए आवेदनों को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

66. विनियम 67, 68, 69, 70 और 71 में निर्दिष्ट प्रक्रिया को ऐसे अनिवासी भारतीयों या प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक भावी दत्तक माता-पिता के लिए दत्तकग्रहण प्रक्रिया के रूप में निर्धारित की गई है जो देश के बाहर रहते हैं और हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन भारत से किसी बालक को दत्तकग्रहण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

67. रजिस्ट्रीकृत दत्तकग्रहण विलेख के मामले में प्रक्रिया– (1) ऐसे मामलों में जहां हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अनुसरण में दत्तकग्रहण (संशोधन) विनियम 2021 के प्रारंभ होने से पूर्व दत्तकग्रहण विलेख निष्पादित किया जा चुका है, दत्तकग्रहण विलेख के तथ्यों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किया जाएगा और **अनुसूची 35** में उपलब्ध रूपविधान में संस्तुत किया जाएगा।

(2) **अनुसूची 35** के अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन की प्राप्ति पर केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के उपबंधों के अनुसार प्राप्तकर्ता देश से अनुच्छेद 5 या 17 के उपबंधों का पालन करेगा।

(3) ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेग अनुसमर्थित देशों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा और अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के संबंध में बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय के अंतर्गत न आने वाले देशों के मामले में, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण सरकारी विभाग से उक्त दत्तकग्रहण का एक स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर एक समर्थन पत्र जारी करेगा।

68. अंतरदेशीय दत्तकग्रहण की प्रक्रिया–

(1) 17 सितंबर, 2021 के बाद शुरू किए गए मामलों में, पात्र अनिवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक, जो भारत से दत्तकग्रहण किए गए बालक को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, द्वारा हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन संचालित सभी अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए निम्नलिखित मानक सामान्य प्रक्रिया लागू होगी।

(2) कोई हिंदू भावी दत्तक माता-पिता जो स्वाभाविक रूप से विदेश में रहता है और भारत में रहने वाले भारतीय हिंदू माता-पिता से जन्मे किसी भारतीय हिंदू बालक का दत्तकग्रहण करना चाहता है, हेग अनुसमर्थित देशों के मामले में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण और गैर हेग देशों के मामले में संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

(3) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या स्वाभाविक निवास के उनके देश में संबंधित सरकारी विभाग,पात्र और उपयुक्त भावी दत्तक माता-पिता के आवेदन को केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को प्रायोजित करेंगे।

(4) केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या प्राप्तकर्ता देश के सरकारी विभाग से माता-पिता के बारे में प्राप्त प्रायोजकता पत्र और अन्य यथापेक्षित सूचना को जिला बालक संरक्षण ईकाई और उस जिले के मैजिस्ट्रेट के साथ साझा करेगा जहां बालक स्वाभाविक रूप से रह रहा है।

(5) जिला मजिस्ट्रेट, पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार कराएगा जिसमें जैविक माता-पिता और दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित बालक से संबंधित सभी अपेक्षित दस्तावेज शामिल होंगे और यह रिपोर्ट **अनुसूची 21** और **अनुसूची 36** में यथा उपबंधित के अनुसार जिला बालक संरक्षण अधिकारी के माध्यम से तैयार की जाएगी।

(6) पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसे केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अनुच्छेद 5 या 17 (हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का अनुसमर्थन करने वाले देश) के अधीन आवश्यक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए उनके स्वाभाविक निवास के देश में संबंधित प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।

69. दत्तकग्रहण प्रक्रिया–

(1) हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम,1956 (1956 का 78) के अधीन संचालित दत्तकग्रहण के पक्षकार जिला मजिस्ट्रेट को प्रति के साथ जिले के उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय को दत्तकग्रहण विलेख संयुक्त रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(2) विलेख की ऐसी प्रति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ऐसी जांच कराएंगे जिसे वे उपयुक्त समझे ताकि वह संतुष्ट हो सकें कि हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के सभी उपबंधों और विनियमों के अधीन निबंधनों का पालन किया गया है और ऐसी जांच 30 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) यदि जिला मजिस्ट्रेट 30 दिन के भीतर जांच को पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो वह सत्यापन प्रमाणपत्र के साथ 30 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रदान करने में असमर्थता के कारण बताने के लिए बाध्य होंगे और पक्षकार आवेदन के ब्यौरों को उपादर्शित करते हुए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन संबंधित उप रजिस्ट्रार के पास दत्तकग्रहण विलेख रजिस्ट्रीकृत कर सकते हैं और यह कि जिला मजिस्ट्रेट से जांच रिपोर्ट उप विनियम (2) में संदर्भित निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुई है।

(4) इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट **अनुसूची 36** में उपलब्ध जांच सूची के साथ **अनुसूची 35** में दिए गए रूपविधान में सत्यापन प्रामाणपत्र केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को अग्रेषित करेंगे जिसमें निम्नलिखित का सत्यापन किया जाएगा-

(क) दत्तकग्रहण विलेख में अभिलिखित दत्तकग्रहण हिंदू दत्तक और भरण–पोषण अधिनियम 1956 (1956 का 78) के उपबंधों के अनुसार किया गया है, जिसमें बालक का स्रोतन, दत्तक माता-पिता की पात्रता और उपयुक्तता शामिल हैं;

(ख) दत्तक बालक या जैविक माता-पिता दत्तकग्रहण में बालक को देते समय किसी दबाव में नहीं हैं।

(ग) दत्तकग्रहण सभी संबंधित पक्षों की आपसी सहमति से हुआ है।

(घ) दत्तकग्रहण प्रक्रिया में कोई मौद्रिक पहलू शामिल नहीं है और दत्तकग्रहण बालक के सर्वोत्तम हित में है।

70. अनापत्ति प्रमाणपत्र और अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करना–

(1) अंदरदेशीय दत्तकग्रहण के संबंध में बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में यथाउपबंधित प्राप्तकर्ता देश से अनुच्छेद 5 या 17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दत्तकग्रहण विलेख और आवश्यक अनुज्ञप्ति पर जिला मजिस्ट्रेट से सत्यापन प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, अभिसमय के अनुच्छेद 17 (ग) के अधीन हेग अनुसमर्थित देशों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र और अनुच्छेद 23 के अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) ऐसे देशों के मामले में जो हेग दत्तकग्रहण अभिसमय से बाहर हैं, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा एक समर्थन पत्र जारी किया जाएगा।

71. दत्तकग्रहण पश्चात अनुवर्तन– विच्छिन्न या गैर समाधान के मामलों में हेग दत्तकग्रहण अभिसमय में यथा उपबंधित प्राप्तकर्ता देश में उपलब्ध बाल संरक्षण सेवाओं के अनुसार बालक का पुनर्वास किया जाएगा।

अनुसूची

क्रम सं.	अनुसूची संख्या	विषय
1.	अनुसूची 1	बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाला प्रमाण पत्र।
2.	अनुसूची 2	बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)
3.	अनुसूची 3	बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट और विशेष आवश्यकताओं का वर्गीकरण।
4.	अनुसूची 4	संस्थाओं में प्रवेश दिए गए बालकों की चिकित्सा जांच और विकासात्मक उपलब्धि-चरण के लिए चेतावनी-संकेत
5.	अनुसूची 5	अभ्यर्पण का विलेख।
6.	अनुसूची 6	ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण प्रारूप और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची।
7.	अनुसूची 7	निवासी भारतीय नागरिक अथवा भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट।
8.	अनुसूची 8	दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण वचनबद्धता। (शपथपत्र के रूप में)
9.	अनुसूची 9	जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भरे जाने वाले दस्तावेजों (अभिप्रमाणित अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित) की सूची

10.	अनुसूची 10	अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11.	अनुसूची 11	पुष्टि प्रमाण-पत्र।
12.	अनुसूची 12	बालक की दत्तकग्रहण-पश्चात् रिपोर्ट।
13.	अनुसूची 13	विशिष्ट दत्तकगहण अभिकरणों में बालक देखरेख के मानक।
14.	अनुसूची 14	संबंधित प्राधिकरणों और अभिकरणों के लिए समयसीमा।
15.	अनुसूची 15	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्थाओं द्वारा दत्तकग्रहण शुल्क और उनका उपयोग।
16.	अनुसूची 16	पोषण देख रेख एवं दत्तक ग्रहण।
17.	अनुसूची 17	देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के लिए समर्थन पत्र।
18.	अनुसूची 18	दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों का वर्गीकरण [दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और अनुसूची- 3 के भाग ड़के अनुसार उपबंधित की गई अनुसूची के अनुसार माना जाएगा]
19.	अनुसूची 19	देश के भीतर नातेदार द्वारा दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ सहमति
20.	अनुसूची 20	किसी एक जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता द्वारा बालक अथवा बालकों के दत्तकग्रहण के लिए बाल कल्याण समिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए जैविक माता/पिता के साथ-साथ सौतेले माता या पिता की सहमति।
21.	अनुसूची 21	बालक और जैविक माता-पिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट
22.	अनुसूची 22	बालक के रिश्तेदार द्वारा उसके दत्तकग्रहण के लिए उसके अविभावक द्वारा दी गई सहमति पर बाल कल्याण समिति की अनुमति (जहां जैविक माता-पिता जीवित न हों अथवा सहमति प्रदान करने में सक्षम न हों)।
23.	अनुसूची 23	बालक के दत्तकग्रहण के समर्थन में जिला मजिस्ट्रेट को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कार्यकारी / प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
24.	अनुसूची 24	देश के भीतर रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण की दशा में, विनियम 54 के उप-विनियम 4 के अनुसार अपनी वित्तीय और सामाजिक प्रास्थिति के समर्थन में भावी दत्तक – ग्राही माता-पिता का शपथपत्र
25.	अनुसूची 25	देश के भीतर रिश्तेदार या सौतेल माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के दशा में पूर्व-अनुमोदन पत्र।
26.	अनुसूची 26	विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता के लिए किसी बालक देखरेख संस्था का आवेदन।
27.	अनुसूची 27	देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त का प्रारूप।
28.	अनुसूची 28	अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक (बालकों) के मामले में देश के भीतर दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला मॉडल आवेदन।
29.	अनुसूची 29	अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक / बालकों के मामले में अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन।
30.	अनुसूची 30	देश के भीतर रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन।
31.	अनुसूची 31	रिश्तेदार द्वारा अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन।

32.	अनुसूची 32	सौतेले और जैविक माता व पिता द्वारा बालक/ बालकों के दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन।
33.	अनुसूची 33	दत्तकग्रहण आदेश का प्रारूप।
34.	अनुसूची 34	दत्तकग्रहण विघटन आदेश का प्रारूप।
35.	अनुसूची 35	हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन संपन्न दत्तकग्रहण के मामले में सत्यापन प्रमाणपत्र।
36.	अनुसूची 36	हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट

अनुसूची 1

[विनियम 2(5), 6(13) और 7(17) देखें]

बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने वाला प्रमाण पत्र

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 की धारा 38 के अधीन बालक कल्याण समिति ……………… में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस समिति के दिनांक……………. के आदेश सं. …………….. द्वारा …………………….. (नाम और पता) नामक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण/बालक देखरेख संस्था की देखरेख में रखा गया बालक……………….., लिंग ……………… (लड़का या लड़की या अन्य), जन्म तिथि ______ को निम्नलिखित के आधार पर दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाता है:

☐ परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या कोई अन्य (यथास्थिति) की जाँच रिपोर्ट

☐ बालक के जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा इस समिति के समक्ष (तारीख) को निष्पादित किया गया अभ्यर्पण विलेख;

☐ संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई और बालक देखरेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई इस आशय की घोषणा कि उन्होंने अधिनियम की धारा 40, इसके अधीन विरचित नियमों और दत्तकग्रहण विनियमनों के अधीन यथापेक्षित प्रत्यावर्तन प्रयास कर लिए हैं लेकिन उक्त घोषणा की तारीख तक किसी ने भी बालक के जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक होने का दावा करने के लिए अभिकरण से पहुंच नहीं की है;

☐ अधिक आयु के बालक की सहमति, यदि लागू हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

☐ जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक से, जहां कहीं उपलब्ध हैं, परामर्श किया गया है और उन्हें बालक या बालकों के दत्तकग्रहण में स्थानन, जिसके परिणामस्वरूप बालक और उसके मूल परिवार के बीच विधिक संबंध समाप्त हो जाएगा, सहित उनकी सहमति के प्रभावों की सम्यक जानकारी दे दी गई है।

☐ जैविक माता-पिता या विधिक संरक्षक ने अपेक्षित प्ररूप में स्वतंत्र रूप से अपनी सम्मति दी है और यह सम्मति, संदाय करके या किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति देकर प्राप्त नहीं की गई है और माता ने अपनी सम्मति (जहाँ लागू हो) बालक के जन्म के बाद ही दी है।

☐ विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देख रख संस्था जिसे उक्त बालक सौंपा गया है, अभिहित पोर्टल में बालक के फोटो और अन्य आवश्यक ब्यौरे डलवाने की व्यवस्था करेगा/करेगी।

[टिप्पण: उन बॉक्स(सों) को काट दें, जो इस मामले में सुसंगत नहीं हैं।

[टिप्पण: सहोदर या जुड़वा बालकों के मामले में नातेदारी का उल्लेख करते हुए एक ही प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा|]

[**टिप्पण**: बालक के सर्वोत्तम हित में दत्तकग्रहण को सुकर बनाने के लिए, विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या संबंधित जिला बालक संरक्षण ईकाई, जैसा भी मामला हो, को अभिहित पोर्टल पर बालक का फोटो, बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा जांच रिपोर्ट और इस प्रमाणपत्र के साथ उसकी संक्षिप्त जीवनी डालने की अनुमति है।]

बालक का फोटो

बाल कल्याण समिति

तारीख और स्थान

समिति के किन्हीं तीन सदस्यों के हस्ताक्षर,

तारीख और मुहर

प्रेषित: विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई को यह प्रमाणपत्र अभिहित पोर्टल पर डालने के लिए

अनुसूची 2

[विनियम 2(6), 6(15), 7(18), 61(5)(क) और 61(6)(क) देखें]

बाल अध्ययन रिपोर्ट (सीएसआर)

अभिहित पोर्टल पर बालक की रजिस्ट्रीकरण सं.;

आधार कार्ड सं.:

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था का नाम:

[बालक से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट में दस्तावेजों पर आधारित उसकी पहचान संबंधी जानकारी शामिल होगी। बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के बाद यथाशीघ्र बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।]

बालक का फोटो

(क). **सामान्य सूचना:**

1. बालक का नाम .... (जो नाम जैविक माता या माता-पिता या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था या बालक कल्याण समिति द्वारा दिया गया हो)

2. वर्तमान आयु और जन्म की तारीख:

3. लिंग:

4. जन्म का स्थान:

5. धर्म (यदि पता हो):

6. बालक का प्रकार: अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित

7. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक देखरेख संस्था में बालक के प्रवेश की तारीख:

8. बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख:

9. बालक कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख:

(ख). सामाजिक आंकड़े:

कृपया बालक के जैविक माता-पिता की पहचान संबंधी जानकारी न दें।

1. आपकी संस्था में बालक कैसे आया?

   (क) सीधे माता-पिता या किसी अन्य संरक्षक ने उसे संस्था में प्रवेश दिलाया:

   (ख) सीधे बालक कल्याण समिति ने रखा:

   (ग) किसी अन्य संस्था से स्थानांतरित होकर आया, यदि हाँ तो उस संस्था का नाम:

   (घ) कोई अन्य स्रोत:

2. संस्था से संरक्षण मांगने के कारण:
3. अन्य बालकों के प्रति बालक का रुख, यदि लागू हो:
4. कर्मचारीवृंद और अपरिचितों सहित अन्य वयस्कों के प्रति बालक का व्यवहार और संबंध:
5. सामान्य बुद्धिमता:
6. यदि बालक का स्कूल में नामांकन है, तो उसकी कक्षा, उपस्थिति, अध्ययन में उसकी साधारण रूचि, प्रगति, यदि कोई हो, की विस्तृत रिपोर्ट दें:
7. बालक का साधारण व्यक्तित्व और रूप-रंग का वर्णन:
8. खेलकूद क्रियाकलाप और कोई विनिर्दिष्ट प्रतिभा: बालक की विकासात्मक उपलब्धियाँ (18 मास से कम आयु के बालकों के संबंध में)| कृपया हाँ या ना में बताएं (आयु अनुकूल पर आधारित)।

कृपया बतायें की बालक:-

(क) मुस्कराता है

(ख) अपने दोनों तरफ घूमता है

(ग) अपना सिर उठाता है

(घ) वस्तुओं को अपने हाथों से पकड़ता है

(ङ) अपने-आप से सरकता है

(च) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए बैठता है

(छ) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए खड़ा हो जाता है

(ज) सहारा लेकर या बिना सहारा लिए चलता है

9. आहार संबंधी आदतें:

(क) तरल खाद्य लेता है:

(ख) अर्ध-ठोस खाद्य लेता है:

(ग) ठोस खाद्य लेता है:

10. विकासात्मक मूल्यांकन (बोली जाने वाली भाषा, व्यवहार, बुनियादी खेल कौशल, शारीरिक कार्यकलाप और संचार और सामाजिक कौशल आदि):

11. सामाजिक पृष्ठभूमि: (इसमें बालक का सामाजिक इतिवृत्त अर्थात् उसके जैविक माता-पिता की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और वे परिस्थितियों जिनके कारण उस बालक का अभ्यर्पण या त्याग करना आवश्यक हो गया, शामिल होनी चाहिए। कृपया जैविक माता-पिता या उनके रिश्तेदारों की पहचान दर्शाने वाली नाम व पते जैसी सूचना न दें।)

12. मैं_.......... सामाजिक कार्यकर्ता या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की स्टाफ नर्स या बालक देखरेख संस्था का अधीक्षक प्रमाणित करता/करती हूँ कि ………………. बालक के विषय में इस प्ररूप में दी गई जानकारी सही है।

नाम और हस्ताक्षर

सामाजिक कार्यकर्ता या

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की कर्मचारी नर्स या

बालक देखरेख संस्था के अधीक्षक

हमने बाल अध्ययन रिपोर्ट की विषय वस्तु पढ़ और समझ ली है और हम ……………….. को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

(पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर)	(स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर)
(पुरुष आवेदक का नाम)	(स्त्री आवेदक का नाम)
स्थान और तारीख:	स्थान और तारीख:

अनुसूची 3

[विनियम 2(16), 2(25), 6(15), 7(18), 8(2), 36(9), 37, 51(4), 61(5)(क) और 61(6)(क) देखें]

बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट और उसकी विशेष आवश्यकताओं का वर्गीकरण

[भाग-क को सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की स्टाफ नर्स या बालक देखरेख संस्था के अधीक्षक, जैसा भी मामला हो, द्वारा भरा जाए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। यदि बालक की आयु एक वर्ष से कम है तो बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी बालक को अनुसूची 18 और चिकित्सा जांच रिपोर्ट के भाग ङ में उपबंधित विशेष आवश्यकताओं वाला पाया जाता है, तो जांच करने वाले चिकित्सक को मामले को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संदर्भित करना होगा।]

अभिहित पोर्टल पर बालक की रजिस्ट्रीकरण संख्या:

स्वास्थ्य की स्थिति: सामान्य / विशेष आवश्यकताओं वाले बालक

प्रवेश की तारीख:

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का ताम:

बालक देख रेख संस्था का नाम:

अस्वीकरण –

थैलेसीमिया वाहक और सिकल सेल विशेषक: थैलेसीमिया की वाहक अवस्था वाले बालक लक्षणविहीन होते हैं। इसी तरह थैलेसीमिया से ग्रस्त अवयस्क बच्चों को शायद ही कभी रक्त आधान की आवश्यकता होती है। सिकल सेल विशेषक बालकों में हेमटोलॉजिकल अप्रसामान्यताएं नहीं होती हैं और आरबीसी की सिकलिंग अधिक ऊंचाई वाले स्थान और कम ऑक्सीजन दबाव के संपर्क में आने पर शायद ही कभी हो सकती है (केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता के आकलन संबंधी दिशानिर्देश, 2018, खंड 29.6 और 37.3)।

उच्च जोखिम वाले शिशु और बालक: जन्म के समय श्वासावरोध, जन्मगत हाइपरबिलीरुबिनमिया, जन्मगत सेप्सिस, हाइपोग्लाइकेमिया, समय-पूर्व प्रसव से जुड़ी जटिलताएं जैसे रेस्पाइरेट्री डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंट्रावेंट्रिकुलर हीमोरेज आदि जैसी प्रसवकालीन प्रतिकूल अवस्थाओं के इतिवृत्त वाले बालकों में विकासात्मक उपलब्धि-चरण की प्राप्ति में देरी, मिर्गी, न्यूरोमोटर विकृति और व्यवहार संबंधी अप्रसामान्यताएं होने का खतरा रहता है। अतः, इन बालकों को उचित निदान और समग्र प्रबंधन के लिए विस्तृत स्नायु-विकासात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

हेपेटाइटिस बी: विभिन्न होस्ट जीनोम, वायरल स्ट्रेन और होस्ट-वायरल इंटरैक्शन वाले व्यक्तियों के बीच हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण की नैदानिक अवधि भिन्न-भिन्न होती है। एचबीवी दूषण की आयु जितनी पहले होगी, आजीवन संक्रमण के परिणाम की संभावना उतनी ही अधिक होगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में एचबीवी संक्रमण में 90% मामले प्रसवकालीन संक्रमण के होते हैं। जीर्ण एचबीवी संक्रमित व्यक्तियों की अवयस्कता (10%) को एचबीएसएजी सेरोकोनवर्जन होगा, और जीर्ण संक्रमित अवस्था से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे रोगियों में से अधिकांश सामान्य एलानिन एमिनोट्रांस्फरेज (एएलटी) स्तरों के साथ चिकित्सकीय रूप से लक्षणविहीन हो सकते हैं, लेकिन इनमें उच्च वायरल लोड और एचबीईएजी की उपस्थिति होती है। अधिकांश रोगियों में, एचबीईएजी सेरोकोनवर्जन अपने एंटीबॉडी (एंटी-एचबीई) के लिए किशोर अवस्था के दौरान या बाद में होता है, जो सक्रिय वायरल प्रतिकृति और हेपेटाइटिस एक्टविटी में कमी का संकेत देता है। निरंतर उच्च विरेमिया के साथ विलंबित एचबीईएपीजी सेरोकोनवर्जन, जीवन के 4 दशक के बाद लीवर सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विकसित होने का एक उच्च जोखिम को इंगित करता है। जीर्ण एचबीवी से संक्रमित 10-25% वयस्कों को एचबीईएजी सेरोकोनवर्जन के बाद एचबीईएजी नकारात्मक हेपेटाइटिस हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों में जो देर से एचबीईएजी सेरोकोनवर्जन का अनुभव करते हैं और जिनमें लीवर सिरोसिस और एचसीसी का वृद्धिशील आजीवन जोखिम होता हैं।

हेपेटाइटिस सी: हालांकि शैशवावस्था के दौरान हुए एचसीवी संक्रमण के एक वयस्क के रूप में हुए संक्रमण की तुलना में तत्काल ठीक होने की अधिक संभावना होती है, फिर भी लगभग 80% व्यक्ति कालानुक्रमिक रूप से संक्रमित रहते हैं। जो बालक एक वर्ष की आयु के दौरान और बाद में एचसीवी आरएनए पीसीआर से संक्रमित रहे, उनके स्वास्थ्यलाभ की संभावना कम थी। जीर्ण एचसीवी वाले वयस्कों की तरह, बाल रोगियों में यकृत की फाइब्रोसिस आयु के साथ बढ़ने लगती है, जो धीरे-धीरे वृद्धिशील हिस्टोलॉजिक क्षति का संकेत देती है। बाल्यावस्था में सिरोसिस की प्रगति अत्यंत बहुत ही नाममात्र होती है।

एचआईवी: एचआईवी के जोखिम वाले सभी शिशुओं को ड्राइड ब्लड स्पॉट (डीबीएस) में एचआईवी डीएनए पीसीआर कराना चाहिए। यदि डीबीएस एचआईवी के लिए सकारात्मक है, तो पूरे रक्त का परीक्षण किया जाना चाहिए। छह से अठारह माह की आयु के बालकों में, एलिसा द्वारा एचआईवी एंटीबॉडी परीक्षण के बाद एचआईवी के लिए डीबीएस परीक्षण किया जाना चाहिए और यदि पॉजीटिव पाया जाता है, तो सम्पूर्ण रक्त में डीएनए पीसीआर किया जाना चाहिए और अट्ठारह माह के बाद पुष्टि के लिए एचआईवी एंटीबॉडी परीक्षण कराया जाना चाहिए (नाको दिशानिर्देश, 2-16)।

<u>भाग क. साधारण जानकारी</u>

[भाग 'क' को सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें]

1. बालक का नाम:
2. लिंग:
3. जन्म की तारीख:
4. जन्म-स्थान:
5. राष्ट्रीयता:
6. वर्तमान संस्था का नाम: कब से इस संस्था में हैः
7. जन्म के समय भार (किलोग्राम):
8. वर्तमान भार (किलोग्राम):
9. सिर की परिधि (सेंटीमीटर):
10. सिर की वर्तमान परिधि (सेंटीमीटर):
11. जन्म के समय लंबाई (सेंटीमीटर):
12. वर्तमान में लंबाई (सेंटीमीटर):
13. क्या गर्भावस्था और प्रसव सामान्य थे?
14. एपीजीएआर स्कोर, यदि लागू हो:
15. न्यूरोइमेजिंग संलग्न है या नहीं:
16. प्रवेश से पहले बालक कहाँ रहा है?

क. अपनी माँ के पास:	से	तक
ख. नातेदारों के पास:	से	तक
ग. निजी देखरेख में:	से	तक
घ. संस्था या अस्पताल में:	से	तक

(कृपया संबंधित संस्था या संस्थाओं के नाम आगे दर्शाएं)

टिप्पण: नवजात बालकों की दशा में, **अनुसूची 4** में यथाउपबंधित विभिन्न आयु वर्गों के लिए चिकित्सा जाँच देखें।

सामाजिक कार्यकर्ता अथवा परामर्शदाता अथवा
विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण की स्टाफ नर्स अथवा
बालक देख रेख संस्था का अधीक्षक
[स्टॉफ का नाम और पदनाम,
हस्ताक्षर और तारीख]

भाग ख. चिकित्सा ब्यौरा

[भाग 'ख' को सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। यदि बालक की आयु 1 वर्ष से कम हो, तो बालक की जांच बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। विनियमों की अनुसूची 4 में यथा उपबंधित विभिन्न आयु समूहों के लिए चिकित्सा जांच अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए]

1. क्या अतीत में बालक को कोई रोग हुआ है? (हाँ या नहीं या अज्ञात)

   क) रोग का नाम:
   ख) निदान के समय बालक की आयु (माह):
   ग) अभ्युक्तियां (कोई जटिलताएं):

2. क्या बालक को निम्नलिखित रोग से बचाव के टीके लगाए गए हैं?
   हाँ या नहीं या अज्ञात

   टीकाकरण के ब्यौरे:

तपेदिक (बी.सी.जी.)	टीका लगने की तारीख:
डिफ्थीरिया	टीका लगने की तारीख:
टिटनेस	टीका लगने की तारीख:
खों-खों कर खाँसना (वूफींग कफ)	टीका लगने की तारीख:
पोलियो	दवा पिलाने की तारीख:
हैपेटाइटिस ए	टीका लगने की तारीख:
हैपेटाइटिस बी	टीका लगने की तारीख:
एमएमआर (खसरा)	टीका लगने की तारीख:

3. बालक के मानसिक विकास, व्यवहार और कौशलों का विवरण दें (यदि संभव हो)।

i.	दृष्टि	बालक कब निश्चित करने में समर्थ हुआ?
ii.	श्रवण संबंधी	बालक कब आवाज सुनकर अपना सिर घुमाने में समर्थ हुआ?
iii.	शारीरिक	बालक कब अपने-आप बैठने में समर्थ हुआ?

बालक कब सहारा लेकर खड़ा होने में समर्थ हुआ?

बालक बिना सहारा लिए कब चला?

iv. भाषा — बालक ने अस्पष्ट तरीके से बोलना कब शुरू किया?

बालक ने एक-एक शब्द बोलने कब शुरू किए?

बालक ने वाक्य बोलने कब शुरू किए?

v. संपर्क — बालक ने मुस्कराना कब शुरू किया?

बालक वयस्कों और अन्य बालकों से के साथ कैसे संवाद करता है?

बालक अजनबियों को देखकर किस प्रकार व्यवहार करता है?

vi. भावात्मक — बालक अपनी भावनाएं (क्रोध, बेचैनी, निराशा, प्रसन्नता) किस प्रकार दर्शाता है?

<u>भाग ग - चिकित्सा परीक्षा का ब्यौरा:</u>

[भाग 'ग' को सम्यक् रुप से रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें।

1. चिकित्सा जांच की तारीख
2. बालों का रंग:
3. आखों का रंग:
4. त्वचा का रंग:
5. बालक की पूर्ण नैदानिक जांच के आधार पर मैंने रोग, विकृति या अप्रसामान्यताओं के निम्नलिखित साक्ष्य पाए हैं (यदि लागू हो):

   क) सिर (खोपड़ी का आकार, हाइड्रोसेफलस; क्रैनियोटेब्स; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):

   ख) मुँह और ग्रसनी (हेअरलिप या क्लैफ्ट पेलेट, दाँत; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):

   ग) आँखें (दृष्टि, भैंगापन, संक्रमण; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):

   घ) कान (संक्रमण, बहना, कम श्रवण-शक्ति, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं):

   ङ) श्रवण श्रमता जांच – निम्नलिखितम में से कम-से-कम एक जांच अनिवार्य है:

   क. ओटोकोउस्टिक एमीशन (ओएई):

   ख. ब्रेनस्टेम इवोक्ड रेस्पांस ओडियोमीट्री (बीईआरए):

   च) चेहरे की कोई विकृति? यदि हां, तो विवरण दें

   छ) छाती के अंग (हृदय, फेफड़े, कोई अन्य, कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)

   ज) लिम्फेटिक ग्लैंड (ऐडेनाइटिस, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)

   झ) उदर (हर्निया, यकृत, स्पलीन, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)

   ञ) जननांग (हाइपोस्पैडिया, अंडकोष अवरोधन, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)

   ट) स्नायुविकास-संबंधी विकार (मेनिनजाइटिस; एंसेफेलाइटिस; मिर्गी; प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी); कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)

   ठ) रीढ़ (काइफोसिस, स्कोलियोसिस, कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)

   ड) एक्सट्रीमिटी (पेस एक्रिनस, बैल्गस, वेरस, पेस कैल्केनियोवेरस, फ्लेक्सेशन ऑफ हिप, स्पैस्टिसिटी, पेरेसिस;

कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)

ढ) त्वचा (एक्ज़िमा, संक्रमण, परजीबी; कोई अन्य; कोई रोग, विकृति या अप्रसामान्यता नहीं)

ण) अन्य रोग:

6. परीक्षण

(क) तपेदिक के कोई लक्षण?

तपेदिक के परीक्षण के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

(ख) हेपेटाइटिस बी के कोई लक्षण?

एचबीएस एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

एंटी-एचबी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

एचबीई एजी के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

एंटी-एचबीई के परीक्षणों के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

(ग) सिफिलिस के कोई लक्षण हैं?

सिफिलिस के रिएक्शन के परिणाम (तारीख और वर्ष): सकारात्मक या नकारात्मक या रिएक्शन नहीं किया गया

वीडीआरएल टेस्ट का परिणाम:

टिप्पणी:

(घ) पीलिया या रक्ताधान का कोई पिछला रिकोर्ड?

एचबीएसएजी की जांच का परिणाम (तारीख और वर्ष)?

यदि पॉजीटिव है, क्या विशेषज्ञ से परामर्श किया गया (हां/नहीं, तारीख और वर्ष); और कोई आगे जांच कराई गई / उपचार कराया गया (दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें)

7. अनिवार्य परीक्षण अथवा मूल्यांकन रिपोर्ट (विनियमों की अनुसूची 4 में उपबंधित)। यदि इनमें से कोई जांच परीक्षण अप्रसामान्य हैं, तो अतिरिक्त पुष्टिकरण परीक्षण और विशेषज्ञ की राय अनिवार्य होगी।

(क) एचआईवी

(ख) क्या मूत्र में:

i. शर्करा?

ii. एल्ब्यूमेन?

iii. फेनिल्कीटोन है?

(ग) मल (अतिसार, कब्ज):

परजीवियों का परीक्षण: सकारात्मक या नकारात्मक या परीक्षण नहीं किया गया

(घ) क्या बालक में कोई विकासात्मक देरी या अंसगतियां या स्नायु-व्यावहरात्मक या स्नायु-विकासात्मक विकार हैं?

(ङ) बालक की विकासात्मक स्थिति और दिन-प्रतिदिन की जीवन-यापन गतिविधियों का विवरण दें।

(च) कोई और टिप्पणियां?

टिप्पण:

एक वर्ष से तीन वर्ष और तीन वर्ष से अधिक की आयु के लिए अनुसूची 4 में यथाउपबंधित चिकित्सा जांच देखें।

<u>भाग घ. विकासात्मक उपलब्धियों का ब्यौरा</u>

[भाग 'घ' को विधिवत रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। जहाँ कहीं अपेक्षित हो, वहाँ विशेष शिक्षक, मनोचिकित्सक, स्पीच थेरपिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता ली जाए]

कृपया प्रत्येक शीर्ष पर निर्णय दें:-

1. खिलौनों के साथ कार्यकलाप (आयोनुकूल यथा लागू):
   - क) बालक की नज़र अपने सामने चलते फिरते झुनझुनों या खिलौनों का पीछा करती है।
   - ख) बालक किसी झुनझुने को पकड़ता है।
   - ग) बालक झुनझुनों से खेलता है(उसे अपने मुँह में डालता है, हिलाता है, एक से दूसरे हाथ में लेता है, आदि)।
   - घ) बालक क्यूबों को एक दूसरे के ऊपर रखता है।
   - ङ) बालक प्रयोजन के ढंग से खिलौनों से खेलता है (कारों को धकेलता है, गुड़ियाओं को बिस्तर पर रखता है, गुड़ियाओं को खिलाता-पिलाता है, आदि)।
   - च) बालक खिलौनों और अन्य बालकों के साथ अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है।
   - छ) बालक मानवों और पशुओं के चेहरों की स्पष्ट आकृतियाँ बनाता है।
   - ज) बालक अन्य बालकों के साथ व्यवस्थित खेल (गेंद वाले खेल, कार्ड वाले खेल आदि) खेलता है।
2. उच्चारण या भाषा विकास (आयोनुकूल यथा लागू):
   - क) बालक देखरेखकर्ता के साथ बातें करता है।
   - ख) बालक विभिन्न स्वर-व्यंजनों को दोहराता है (बा-बा, दा-दा, मा-मा आदि)।
   - ग) बालक अपनी आवश्यकताओं के संचार के लिए एक-एक शब्द का उपयोग करता है।
   - घ) बालक वाक्य बोलता है।
   - ङ) बालक पूर्वसर्ग को समझता है, जैसे: के ऊपर, नीचे, पीछे आदि।
   - च) बालक पूर्वसर्ग का प्रयोग करता है, जैसे: के ऊपर, नीचे, पीछे आदि।
   - छ) बालक भूतकाल में बात करता है।
   - ज) बालक अपना नाम लिख लेता है।
   - झ) बालक सरल शब्द पढ़ लेता है।
   - ञ) बालक एक ही शब्द या वाक्यांश को बार-बार दोहराता है।
   - ट) कोई अन्य प्रेक्षण।
3. शारीरिक विकास (आयोनुकूल यथा लागू):
   - क) किस आयु से बालक अपनी पीठ से घूमकर अपने पेट के बल लेट पाता है: ___
   - ख) किस आयु से बालक बिना सहारे के बैठ पाता है: _____
   - ग) किस आयु से बालक आगे की ओर सरक या हिल पाता है: ____

घ) किस आयु से बालक फर्नीचर के सहारे से चल पाता है: ____

ङ) किस आयु से बालक बिना सहारे के स्वयं चल पाता: _ ___

च) किस आयु से बालक सहारे लेकर सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है:

छ) किस आयु से बालक बिना सहारे के सीढ़ियों से ऊपर-नीचे जा पाता है: _______

4. वयस्कों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू):

क) बालक अपने जाने पहचाने देखरेखकर्ता के संपर्क में मुस्कराता है।

ख) बालक को जब उसका जाना-पहचाना देखरेखकर्ता थाम लेता है तो वह आसानी से शांत हो जाता है।

ग) जब बालक का जाना-पहचाना देखरेखकर्ता कमरे से जाता है तब वह बालक रोता है या उसके पीछे-पीछे जाता है।

घ) बालक जब परेशान हो जाता है या उसे चोट लग जाती है तब वह अपने जाने-पहचाने देखरेखकर्ता को ढूंढता है।

ङ) बालक वार्ड में आने वाले सभी वयस्कों को संपर्क करना चाहता है।

च) बालक देखरेखकर्ता को अपनी भावनाएं शब्दों में संचारित करता है।

5. अन्य बालकों से संपर्क (आयोनुकूल यथा लागू):

क) बालक अन्य बालकों के कार्यकलाप देखकर या उन पर मुस्कराकर उनमें अपनी रूचि दर्शाता है।

ख) बालक अन्य बालकों के साथ खेलकर प्रसन्न होता है।

ग) बालक अन्य बालकों के साथ क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करता है।

6. कार्यकलापों का साधारण स्तर:

क) सक्रिय

ख) अत्यधिक सक्रिय

ग) अधिक सक्रिय नहीं

7. साधारण मनोदशा:

क) शांत

ख) भावात्मक रूप से उदासीन

ग) उत्पाती, शांत करना कठिन है

घ) प्रसन्न, संतुष्ट

8. बालक का समग्र प्रेक्षण:

9. बालक के स्वास्थ्य की प्रास्थिति:

(क) यदि सामान्य, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करें

(ख) यदि बालक के अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजें।

जांच करने वाले चिकित्सक के हस्ताक्षर

पदनाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या

मुहर

तारीख

भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) द्वारा चिकित्सा जांच रिपोर्ट की स्वीकृति

हमने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम ______ को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक हैं।

(पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर)	(स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर)
(पुरुष आवेदक का नाम)	(स्त्री आवेदक का नाम)
तारीख:	तारीख:
स्थान:	स्थान:

<u>भाग ङ- विशेष जरूरतों संबंधी स्थिति</u>

[भाग ङ को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकतम पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर भरा जाए। यदि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया "उपलब्ध नहीं" लिखें। एक वर्ष से कम आयु के बालक के मामले में, जिला अस्पताल के बालरोग विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। जिन बालकों में ऐसी कमियां हैं जो उपचारयोग्य और साध्य हैं, उनका उपचार किया जाएगा और बालक को तदनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बालक की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। विशेष आवश्यकताओं वाले बालक के वर्गीकरण का विवरण नीचे दिया गया है:]

क्या बालक इनमें से किसी भी स्थिति के अंतर्गत आता है? [कृपया जहां लागू हो √ का चिह्न लगाएं]

1. शिशु (जन्म से 12 माह), जिनके निरीक्षण की आवश्यकता है:

   प्रतिकूल प्रसवकालीन मामलों - उदाहरण के लिए जन्मगत श्वासावरोध, जन्मगत पांडु रोग, जन्मगत सेप्सिस, निम्न रक्त शर्करा, समय से पूर्व प्रसव से जुड़ी जटिलता और जन्म के समय बहुत कम वजन (1500 ग्राम से कम) आदि के इतिवृत्त वाले शिशु स्नायुविकासात्मक विकारों, न्यूरोमोटर अवस्था, मिर्गी और व्यवहार संबंधी अप्रसामान्यताओं के विकास के जोखिम पर होते हैं। निदान और आगे के प्रबंधन के लिए इन शिशुओं को गहन अनुवर्तन और निरीक्षण की आवश्यकता है। उन्हें विकास में देरी, शरीर में अकड़न या ऐंठन और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। वे कम (बोलने में कुछ देरी) से लेकर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

   (क) निम्नलिखित के इतिवृत्त वाले शिशु:

   i. आनुवंशिक श्वासावरोध:

   ii. आनुवंशिक सेप्सिस:

   iii. पैथोलॉजिकल:

   iv. आनुवंशिक हाइपोग्लाइसीमिया:

   (ख) जन्म के समय बहुत कम वजन (1500 ग्राम से कम) जहां उपलब्ध हो, या एसएए में स्थानन के समय वजन या:

   (ग) समय-पूर्व जन्म (बत्तीस सप्ताह से कम) जहां उपलब्ध हो या एसएए में स्थानन के समय निर्धारणीय हो:

अस्पताल से छुट्टी मिलने का विस्तृत सारांश (यदि उपलब्ध हो)

टिप्पण: निरीक्षण की आवश्यकता वाले शिशुओं की यह श्रेणी 1 का वर्गीकरण अस्थायी विशेष जरूरतों की श्रेणी में किया जा सकता है। इसके लिए विशेष रूप से जीवन के पहले वर्ष के भीतर समय-समय पर विशेष जरूरतों की स्थिति के बारीकी से निरीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। इनमें से बहुत-से आम तौर पर विकासशील या सामान्य बालक बन सकते हैं।

2. न्यूरोमोटर स्थितियां:

ये अप्रसामान्यताएं, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या स्नायुतंत्र को नुकसान के परिणामस्वरूप होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप चाल और मुद्रा से संबंधित समस्याएं होती हैं। ये स्थितियां हल्की से लेकर गंभीर अकड़न या एक या अधिक अंगों और धड़ के ढीलेपन तक होती हैं। अकड़न या ढीलेपन के कारण इन बच्चों की मुद्रा और चाल असामान्य हो सकती है। वे हल्के रूप में प्रभावित (उदाहरण के लिए टखने की अकड़न) से लेकर गम्भीर रूप से प्रभावित (उदाहरण के लिए बैठने या खड़े होने या चलने में असमर्थता) हो सकते हैं। वे दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने में स्वतंत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी।

(क) मस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी):

(ख) मांसपेशीय विकास का न होना (मस्क्यूलर डिसटोफी):

(ग) वंशानुगत या एक्वायर्ड न्यूरोपैथी:

(घ) रीढ़ की हड्डी में पेशीय अपकर्ष (स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी) :

(ङ) न्यूरोपीडियाट्रिक रिपोर्ट:

3. स्नायुविकास संबंधी विकार:

ये मस्तिष्क या केंद्रीय स्नायु तंत्र की वृद्धि और विकास की विकृति होती है। इसमें विकासात्मक मस्तिष्क की शिथिलता शामिल हो सकती है, जो न्यूरोसाइकिएट्रिक समस्याओं या सीखने की समस्याओं, भाषा, गैर-मौखिक संचार आदि के रूप में प्रकट हो सकती है। वे हल्के रूप से प्रभावित (उदाहरण के लिए बोलने में कुछ देरी) से लेकर गंभीर रूप से प्रभावित (जैसे बैठने या खड़े होने या चलने में असमर्थता, गंभीर बौद्धिक अक्षमता, गंभीर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार आदि) हो सकते हैं।

(क) बौद्धिक अक्षमता:

(ख) अधिगम अक्षमता:

(ग) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार:

(घ) मनोयोग अभाव अतिक्रियाशीलता विकार (एटेन्शन डिफेसिट हाइपरएक्टीविटी विकार):

नैदानिक या बाल मनोवैज्ञानिक द्वारा मूल्यांकन के साथ औपचारिक विकासात्मक उपलब्धि और बौद्धिक उपलब्धि रिपोर्ट:

4. कंकालीय अथवा अस्थि संबंधी स्थिति:

इनमें जन्मजात विसंगतियों जैसे अंग की अनुपस्थिति से उत्पन्न विकृति, क्लबफुट पोलियोमाइलाइटिस जैसे उपार्जित रोगों के कारण होने वाली विकृति या अंगच्छेद, फ्रैक्चर आदि के कारण उत्पन्न अन्य विकृति शामिल हैं।

(क) अंगच्छेद (आंशिक या पूर्ण):

(ख) फ्रैक्चर के पश्चात विकृति:

(ग) एक्स-रे और अस्थि रोग रिपोर्ट अपलोड करें:

5. दृष्टि दुर्बलता और आंखों से संबंधित स्थितियां:

दृष्टि दुर्बलता एक हद तक देखने की क्षमता में कमी होना है जिसके कारण ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो सामान्य साधनों जैसे कि चश्मे से ठीक नहीं हो पाती। इसमें हल्की दुर्बलता से लेकर पूर्ण अंधापन तक हो सकता है। आंखों से संबंधित अन्य समस्याओं में भेंगापन, मोतियाबिंद आदि शामिल हैं। ये बालक, स्थिति की गंभीरता के आधार पर दैनिक जीवन की गतिविधियों को अपने आप करने में सक्षम हो भी सकते हैं और नहीं भी।

(क) अंधापन या अल्प दृष्टि:

(ख) रेटिना अलग होना:

(ग) भेंगापन*:

(घ) मोतियाबिंद*:

(ङ) नेत्र रोग विशेषज्ञ रिपोर्ट:

6. श्रवण दोष और वाक् शक्ति और भाषा:

श्रवण दोष, सुनने की आंशिक या पूर्ण अक्षमता है। वाक् शक्ति और भाषा की स्थितियों में बोलने में शिथिलता या डिस्फैसिया, हकलाना आदि शामिल होंगे। ये बालक स्थिति की गंभीरता के आधार पर दैनिक जीवन की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो भी सकते हैं और नहीं भी।

(क) बधिरता या श्रवण दोष या सुनने में कठिनाई:

(ख) बोलने में अक्षमता या डिस्फैसिया :

(ग) हकलाना:

(घ) वाक् चिकित्सा रिपोर्ट:

(ङ) ईएनटी रिपोर्ट:

7. जन्मगत दोष:

इस श्रेणी में, ऐसे बालक शामिल हैं जो किसी अंग के बिना या विकृत अंग के साथ जन्मे हों। इनमें त्वचा, कोमल ऊतक, अस्थि, हृदय आदि जैसे कई दोष शामिल हैं। इनमें शामिल अंग के आधार पर हस्तक्षेप की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी।

(क) अस्पष्ट जननांग:

(ख) अवरोही वृषण:

(ग) एकल गुर्दा:

(घ) जन्मजात हृदय दोष:

(ङ) फेटल एल्कोहल सिंड्रोम:

(च) कटे होंठ या तालू या दोनों*

(छ) पियरे रॉबिन सिंड्रोम:

(ज) हर्निया*:

(झ) कूल्हे की जन्मजात विकृति:

(ञ) उंगली या पैर की उंगलियों का जुड़ा होना (सिंडैक्टली):

(ट) विरूपित जन्म चिन्ह*:

(ठ) प्राथमिक माइक्रोसेफली:

(ड) चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ नैदानिक रिपोर्ट:

8. समान आनुवंशिक या चयापचय की स्थिति:

वंशानुगत चयापचय संबंधी विकार आनुवंशिक स्थितियां हैं जिसके परिणामस्वरूप चयापचय समस्या होती है। वे आहार संशोधनों द्वारा उपचार योग्य हो सकते हैं या विशेष आहार की आवश्यकता हो सकती है।

(क) ऐल्बिनिज़म:

(ख) बौनापन:

(ग) एक्टोडर्मल डिसप्लेसिया:

(घ) चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ नैदानिक रिपोर्ट:

9. रक्त संबंधित स्थितियां:

सामान्य रक्त संबंधी स्थितियों में रक्ताल्पता, रक्तस्राव विकार जैसे हीमोफिलिया आदि शामिल हैं। उन्हें रोग की गंभीरता के आधार पर बार-बार रक्त आधान या स्कंदन कारक आधान की आवश्यकता होती है।

(क) सिकल सेल एनीमिया:

(ख) थैलेसीमिया:

(ग) हीमोफीलिया:

(घ) हीमेटोलॉजी रिपोर्ट:

10. जीर्ण प्रणालीगत विकार:

इनमें जीर्ण श्वसन संबंधी, हृदय संबंधी, अंतःस्रावी, जठरांत्र और स्नायुतंत्र संबंधी विकार शामिल हैं। जीर्णता के कारण, उन्हें दीर्घकालिक या आजीवन दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। जीवन काल अंतर्निहित स्थिति के प्रकार पर निर्भर करता है।

(क) श्वसन संबंधी विकार:

जीर्ण अस्थमा:

ब्रोन्किइक्टेसिस:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(ख) हृदय विकार:

वातरोगग्रस्त हृदय रोग (रियुमैटिक):

कोई अ्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(ग) अंतःस्रावी विकार:

मधुमेह मेलेटस:

हाइपो या हाइपर थायरायडिज्म:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(घ) मस्तिष्क संबंधी विकार:

मिर्गी:

मल्टीपल स्क्लेरोसिस:

कोई अन्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(ङ) जठरांत्रिय (गैस्टोइंटेस्टाइनल) विकार:

सीलिएक रोग:

आंत्रशोथ रोग:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

(च) अन्य:

क्रोनिक टॉन्सिलिटिस:

क्रोनिक ओटिटिस मीडिया:

कोई अन्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

11. त्वचा संबंधी स्थिति:

इनमें गैर-संक्रामक त्वचा की स्थिति जैसे एक्जिमा, विटिलिगो आदि शामिल हैं। इन बच्चों को दीर्घकालिक दवा की आवश्यकता हो सकती है।

(क) बर्न्स*:

(ख) इचथ्योसिस:

(ग) विटिलिगो:

(घ) त्वचा विशेषज्ञ की रिपोर्ट:

12. संक्रामक स्थितियां:

इनमें जन्मजात और उपार्जित संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, क्षय रोग आदि शामिल हैं।

(क) जन्मजात:

हेपेटाइटिस बी:

हेपेटाइटस सी:

एचआईवी:

क्षय रोग:

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

(ख) उपार्जित:

हेपेटाइटिस बी:

हेपेटाइटस सी:

एचआईवी:

एलीफैंटियासिस:

क्षय रोग:

कुष्ठ रोग (सक्रिय):

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

13. पोषण संबंधी विकार और अल्पता स्थिति*:

इनमें आहार में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, कुपोषण, मोटापा और खाने के विकार शामिल हैं।

(क) कुपोषण*:

(ख) मोटापा*:

(ग) भोजन संबंधी विकार*:

(घ) सूखा रोग (रिकेटस)*:

(ङ) पोषण संबंधी रक्ताल्पता*:

(च) स्कर्वी*:

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

14. अन्य स्थितियां:

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) अर्बुद (टयूमर) और बाल्यावस्था के कैंसर:

(ख) सर्जरी (कोलोस्टॉमी, इलियोस्टॉमी):

(ग) दर्दनाक चोटें:

(घ) कोई भी न्यूरोसाइकिएट्रिक रोग:

(ङ) कोई अन्य:

चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के साथ प्रासंगिक परीक्षण रिपोर्ट:

15. **एक साथ एक से अधिक स्थितियां:**

यदि उपरोक्त सूचीबद्ध एक से अधिक विकारों या रोगों का चयन किया जाता है।

[टिप्पण - ***यह एक अस्थायी** विशेष आवश्यकताओं वाले बालक **संबंधी वर्गीकरण हो सकता है। इसके लिए समय-समय पर विशेष जरूरतों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ आमतौर पर विकासशील या सामान्य बालक बन सकते हैं।]**

उपरोक्त विवरण के साथ, मेरा यह निष्कर्ष है कि बालक विशेष आवश्यकताओं वाला है या बालक विशेष आवश्यकताओं वाला नहीं है।

जांच करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या

मुहर

तारीख

भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) द्वारा चिकित्सा जांच रिपोर्ट की स्वीकृति

हमने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट की विषयवस्तु पढ़ और समझ ली है और हम ______ को अपने दत्तक बालक के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक हैं।

(पुरुष आवेदक के हस्ताक्षर)	(स्त्री आवेदक के हस्ताक्षर)
(पुरुष आवेदक का नाम)	(स्त्री आवेदक का नाम)
तारीख:	तारीख:
स्थान:	स्थान:

अनुसूची 4

[विनियम 30(1)(च), विनियम 30(1)(प) और विनियम 51(6)(क) देखें]

संस्थाओं में प्रवेश दिए गए बालकों की चिकित्सा जांच और विकासात्मक उपलब्धि-चरण के लिए चेतावनी-संकेत

1. संस्था में प्रवेश दिए गए बालक की चिकित्सा परीक्षा को वृहत रूप में दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:
   (क) किसी रोग का निदान करना/उस स्थिति जिसमें विशिष्ट उपचार अपेक्षित हो, तथा इस प्रकार जांच बालक के स्वास्थ्य लाभ में सहायता करेगी।
   (ख) किसी प्रकृति के रोग/स्थिति का निदान करना जो संकेत करती है कि सामान्य बालक की आवश्यकताओं से परे बालक को विशेष ध्यान(चिकित्सा और अभिभावकीय) की अपेक्षा होगी तथा इसलिए वह परिवार जो बालक/बालिका का दत्तकग्रहण करता है, उसकी स्थिति से विदित हो सके।

2. चिकित्सा परीक्षण करते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:
   (क) बालक का हित सर्वोपरि है।
   (ख) यदि जांच परिणाम और अधिक जांच करने, विशिष्ट चिकित्सा अथवा विशेषज्ञों से परामर्श के आधार का औचित्य देता है, तो जहां बालक रह रहा है उस एजेंसी/संस्था द्वारा इन्हें किया जाना चाहिए।
3. विभिन्न आयु-वर्गों के लिए मानकीकृत चिकित्सा जांच:

3.1 नवजात:

(क) समय से पूर्व जन्मे शिशुओं अथवा ऐसे नवजातों जिनका जन्म अथवा प्रवेश के समय वजन <2000ग्रा. रहा हो, किसी नवजात विशेषज्ञ अथवा बाल चिकित्सक द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन शिशुओं की अपरिपक्वता की रेटिनोपैथी के लिए स्क्रीनिंग की जानी चाहिए।

(ख) थायराइड फंक्शन परीक्षण से हाइपोथायरायडिज्म के लिए स्क्रीनिंग (टी -4, टीएसएच)।

(ग) श्रवण स्क्रीनिंगः ओटाएकाउस्टिक अमिसन्स(ओएई) अथवा ब्रेन स्टेम इबोकड रिस्पांस आडियोमेट्री (बीईआरए)।

(घ) जन्मगत गंभीर हृदय रोग की स्क्रीनिंग: पल्स ऑक्सीमिती।

(ङ) एचबीएसएजी

यदि इनमें से कोई स्क्रीनिंग जांच असामान्य हो तो विशेष आवश्यकताओं वाले बालक के रूप में बालक की लेबलिंग से पूर्व पुष्टिकरण जांच और विशेषज्ञों की राय अनिवार्य की जानी चाहिए।

3.2 एक माह से एक बर्ष की आयु के बीच के शिशु:

(क) शिशुओं का बाल चिकित्सकों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(ख) थायराइड फंक्शन परीक्षण से हाइपोथायरायडिज्म के लिए स्क्रीनिंग (टी -4, टीएसएच)

(ग) श्रवण स्क्रीनिंग: ओटाएकाउस्टिक अमिसन्स(ओएई) अथवा ब्रेन स्टेम इवोकड रिस्पांस आडियोमेट्री (बीईआरए)

(घ) कंप्लीट ब्लड कांउट, लीवर फंक्शन टेस्ट और रेनल फंक्शन टेस्ट (सीबीसी, एलएफटी और आरएफटी)

(ङ) 4-6 सप्ताह की आयु से बड़े बालकों में एचआईवी जांच करना

(च) 3 माह की आयु से बड़े बालकों की एचसीवी जांच करना

(छ) एचबीएसएजी

यदि इनमें से कोई स्क्रीनिंग जांच असामान्य हो तो विशेष विशेष आवश्यकताओं वाले बालक के रूप में बालक की लेबलिंग से पूर्व पुष्टिकरण जांच और विशेषज्ञों की राय अनिवार्य की जानी चाहिए।

3.3 एक से तीन वर्ष और तीन वर्ष से अधिक आयु वाले बालक:

(क) अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों (भारत के मध्य और पश्चिमी राज्य और आदिवासी आबादी) में सिकल सेल एनीमिया के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट द्वारा स्क्रीनिंग और हिमोग्लोबिन एस के लिए हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस या विलेयता टेस्टिंग या आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग या हाई पर्फामेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी (एचपीएलसी) की सलाह दी जाती है।

यदि स्क्रीनिंग में किसी बालक को बीटा थलिसिमिया अथवा सिकल सेल रक्ताल्पता का संवाहक/ट्रेट होना पाया जाता है, उस बालक अथवा बालिका की प्रभावित होने की संभावना नहीं होती है अथवा उसको ट्रांस्फयुजन की अपेक्षा नहीं होती है, तथा इस प्रकार विशेष आवश्यकताओं वाला बालक नहीं समझा जाना चाहिए।

(ख) 18 माह से कम आयु के शिशुओं और बालकों में एचआईवी निदान प्रक्रिया:-

(i) 18 माह से अधिक आयु के बालकों और वयस्कों में एचआईवी के निदान के लिए एचआईवी सेरोलोजिकल जांच का उपयोग किया जाता है।

(ii) सेरालोजिकल टेस्ट भरोसेमंद नहीं है और 18 माह से कम आयु के शिशुओं और बालकों में प्लसांटा से मातृत्व एचआईवी एंटीबॉडी गमन के कारण की व्याख्या करना कठिन है।

(iii) 18 माह से छोटे बालकों में, एचआईवी संक्रमण का निदान जन्म के 4 से अधिक सप्ताह पश्चात लिए गए पृथक नमूनों पर निष्पादित द्वितीय वीरोलोजिकल टेस्ट द्वारा की गई पुष्टि एचआईवी के सकारात्मक वीरोलोजिकल टेस्ट अथवा इसके संघटकों (एचआईवी आरएनए अथवा एचआईवी डीएनए अथवा असच्ट्रासेंस्टीव [यूएस] एचआईवी पी24 एजी) पर आधारित है।

(iv) डब्ल्यू एच ओ दिशा-निर्देश सख्ती से अनुशंसा करते हैं कि सभी एचआईवी से ग्रस्त शिशुओं का 4-6 सप्ताह की आयु अथवा इसके पश्चात शीघ्रातिशीघ्र एचआईवी वीरोलॉजीकल टेस्टिंग हो।

(v) यदि कोई बालक 9 माह से बड़ा है, तो उसके लिए किसी वीरोलॉजीकल जांच से पूर्व एचआईवी सेरॉलाजीकल जांच की अनुशंसा की जाती है, तथा उनके लिए किसी प्रतिक्रियात्मक एचआईवी सेरॉलाजीकल टेस्ट के साथ एक वीरोलॉजीकल जांच की जानी चाहिए।

(vi) ऐसे शिशु जिसने स्तनपान नहीं किया है अथवा कभी स्तनपान न करने वाले शिशु में 9 माह या इससे अधिक आयु में निगेटिव सिरोलॉजिकल टेस्ट का प्रयोग एचआईवी संक्रमण की संभावना को नकारने के लिए किया जा सकता है।

(vii) प्रारंभिक पोजिटिव बीरोलॉजीकल जांच परिणाम वाले शिशुओं में, कड़ाई के साथ अनुशंसा की जाती है कि एंटीरिट्रॉवायरल थेरेपी(एआरटी) अविलम्ब प्रारंभ की जाए तथा, उसी समय, परिणाम की पृष्टि के लिए एक द्वितीय नमूना एकत्र किया जाए।

(viii) अज्ञात या अनिश्चित एचआईवी एक्सपोजर वाले सभी शिशुओं, जिन्हें स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में या प्रसव के आस-पास या प्रसव पश्चात प्रथम मुलाकात (आम तौर पर 4-6 सप्ताह) या अन्य बाल स्वास्थ्य मुलाकात में देखा जा रहा है, के एचआईवी एक्सपोजर स्थिति का पता लगाया जाना चाहिए।

(ix) यदि शिशु को प्रसव के पश्चात 72 घंटे से पहले देखा गया है और एचआईवी एक्सपोजर की पहचान की गई है तो 4-6 सप्ताह में एक्सपोजर पश्चात प्रोफिलैक्सिस, सुरक्षित स्तनपान पर काउंसलिंग और एचआईवी वायरोलॉजिकल टेस्ट की सिफारिश की जाती है।

(x) 4-6 सप्ताह में पहली बार देखे गए अथवा इसके पश्चात शीघ्र देखे गए तथा उन शिशुओं जिनमें एचआईवी विवरण प्रलेखीकृत है, के लिए एचआईवी वीरोलॉजीकल टेस्ट की जाएगी तथा ऐसे शिशु की मां को सुरक्षित शिशु-आहार परामर्श प्राप्त करना चाहिए।

(xi) मां में निगेटिव एचआईवी सिरोलॉजिकल टेस्ट वस्तुत: एचआईवी एक्सपोजर को नहीं नकारता है; इस गर्भधारण के दौरान मां के बहुत हाल में संक्रमित होने की संभावना को ध्यान में रखना चाहिए।

[18 माह से कम आयु के शिशुओं और बालकों में, एक पोजिटिव एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच एचआईवी होने की पुष्टि करती है परंतु निश्चित रूप से एचआईवी का निदान नहीं कर सकता है। एचआईवी सेरॉलोजिकल जांच का एचआईवी संक्रमण को खारिज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।]

(ग) शिशुओं और बालकों में एचसीवी निदान:-

(i) हेपेटाइटिस सी संक्रमण(एचसीवी) लीवर का चिरकालिक विषाणु संक्रमण है जो 4-2 % वयस्कों और लगभग 0.45 से 0.4% बालकों और किशोरों को प्रभावित करता है।

(ii) बालकों में, यह संक्रमण सर्वाधिक माताओं (वर्टिकल ट्रांस्मिशन) से होता है।

(iii) स्क्रीनिंग रक्त में एचसीवी एंटीबॉडी की जांच है। माँ के एचसीवी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं तथा 18 माह तक के शिशु के रक्त में रह सकते हैं। इस प्रकार, 8 माह से कम आयु के शिशुओं में एचसीवी की स्क्रीनिंग करने के लिए एंटी-एचसीवी एंटीबॉडी जांच की जा सकती है।

(iv) अमेरिकन बाल चिकित्सक अकादमी (एएपी) अधिक जोखिम वाले बालकों में 18 माह की आयु के पश्चात एंटीबॉडी जांच वाली जांच करने की अनुशंसा करती है। एचसीवी-पीसीआर द्वारा पॉजिटिव एंटीबॉडी जांच की पुष्टि की जानी चाहिए।

(v) यदि शिशु का किसी ज्ञात एचसीवी पॉजिटिव माँ (अथवा दत्तकग्रहण गृहों में शिशुओं में) से जन्म हुआ है तो एचसीवी-पीसीआर वाली जांच की जा सकती है। यह 3 माह से कम आयु के शिशुओं में अस्थाई रूप से पॉजिटिव जांचों की उच्च दर के कारण 3 माह की आयु उपरांत की जा सकती है। कम से कम 2-3 माह से पृथक दो निगेटिव एचसीवी-पीसीआर जांचों की यह पुष्टि करने के लिए आवश्यकता होती है कि हेपेटाइटिस सी विषाणु वाला संक्रमण नहीं है।

(घ) एचबीएसएजी

(ङ) सीबीसी, एलएफटी और आरएफटी

<u>विकासात्मक उपलब्धि-चरण के लिए चेतावनी-संकेत:-</u>

आयु	**बड़ी मांसपेशियों के इस्तेमाल संबंधी चेतावनी संकेत**
9 माह	**बिना सहारे के न बैठना**
12 माह	**सहायता के साथ खड़ा न हो पाना**
17 माह	**अकेले खड़े होने में असमर्थ**
18 माह	**अकेले चलने में असमर्थ**
2 वर्ष	**सहायता के साथ ऊपर की ओर चलने में असमर्थ**
4 वर्ष	**कूदने में असमर्थ**

आयु	छोटी मांसपेशियों के इस्तेमाल संबंधी चेतावनी संकेत
5 माह	झुनझुना पकड़ने में असमर्थ
12 माह	चिमटी जैसा पकड़ने में असमर्थ
20 माह	मोज़े या दस्ताने निकालने में असमर्थ
24 माह	कलम चलाने में असमर्थ
3 वर्ष	साधारण खिलौनों के साथ खेलने में असमर्थ
5 वर्ष	चित्र न बनाना

आयु	सामाजिक अनुकूलता के संबंध में चेतावनी संकेत
2 माह	कोई सामाजिक मुस्कान न करना
12 माह	कोई इशारा न करना
3 वर्ष	कोई ढोंग नाटक न करना
4 वर्ष	साथियों पर प्रतिक्रिया न देना
5 वर्ष	असामान्य रूप से एकांती और निष्क्रिय

आयु	श्रवण-क्षमता के संबंध में चेतावनी संकेत
12 माह	कोई बड़बड़ाहट या आवाज की नकल न करना
18 माह	किसी शब्द का प्रयोग न करना
24 माह	10 शब्दों से कम ही एकल शब्द की समझ होना
30 माह	100 शब्दों से कम, 2-शब्दों का संयोजन न कर पाना
36 माह	200 शब्दों से कम, कोई टेलीग्राफिक वाक्य न बोलना
42 माह	600 शब्दों से कम, कोई साधारण वाक्य न बोलना

*****

अनुसूची 5

[विनियम 7(3) देखें]

अभ्यर्पण का विलेख

केस सं. ....

……………. संदर्भ में

1. मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी............. के निवासी............... पारिवारिक नाम/प्रथम नाम(मों)..................... के कारण से स्वेच्छा से और किसी अवपीड़न, विवशता, भय, भुगतान, प्रतिफल, किसी प्रकार के प्रतिकर के बिना ………………. जन्म तारीख के ....आयु के (नाम के) .... बालक का अभ्यर्पण करते हैं।

2. मुझसे या हमसे

(क) विवक्षा के बारे में परामर्श किया गया है और इसके बारे में सूचित किया गया है कि मैं / हम इस अभ्यर्पण विलेख के साठवें दिन तक अपनी सहमति वापस ले सकता हूँ / ले सकती हूँ / ले सकते हैं, जिसके पश्चात मेरी / हमारी

सहमति अप्रतिसंहरणीय होगी तथा मैं / हम बालक अथवा बालकों पर अपना दावा नहीं कर सकूंगा / नहीं कर सकूंगी / नहीं कर सकेंगे।

(ख) अभ्यर्पण के विवक्षाओ के बारे में जानकारी दी गई कि अभ्यर्पण विलेख की तारीख से साठवें दिन के पश्चात, मेरे / हमारे बालक अथवा बालकों तथा मेरे / हमारे बीच विधिक माता-पिता-बालक का रिश्ता समाप्त हो जाएगा।

(ग) मैं / हम जानते हैं कि मेरा / हमारे बालक का भारत में अथवा विदेश में रह रहे व्यक्ति(यों) द्वारा दत्तकग्रहण किया जाए और इस प्रयोजन से मैं / हम सहमति देता हूँ / देती हूँ / देते हैं।

(घ) मैं / हम जानते हैं कि मेरे / हमारे बालक का दत्तकग्रहण दत्तकग्राही माता-पिता(ओं) के साथ स्थायी माता-पिता के रिश्ते का सृजन करेगा तथा तब हम फिर से बालक पर अपना दावा नहीं जता सकते हैं।

3. मेरी / हमारी इच्छा है / इच्छा नहीं है (कृपया जो लागू हो उस पर निशान लगाएं) कि जब बालक या बालिका अपनी बुनियाद की खोज के लिए लौटे तो मेरी या हमारी पहचान और पता बालक को बताया जाए।

4. मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करती हूँ /करते हैं कि मैंने / हमने उक्त कथनों को सावधानी से पढ़ लिया है तथा इन्हें पूर्णरूपेण समझ लिया है।

तारीख................ को............. पर किया गया

[अभ्यर्पणकर्ता व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान]

5. साक्षियों द्वारा घोषणा

हम, अधोहस्ताक्षरी, उक्त अभ्यर्पण के साक्षी हैं।

(क) प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर, नाम और पता

....
....
....
....

(ख) दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर , नाम और पता

....
....
....
....

6. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त नाम के अथवा अभिनिर्धारित व्यक्ति और साक्षी इस तारीख को मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए और हमारी उपस्थिति में इस दस्तावेज पर उन्होंने हस्ताक्षर किए।

तारीख .... को............. पर किया गया

सदस्यों/अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची - 6

[विनियम 10(1), 10(5), 16(3), 21(1), 45(3), 54(1), 55(1), 56(3), 59(3), 59(4) और 59(5) देखें]

ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण प्रारूप और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

रजिस्ट्रीकरण की तारीख:		
आवेदक प्रवर्ग:	(i) भारत में रह रहे भारतीय, भावी दत्तक माता-पिता को स्वयं ही अपना रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। (ii) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में रहने वाले एक विदेशी नागरिक के मामले में, संभावित दत्तक माता-पिता को अपना रजिस्ट्रीकरण कराना होगा। (iii) नियमित रूप से विदेश में रह रहे निवासी भारतीय नागरिक अथवा भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता के मामलों में प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) या जिस देश में वे रह रहे हैं, उस देश से संबंधित सरकारी विभाग रजिस्ट्रीकरण कराएंगे। (iv) हेग अभिसमय पर हस्ताक्षर न करने वाले देशों के मामले में, भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता और भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक भावी दत्तक माता-पिता के आवेदनों पर भारतीय मिशन कार्रवाई कर सकता है।	
आवेदक की प्रास्थिति:	एकल-अविवाहिता अथवा विधवा अथवा विधुर अथवा विच्छिन्न विवाह व्यक्ति अथवा कानूनी रूप से पृथक हो चुके पति या पत्नी अथवा विवाहित दंपत्ति (विवाह की तारीख, विवाह का स्थान)	
वैयक्तिक सूचना:		
नाम	पुरुष	स्त्री
जन्म की तारीख		
जन्म से राष्ट्रीयता		
वर्तमान राष्ट्रीयता / नागरिकता		
वर्तमान आवासीय पता		
नगर/जिला		
राज्य		
देश		
जिप/पिन कोड		
फोन नं.		

मोबाइल नं.	
ईमेल	
उपजीविका का ब्यौरा	
उपजीविका का स्वरूप	सरकारी नौकरी अथवा प्राइवेट नौकरी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी अथवा कारोबार अथवा अलाभकारी व्यवसाय अथवा परामर्शदाता अथवा पेशेवर अथवा अन्य अथवा गैर नियोजित
कार्यस्थल	
वार्षिक आय	
जैव/दत्तक बालकों की संख्या	कुल ( )
पहचान का ब्यौरा (यथालागू)	
पैन नंबर	
आधार कार्ड नं.	
भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड नंबर	
पासपोर्ट नंबर	
दत्तकग्रहण के लिए वरीयता	
लिंग	बालक अथवा बालिका अथवा अन्य अथवा कोई वरीयता नहीं
बालक का प्रवर्ग	सहोदर अथवा एकल
स्वास्थ्य की प्रास्थिति	सामान्य अथवा विशेष आवश्यकता वाला बालक
यदि विशेष आवश्यकता वाले बालक या बालकों का चयन किया जाता है, तो विशेष आवश्यकता की श्रेणी का उल्लेख किया जाए	
आयु	0-2 वर्ष अथवा 2-4 वर्ष अथवा 4-8 वर्ष अथवा 6-8 वर्ष अथवा 8-10 वर्ष अथवा 10-12 वर्ष अथवा 12-14 वर्ष अथवा 14-18 वर्ष
राज्य संबंधी अधिमानता:	
गृह अध्ययन रिपोर्ट के लिए अभिकरण का नाम	
अभिकरण का पता	
दत्तकग्रहण के लिए अभिप्रेरण (अधिकतम 200 अक्षरों में)	
भारत में रह रहे निवासी भारतीयों, भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक अथवा	**रजिस्ट्रीकरण के समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज** **1. देश के भीतर दत्तकग्रहण (भारत में रह रहे भारतीय)**

भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ स्वयं ही् रजिस्ट्रीकरण करना होगा।	(1) परिवार का नवीनतम फोटो या बालक का दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति का फोटो (2) भावी दत्तक माता-पिता का आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर कार्ड या चालक लाइसेंस या भावी दत्तक माता-पिता का भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड (यदि लागू हो) और पैन कार्ड (यदि लागू हो) (3) माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र अथवा जन्म की तारीख का प्रमाण (विवाहित दंपत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा) (4) निवास का प्रमाण (आधार कार्ड अथवा मतदाता कार्ड अथवा पासपोर्ट अथवा बिजली का वर्तमान बिल अथवा टेलीफोन का बिल) (5) पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची अथवा आय प्रमाणपत्र अथवा आयकर रिटर्न) (6) किसी चिकित्सा पेशेवर से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वस्थ हैं (विवाहित दंपत्ति के मामले में, दोनों आवेदकों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड किया जाएगा) (7) विवाह प्रमाणपत्र या तलाक डिक्री या सक्षम न्यायालय से घोषणा या तलाक से संबंधित शपथ पर शपथ पत्र या व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) द्वारा शासित तलाक की स्थिति में तलाक से संबंधित शपथ पर हलफनामा, जहां तलाक की डिक्री अनिवार्य नहीं है या पति या पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र, जो भी लागू हो। (8) एकल भावी दत्तक माता-पिता (यदि लागू हो) के मामले में रिश्तेदार से शपथपत्र। (9) दत्तकग्रहण परिवार में बड़ी आयु के बालक या बालकों की सहमति।
अनिवासी भारतीय नागरिक अथवा भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता के मामले में, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही, संबंधित प्राधिकारी अर्थात् प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) या सरकारी विभाग या भारतीय मिशन (भारतीय नागरिकों और भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक के मामले में) द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।	**2. अनिवासी भारतीय नागरिक अथवा विदेशी नागरिक कार्ड धारक और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में** **अंतर-देशीय दत्तकग्रहण** (1) परिवार का नवीनतम फोटो या बालक का दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति का फोटो (2) गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक और भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में रजिस्ट्रीकरण के बाद अपलोड की जाएगी) (3) पासपोर्ट (भावी दत्तक पिता) (4) पासपोर्ट (भावी दत्तक माता) (5) भावी दत्तक माता-पिता का भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक (यदि लागू हो) (6) जन्म प्रमाण-पत्र (भावी दत्तक पिता) (7) जन्म प्रमाण-पत्र (भावी दत्तक माता) (8) भावी दत्तक माता-पिता का निवास का प्रमाण (9) पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची अथवा आय प्रमाणपत्र अथवा आयकर विवरणी) (10) किसी चिकित्सा व्यवसायी से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं हैं और वे

	दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वस्थ हैं। (11) भावी दत्तक पिता के पूर्ववृत्त को प्रमाणित करने वाला पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र (12) भावी दत्तक माता के पूर्ववृत्त को प्रमाणित करने वाला पुलिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र (13) विवाह प्रमाण-पत्र (दंपत्ति के मामले में) (14) विवाह-विच्छेद डिक्री अथवा विच्छिन्न विवाह व्यक्ति के संबंध में सक्षम न्यायालय से घोषणा या शपथ पर शपथपत्र उस दशा में जहां व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) द्वारा परित्यजन शासित होता है और वहां विवाह-विच्छेद या पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र की डिक्री आवश्यक नहीं है (यदि लागू होता है)। (15) एकल भावी दत्तक माता-पिता के मामले में संबंधी से वचनबंध (यदि लागू हो) (16) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक / भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, उनके राजदूतावास/ उच्चायुक्त से दत्तक ग्रहण और भारत से भावी दत्तक माता-पिता के पुनःस्थापन के मामले में दत्कग्रहण के पश्चात् आश्वासन के लिए निराक्षेप प्रमाण-पत्र की प्रति (यदि लागू हो)। (17) भावी दत्तक माता-पिता से परिचित समाज के सम्मानित व्यक्ति का पहला संदर्भ पत्र (18) भावी दत्तक माता-पिता से परिचित समाज के सम्मानित व्यक्ति का दूसरा संदर्भ पत्र (19) ऐसे दत्तकग्रहण के लिए दत्तकग्रहण परिवार के अधिक आयु के बालक या बालकों की सहमति **<u>अभिनिर्देशन के पश्चात अपलोड किए जाने वाले अन्य दस्तावेज</u>** (1) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक या बालकों की सहमति (2) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की अनुमति (हेग अभिसमय की अभिपुष्टि करने वाले देशों के मामले में लागू) (3) विदेश में रह रहे भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण विनियमनों में यथा अपेक्षित, बालक की प्रगति के अनुवर्तन के लिए, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग या भारतीय मिशन के प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो, व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमति देने के लिए भावी दत्तक माता-पिता से वचनपत्र। (4) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक अथवा भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन के लिए संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनपत्र। (5) भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक अथवा भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, दत्तकग्रहण की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्रतिनिधि की व्यक्तिगत मुलाकातों की अनुमति देने के लिए वचनपत्र। (6) कम से कम दो वर्ष की अवधि तक बालक की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने और

	बाधा आने के मामले में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण से वचनपत्र। (7) दत्तकग्रहण पश्चात् अनुवर्तन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता के गृह भ्रमण की अनुमति देने के लिए वचनपत्र।
भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक और भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता के मामले में, रिश्तेदारी दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही, संबंधित प्राधिकारी अर्थात् प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण (एएफएए) या केंद्रीय प्राधिकरण (सीए) या सरकारी विभाग या भारतीय मिशन (भारतीय नागरिकों के मामले में) द्वारा रजिस्ट्रीकरण कराया जाएगा।	**3. अंतर-देशीय रिश्तेदारी दत्तकग्रहण** रजिस्ट्रीकरण के समय, अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामलों में निम्नलिखित के साथ यथा उपलिखित सभी अपेक्षित दस्तावेज [(1)-(19)] अभिहित पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। (1) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक या बालकों का नवीनतम फोटो। (2) दत्तक माता-पिता और जैविक माता-पिता के साथ बालक का नवीनतम परिवारिक फोटो। (3) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति। (4) जैविक परिवार के अधिक आयु के बालक अथवा बालकों की सहमति। (5) अधिनियम की धारा 2(52) के अनुसार, संबंधित बालक (वंश-वृक्ष) के साथ भावी दत्तक माता-पिता का नाता। रजिस्ट्रीकरण के आगे के चरण में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (1) हेग दत्तकग्रहण अभिसमय के अनुच्छेद 5 या 17 के अनुसार प्राप्तकर्ता देश की अनुमति (हेग अभिसमय में अभिपुष्टि करने वाले देश के मामले में लागू)। (2) अनुसूची 19 में यथा उपबंधित जैविक परिवार की सहमति। (3) बाल कल्याण समिति से अनुसूची 22 में यथा उपबंधित रिश्तेदारी में दत्तक बालक का अभ्यर्पण करने के लिए विधिक संरक्षक के लिए अनुमति (यदि लागू हो)। (4) जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अनुसूची 21 में यथा उपबंधित संबंधित राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा अनुशंसित परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट।
देश के भीतर रिश्तेदारी दत्तकग्रहण के मामले में, भावी दत्तक माता-पिता ऐसे दत्तकग्रहण के लिए अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करेंगे और प्रासंगिक दस्तावेजों को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जिला बाल संरक्षक इकाई (डीसीपीयू) को सौंपेंगे।	**4. देश के भीतर रिश्तेदारी दत्तकग्रहण** रजिस्ट्रीकरण **के समय, देश में दत्तक ग्रहण** [(1)-(9)] **के मामलों में ऊपर बताए गए अनुसार** अभिहित **पोर्टल पर सभी अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं।** (1) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक या बालकों का नवीनतम फोटो। (2) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति। (3) जैविक परिवार के अधिक आयु के बालक अथवा बालकों की सहमति। (4) जैविक माता-पिता की सहमति (दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 19** में यथा उपबंधित) (5) बाल कल्याण समिति से **अनुसूची 22** में यथा उपबंधित रिश्तेदारी में दत्तक बालक का अभ्यर्पण करने के लिए विधिक संरक्षक के लिए अनुमति (यदि लागू हो)। (6) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा उनकी रिश्तेदारी, वित्तीय और सामाजिक प्रास्थिति के समर्थन में दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 24** में यथा उपबंधित शपपथपत्र।

	(7) अधिनियम की धारा 2(52) के अनुसार, रिश्तेदार बालक के साथ भावी दत्तक माता-पिता का नाता (वंश वृक्ष)
सौतेले माता-पिता द्वारा बालक अथवा बालकों के दत्तकग्रहण के मामले में, जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता को अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना होगा और अभिहित पोर्टल के माध्यम से अपलोड करके संगत दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।	**5. सौतेले माता-पिता द्वारा बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण** रजिस्ट्रीकरण के समय, सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामलों में निम्नलिखित के साथ यथा उपरिलिखित सभी अपेक्षित दस्तावेज [(1)-(9)] अभिहित पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। (1) दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक या बालकों का नवीनतम फोटो। (2) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक की सहमति। (3) दोनों माता-पिता (जैविक और सौतेले माता-पिता) के विधिक रूप से विवाहित होने का प्रमाण (4) दत्तकग्रहण विनियमनों की अनुसूची 20 में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ इसमें यथा उपबंधित जैविक माता-पिता, बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पति या पत्नी की सहमति।

*****

अनुसूची 7

[विनियम 2(14), 10(8) और 21(2) देखें]

निवासी भारतीय नागरिक अथवा भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट

श्री –

श्रीमती –

भावी दत्तक माता-पिता की प्रास्थिति – एकल-विवाहिता अथवा विवाहित अथवा विच्छिन्न विवाह व्यक्ति अथवा पृथक हो चुके पति या पत्नी अथवा विधवा या विधुर अथवा कोई अन्य।

सभी भावी दत्तक माता-पिता को अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना होगा और प्राधिकृत संस्था से दत्त्कग्रहण करना होगा।

अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या	
रजिस्ट्रीकरण की तारीख	
पैन कार्ड नं. (पुरुष आवेदक) पैन कार्ड नं. (स्त्री आवेदक)	
आधार कार्ड नं. (पुरुष आवेदक) आधार कार्ड नं. (स्त्री आवेदक)	
पासपोर्ट नं,, यदि लागू हो (विदेशी अथवा ओसीआई भावी दत्तक माता-पिता के मामले में अनिवार्य)	

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम	
विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम	
विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई का पता	
ई-मेल	
गृह के दौरे की तारीख	

रिपोर्ट का **भाग-1** भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भरा जाएगा। गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तकग्रहण करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता के मजबूत प्रस्ताव को बनाने में सहायता करता है, तथा इसलिए, भावी दत्तक माता-पिता से उनकी सर्वोत्तम जानकारी में सभी सूचना उपलब्ध कराने की आशा की जाती है। टैम्पलेट में उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रामाणिकता के लिए केवल भावी दत्तक माता-पिता जिम्मेदार होते हैं तथा उनसे भाग-। के प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है। भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भाग-1 भरने में सामना की जाने वाली किसी कठिनाई को गृह दौरे के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साझा किया जा सकता है।

टैम्पलेट का **भाग-2** विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण में संलग्न व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जाना होता है। गृह अध्ययन रिपोर्ट दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता का आकलन करने में मदद करती है। गृह अध्ययन के दौरान, सामाजिक कार्यकर्ता भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के वित्तीय, रोजगार, स्वास्थ्य, जीवनशैली, गृह और आस-पास के माहौल; उनकी पैतृक शैली तथा दत्तकग्रहण के प्रति उनके रवय्ये (रवय्यों), दत्तकग्रहण की प्रेरणा; दत्तकग्रहण की प्रतिबद्धता और दत्तकग्रहण करने के लिए समग्र तैयारी सह परिपक्वता का मूल्यांकन करता है।

गृह अध्ययन रिपोर्ट का प्रत्येक पृष्ठ संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा।

भाग-1

भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भरा (मुद्रित) जाए

क. दत्तकग्रहण की जानकारी

(यह भाग भावी दत्तक माता अथवा पिता द्वारा भरा जा सकता है)

1) बालक के दत्तकग्रहण के पीछे आपकी अभिप्रेरणा क्या है?
2) क्या आप किसी बड़े बच्चे, जो निराकरणीय चिकित्सा स्थिति में है अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालक की सहायता करने में समर्थ होगे? हां/ नहीं
3) क्या आप किसी दत्तकग्राही परिवार अथवा वे बालक जिन्हें दत्तकग्रहण किया हो, से मिले हैं - यदि हां, तो आपका अनुभव और प्रतिक्रिया कैसी रही?
4) क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें उस बालक जिसे आप दत्तकग्रहण करना चाहते हैं की सहायता करने में आपको परामर्श देने अथवा व्यावसायिक मदद की जरूरत हो? – कृपया ब्यौरा दें।
5) कृपया वर्णन करें कि दत्तकग्रहण आपके साथ रह रहे अन्य सदस्यों पर कैसे प्रभाव डालेगा और बालक को कैसे सहायता करेगा।

ख. परिवार की पृष्ठभूमि की जानकारी:

विवरण	पुरुष आवेदक	स्त्री आवेदक
पूरा नाम (परिवारिक नाम रेखांकित करें)		
जन्म की तारीख		
जन्म स्थान		
नागरिकता*		
पता		
ई-मेल आईडी		
संपर्क नंबर और मोबाइल नंबर		
धर्म		
घर पर बोले जाने वाली भाषा(एं)		
विवाह की तारीख		
पूर्ववर्ती विवाह की तारीख (यदि कोई हो)		
विवाह-विच्छेद की तारीख (यदि कोई हो)		
शैक्षिक अर्हता		
रोजगार या उपजीविका		
वर्तमान नियोक्ता अथवा कारोबारी प्रतिष्ठान का नाम और पता		
वार्षिक आय		
स्वास्थ्य की प्रास्थिति		

* विदेशी नागरिकता के मामले में, पासपोर्ट के ब्यौरों का उल्लेख करना और इसकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में, भारत में उनके राजनयिक मिशन से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी अपेक्षित होगा।

भावी दत्तक माता पिता का फोटो

(1) अपने माता-पिता के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें

आवेदकों के माता-पिता का ब्यौरा	पुरुष आवेदक		स्त्री आवेदक	
	पिता	माता	पिता	माता
पूरा नाम				
आयु				
राष्ट्रीयता/नागरिकता				
उपजीविका				
पूर्ववर्ती उपजीविका				
वर्तमान में भावी दत्तक माता-पिता के साथ रह रहे हैं (हाँ / नहीं में बताएं)				

(2) कृपया इस सारणी में अपने प्रत्येक बालक (दत्तक और जैविक) का ब्यौरा भरें।

बालक का नाम	जैविक या दत्तक	लिंग	जन्म की तारीख	शैक्षिक प्रास्थिति

(3) कृपया परिवार में रह रहे अन्य सदस्य(यों) की आयु, लिंग, उपजीविका और रिश्तेदारी के स्वरूप का ब्यौरा दे।

नाम	रिश्तेदारी की प्रकृति	आयु	लिंग	शिक्षा	उपजीविका

(4) कृपया गृह में रह रहे किन्ही अन्य गैर- रिश्तेदार वयस्कों/ बालकों (अर्थात् गृह सहायक, स्टाफ, बाह्य कार्मिक आदि) का ब्यौरा उपलब्ध कराएं:

ग. उपजीविका/नियोजन संबंधी ब्यौरा (पिछले 5 वर्षों के वृत्तिक कैरियर का ब्यौरा): कृपया आगे दी गई सारणी में अपने वृत्तिक कैरियर का ब्यौरा भरें।

पुरुष आवेदक			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा (नाम और पता)	कार्य उपाधि	से तक

स्त्री आवेदक			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा (नाम और पता)	कार्य उपाधि	से तक

घ. वित्तीय प्रास्थिति: (सभी स्रोतों से अपनी आय, बचतों, निवेशों, व्यय, ऋण और देनदारियों का संक्षिप्त वर्णन दें)
कृपया अपने अद्यतन कर बीजकों, बैंक विवरणों इत्यादि और कर-योग्य आय का ब्यौरा दें।
क्या आप पर कोई ऋण बकाया है, आपने कुछ गिरवी आदि रखा हुआ है।

1) यदि हाँ, तो कृपया अपने कथन के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करें;
2) नहीं

ड. वर्तमान वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संबंध की गुणवत्ता (यदि लागू हो): (विवाह, वैध पृथक्करण, यदि कोई पृथक्करण हुआ हो, ऐसे पृथक्करण के कारणों, वर्तमान वैवाहिक जीवन और विनिश्चय लेने की प्रक्रियाओं का ब्यौरा दें)

(1) कृपया अपनी वैवाहिक प्रास्थिति को विनिर्दिष्ट करें:
(2) कृपया यह वर्णन दें कि आप और आपके साथी किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं।

च. दादा-दादी या नाना-नानी/विस्तृत परिवार के अन्य सदस्यों, अन्य रिश्तेदारों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का वर्तमान दत्तकग्रहण के विषय में दृष्टिकोण: (बालक के प्राप्तकर्ता देश में पहुँचने पर उसके पालन-पोषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के दत्तकग्रहण के विषय में विचारों का संक्षिप्त विवरण दें।)

छ. दत्तक बालक और परिवार में उसके पालन-पोषण के विषय में भावी दत्तक माता-पिता की प्रत्याशित योजनाएं:

(1) कृपया यह वर्णन दें कि आप दत्तक बालक के पालन-पोषण और देखरेख तथा जीवन की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे कामकाज को कैसे संभालेंगे?
(2) जब आप कामकाज के लिए जाएंगे या घर से अनुपस्थित होंगे तब बालक की देखरेख की जिम्मेदारी कौन संभालेगा/संभालेगी (घरेलू नौकर/नौकरानी, दादा-दादी/नाना-नानी, पति/पत्नी)।
(3) कृपया आप बताएं कि यदि दत्तक बालक को परिवार में समायोजन में कठिनाइयाँ आईं तो परिवार में उसके समायोजन को आसान बनाने के लिए आपने क्या उपाय करने की योजना बनाई है?

ज. दत्तकग्रहण की तैयारी और प्रशिक्षण: (दत्तकग्रहण से पहले बालकों की देखरेख, बालकों की जरूरतों के प्रबंधन, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों (यदि कोई हों) के पालन-पोषण के संबंध में लिए गए परामर्श सत्रों अथवा प्रशिक्षण और/या अनुभव का ब्यौरा दें)

जो भी लागू हो उस पर (✓) चिह्न लगाएं-
(1) दत्तकग्रहण प्रक्रिया के बारे में समझ:
(2) संदर्भ सामग्रियों का पठन:

(3) मित्रों/सगे-संबंधियों से सीखना:

(4) दत्तकग्राही माता-पिता समूहों के साथ वार्तालाप:

(5) पेशेवरों से परामर्श के माध्यम से सीखना:

(6) दत्तकग्रहण पर वीडियो मॉड्यूल:

झ. भावी दत्तक माता-पिता (माताओं-पिताओं) के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाने की दशा में बालक के लिए संभावित पुनर्वास योजना: (यदि आपके साथ कोई अल्पकालिक या दीर्घकालिक घटना हो जाए तो बालक की सुरक्षा की अपनी योजना का संक्षिप्त ब्यौरा दें।)

1) क्या आपको कामकाज के लिए यात्रा करनी पड़ती है?
2) आपकी अनुपस्थिति में बालक की देखरेख कौन करेगा/करेगी? कृपया उस व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय और आपसे उसकी रिश्तेदारी का संक्षिप्त ब्यौरा दें।
3) यदि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, जो बालक का विधिक संरक्षक बन सके? यदि हाँ तो उस व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय और आपसे उसकी रिश्तेदारी का संक्षिप्त ब्यौरा दें:
4) यदि आप एकल भावी दत्तक माता या पिता हैं, तो उस निकटतम रिश्तेदार का संक्षिप्त विवरण दें जो बालक की सुरक्षा के लिए वचन देगा।

ञ. स्वास्थ्य की प्रास्थिति (भावात्मक और शारीरिक):

(1) क्या आप या आपके पति/पत्नी किसी रोग से पीड़ित हैं? यदि हाँ तो कृपया इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें?

(2) क्या वर्तमान में आप या आपके पति/पत्नी का उपचार कोई मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक कर रहे हैं?

(3) क्या वर्तमान में आप कोई निर्धारित औषधि ले रहे हैं?

(4) क्या वर्तमान में आपके परिवार में किसी/किन्हीं बालक अथवा बालकों के किसी रोग का इलाज चल रहा है?

(5) क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य और अस्पताल में उपचार संबंधी बीमा सुरक्षा है?

ट. स्व-घोषणा

मै या हम प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ या करते हैं कि हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीयरूप से सक्षम हूँ या हैं और मुझे या हमें कोई जानलेवा चिकित्सीय स्थिति नहीं हैं और मुझे या हमें किसी भी प्रकार के आपराधिक कार्य में दोषसिद्ध या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में आरोपित नहीं किया गया है।

भावी दत्तक माता-पिता का नाम

भावी दत्तक माता-पिता के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

भाग-2

(गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भरा जाएगा)

जहाँ तक संभव हो सके, गृह अध्ययन रिपोर्ट अभिहित पोर्टल पर वैध दस्तावेज अपलोड करने की तारीख से दो मास में पूरी कर ली जानी चाहिए।

सामाजिक कार्यकर्ता को पहले भावी दत्तक माता-पिता से तैयारी संबंधी प्रश्न पूछकर उन्हें सहज महसूस कराने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को सिर झुकाने और हिलाने जैसे मौन संकेत यह दर्शाने के लिए देने चाहिए कि भावी दत्तक माता-पिता ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक प्रश्न के बाद भावी दत्तक माता-पिता को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दे। भावी दत्तक माता-पिता के किसी भी उत्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता की मौखिक प्रतिक्रिया निष्पक्ष और अनिर्णायक होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को प्रश्न पढ़ने और भावी दत्तक माता-पिता के उत्तर दर्ज करने के बीच के समय में सहानुभूति दर्शाने के लिए यथासंभव भावी दत्तक माता-पिता से आँखें मिलानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता को तभी भावी दत्तक माता-पिता को बीच में रोकना चाहिए जब वे किसी प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाते हैं।

(टैम्प्लेट में भरी गई जानकारी या तथ्यों को अभिकरणों या प्राधिकरणों द्वारा गोपनीय रखा जाना चाहिए।)

1. तथ्यात्मक निर्धारण:

(i) क्या आपने इस टैम्प्लेट के भाग-। में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन किया है?
हॉ/नहीं

(ii) क्या आप दस्तावेजों में उल्लिखित तथ्यों और साक्षात्कारों और दौरों के समय पाई गई वास्तविक स्थिति से संतुष्ट हैं?
हॉ/नहीं

2. मनोसामाजिक निर्धारण:

2.1 भावी दत्तक माता-पिता से बातचीत

(i) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता से अलग-अलग और/या एकसाथ बातचीत की है?

(ii) क्या भावी दत्तक माता-पिता दत्तक ग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अकेले भावी दत्तक माता या पिता के मामले में कृपया कौटुम्बिक सहायता व्यवस्था का उल्लेख करें।

(iii) क्या आपका यह मानना है कि भावी दत्तक माता-पिता ने पालन-पोषण के लिए अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त की हैं?

(iv) क्या आप भावी दत्तक माता-पिता को उनकी तत्परता के लिए आगे के परामर्श के लिए अभिनिर्देशित करना चाहते हैं?

2.2 गृह दौरे से प्राप्त निष्कर्ष

(i) आपने भावी दत्तक माता-पिता के घर का दौरा कब किया? आपके दौरे के समय परिवार के कौन से सदस्य उपस्थित थे?

(ii) घर के दौरे के समय आपने किससे बातचीत की?

(iii) क्या आप किसी पड़ोसी/संबंधी से मिले हैं? उस बातचीत का विस्तृत ब्यौरा दें?

(iv) क्या घरेलू वातावरण बालक के लिए अनुकूल है? यदि नहीं तो स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता को सलाह दी है?

(v) क्या भावी दत्तक माता-पिता को पालन-पोषण संबंधी मुद्दों और अन्य मुद्दों के विषय में कोई शंका थी? क्या आपने उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया है?

(vi) क्या भावी दत्तक माता-पिता दत्तकग्रहण के लिए पूरी तरह तैयार हैं?

(vii) क्या आपका यह मानना है कि भावी दत्तक माता-पिता ने बातचीत के दौरान अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त की हैं?

2.3 परिवार के सदस्यों से बातचीत:

(i) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत की है? प्रस्तावित दत्तकग्रहण के विषय में उनके क्या विचार हैं? क्या दत्तकग्रहण के विषय में उनकी सोच सकारात्मक है?

(ii) क्या परिवार के ऐसे कोई अन्य सदस्य भी हैं, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो पाई लेकिन प्रस्तावित दत्तकग्रहण में उनकी अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका हो सकती है? यदि हाँ तो आपने बातचीत कैसे की? क्या उनके विचार जानने की आपकी कोई योजना है?

(iii) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता के घर में विद्यमान अपेक्षाकृत बड़े बालक अथवा बालकों से बातचीत की है? यदि हाँ तो कृपया बातचीत का ब्यौरा दें।

(iv) क्या आपने परिवार के सदस्यों की कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की है? यदि हाँ तो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर उन टिप्पणियों का कितना प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता:

(i) भावी दत्तक माता-पिता की वित्तीय स्थिति के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या उनकी वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ है कि वे अपने परिवार में एक और सदस्य का स्वागत कर सकते हैं?

(ii) क्या आपने ऐसी वित्तीय स्थिति देखी है, जिसका उल्लेख भाग-I में नहीं किया गया है?

2.5 शारीरिक और भावात्मक क्षमता:

(i) क्या भावी दत्तक माता-पिता की शारीरिक और भावात्मक दशा इतनी अच्छी है कि वे बालक की देखरेख कर सकें?

(ii) क्या आपने भावी दत्तक माता-पिता या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य में कोई ऐसी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक समस्या पाई है, जिससे आने वाले बालक का जीवन प्रभावित होगा? यदि हाँ तो ब्यौरा दें।

(iii) घर में कमरों की संख्या कितनी है तथा क्या घर में बालक की सहायता के लिए पर्याप्त स्थान है, इसका ब्यौरा दें।

(iv) क्या भावी दत्तक माता-पिता बालक की देखरेख के लिए भावात्मक रूप से पूरी तरह तैयार हैं?

3. दत्तक बालक के साथ दत्तकग्रहण के तथ्य को साझा करने और मूल खोज पर भावी दत्तक माता-पिता के विचार और तत्परता।

4. आपके आकलन के अनुसार क्या भावी दत्तक माता-पिता अपने अपेक्षित आयु मानदंड में बालक को गोद लेने के मानदंडों को पूरा करते हैं? हां या नहीं
यदि नहीं, तो इसके कारणों का उल्लेख करें।

5. दत्तकग्रहण की सिफारिश

(i) क्या आप दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश करते हैं? माता-पिता की उपयुक्तता सहित दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश करने के लिए अपने विचार और औचित्य दर्शाएं।

(ii) यदि आप दत्तकग्रहण के लिए भावी दत्तक माता-पिता की सिफारिश नहीं करते हैं तो ऐसे निर्णय के लिए उपयुक्त कारण बताएं।

(iii) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अभिहित पोर्टल पर डाले गए दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है।

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम

सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई के मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर और मुहर

*****

अनुसूची 8

[विनियम 12(1) और 17(2) देखें]

दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण वचनबद्धता

(शपथपत्र के रूप में)

वर्तमान में _____ (विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता) की देखरेख में रह रहे ______ को जन्मे ______ (बालक का पूरा नया नाम) उर्फ _______ (बालक का पुराना नाम) नामक बालक के प्रस्तावित दत्तकग्राही मैं या हम, श्री ………… आयु ……………. वर्ष,……………… के नागरिक और श्रीमती …………….., आयु …………….. वर्ष, …………………… की नागरिक, स्थायी रूप से ………………….. (वर्तमान पता) के निवासी हैं, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करते हैं कि:

1. मैं या हम उल्लिखित बालक को संबंधित जिला अधिकारी के दत्तकग्रहण आदेश के लंबित रहने तक के लिए दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में ले रहा हूँ या रही हूँ या रहे हैं।
2. मैं या हम यह जानते हैं कि संबंधित न्यायालय से दत्तकग्रहण का अंतिम आदेश प्राप्त होने तक उक्त बालक ……………………..(विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम) के प्राधिकार और संरक्षण में रहेगा और हम उक्त बालक के केवल पोषण देख-रेख दत्तक माता पिता माता-पिता रहेंगे।
3. मेरी या हमारी देखरेख में रखे गए बालक को समस्त आवश्यक शिक्षा, चिकित्सीय देखरेख, ध्यान, पोषण और अपेक्षित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
4. बालक के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाने पर मैं या हम उस घटना की जानकारी तत्काल विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को दूंगा या दूंगी या देंगे।
5. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम आदेश जारी किए जाने तक बालक के विकास संबंधी जानकारी महीने में एक बार संस्था को दी जाएगी।
6. जब कभी मुझे या हमें बुलाया जाएगा, हम जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण सुनवाई में उपस्थित रहूँगा या रहूंगी या रहेंगे।
7. मैं या हम बालक अथवा बालकों को अपने स्वयं के बालक अथवा बालकों के रूप पालन-पोषण करूँगा या करूंगी या करेंगे।
8. मैं या हम हमारे परिवार में बालक / बालकों की उन्नति और प्रगति अभिनिश्चित करने के लिए दत्तकग्रहण उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण/ जिला बालक संरक्षण इकाई / राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के किसी प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता/ कार्यकारी को अपने या हमारे घर का दौरा करने की अनुमति दूंगा या दूंगी या देंगे।
9. मैं या हम दत्तकग्रहण उपरांत अनुवर्तन के प्रयोजन के लिए संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण, जिला बालक संरक्षण इकाई और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण को अपने या हमारे आवास (इस आवेदन में यथावर्णित के अलावा) के स्थान के किसी परिवर्तन की सूचना का वचन देता हूँ या देती हूँ या देते हैं।

श्री………....................	श्रीमती..........................
भावी दत्तक पिता	भावी दत्तक माता
तारीखः	तारीखः
साक्षी:	साक्षी:
नाम:	नाम:
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
पता:	पता:

अनुसूची 9

[विनियम 11(6), 12(2), 13(1), 16(14), 38(16), 59(4) और 59(5) देखें]

जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में भरे जाने वाले दस्तावेजों (अभिप्रमाणित अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित) की सूची

1. अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण

दत्तकग्रहण विनियम की **अनुसूची 6** में यथाउल्लिखित, भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित सभी दस्तावेज विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

<u>विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्रबंध किए जाने वाले बालक संबंधी सभी दस्तावेज</u>:-

(1) बालक के नवीनतम फोटो के साथ भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बाल अध्ययन रिपोर्ट।

(2) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट।

(3) बालक को 'दत्तकग्रहण के लिए विधिमान्य विधिक रूप से स्वतंत्र' घोषित करने वाला बालक कल्याण समिति का प्रमाणपत्र।

(4) भावी दत्तक माता-पिता के नवीनतम फोटो के साथ उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट।

(5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में अभिकरण के मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति।

(6) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक या बालकों की सम्मति।

(7) दत्तकग्रहण समिति का निर्णय (केवल देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में)।

(8) बालक के दत्तकग्रहण के समर्थन में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कार्यकारी द्वारा शपथ-पत्र।

(9) दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण का शपथ-पत्र(यदि लागू हो)।

2. भारत में निवास कर रहे विदेशी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक अथवा विदेश में रह रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक का दत्तकग्रहण।

जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी ओर से दत्तकग्रहण आवेदन को फाइल करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के प्राधिकृत कार्यकारी के पक्ष में भावी दत्तकग्रहण माता-पिता से मुख्तारनामा सहित दत्तकग्रहण विनियम की **अनुसूची 6** में यथाउल्लिखित, भावी दत्तक माता-पिता से संबंधित सभी दस्तावेज, प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग अथवा विदेश में स्थित भारतीय मिशन से विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा प्राप्त किए जाएंगे।

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा व्यवस्थित किए जाने वाले बालक के सभी दस्तावेज:-

(1) बालक के नवीनतम फोटो के साथ भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बाल अध्ययन रिपोर्ट।

(2) भावी दत्तक माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट।

(3) बालक को 'दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला बालक कल्याण समिति का प्रमाणपत्र।

(4) बालक के नवीनतनम पारिवारिक फोटो के साथ भावी दत्तक माता- पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट

(5) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में अभिकरण के मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति

(6) दत्तकग्रहण किए जाने वाले अधिक आयु के बालक या बालकों की सम्मति

(7) दत्तक ग्रहण समिति का निर्णय (केवल देश के अंदर दत्तक ग्रहण के मामलों में)

(8) बालक के दत्तकग्रहण के समर्थन में विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कृत्यकारी द्वारा शपथ-पत्र

(9) दत्तकग्रहण-पूर्ण पोषण का शपथ पत्र (जहां कहीं भी आवश्यक हो)

3. **अंतर-देशीय रिश्तेदारी में दत्तकग्रहण**

जहां बालक अपने जैविक माता-पिता अथवा संरक्षक के साथ निवास करता है, भावी दत्तक माता-पिता अपने मुख्तारनामे के माध्यम से केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी पूर्व-अनुमोदन पत्र और दस्तावेजों (दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 6** में यथा उपदर्शित) के साथ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे। मामले को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाने के लिए संबंधित बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है।

4. **देश के भीतर रिश्तेदारी में दत्तकग्रहण**

जहां बालक अपने जैविक माता-पिता अथवा संरक्षक के साथ निवास करता है, भावी दत्तक माता-पिता अपने मुख्तारनामे के माध्यम से पूर्व-अनुमोदन पत्र **(अनुसूची 25)** और दस्तावेजों (दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 6** में यथा उपदर्शित) के साथ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे। मामले को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाने के लिए संबंधित बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है।

5. सौतेले बालक का दत्तकग्रहण

जहां बालक अपने जैविक माता-पिता अथवा संरक्षक के साथ निवास करता है, भावी दत्तक माता-पिता पूर्व-अनुमोदन पत्र (**अनुसूची 25**) और दस्तावेजों (दत्तकग्रहण विनियमों की **अनुसूची 6** में यथा उल्लिखित) के साथ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेंगे। मामले को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उठाने के लिए संबंधित बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है।

टिप्पण: केवल उपरोक्त सूची में उल्लिखित प्रमाणपत्र या दस्तावेज, यथा-लागू, फाइल किया जाना अपेक्षित है। दत्त्कग्रहण के किसी भी मामले में संतानोत्पत्ति में असमर्थता का प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है।

अनुसूची 10

[विनियम 17(1) देखें]

अनापत्ति प्रमाण पत्र

(स्त्री और बाल विकास मंत्रालय का कानूनी निकाय)

प्रमाण-पत्र संख्या: तारीख:

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि स्त्री और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जो दत्तकग्रहण के मामलों से संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण है, को आगे उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक अथवा बालकों के दत्तकग्रहण पर 'कोई आपत्ति नहीं' है:

क्र. सं.	बालक का नाम	बालक का लिंग	जन्म की तारीख	भावी दत्तक माता-पिता के नाम और पता

2. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दत्तकग्रहण विनियम, 2022 और बाल संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों की सुरक्षा और सहयोग के लिए हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 17(ग) के अनुसार जारी किया जाता है।

3. दत्तकग्रहण के इस मामले में कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण और प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित विदेशी सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन को प्राधिकृत किया गया है।

4. विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन फाइल करेगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

प्रेषित:

(1) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता।

(2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग का नाम और पता।

(3) जिला मजिस्ट्रेट का नाम और पता।

(4) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा संबंधित विदेशी सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन का नाम और पता।

(5) प्राप्तकर्ता देश का भारत स्थित राजनयिक मिशन।

(6) प्राप्तकर्ता देश का केंद्रीय प्राधिकरण।

(7) विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

अनुसूची 11

[विनियम 19(1), 60 देखें]

पुष्टि प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या: तारीख:

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

(बालक संरक्षण और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग पर हेग अभिसमय, 1993 के अनुच्छेद 23 के अधीन)

बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

1 - अधोहस्ताक्षरी प्राधिकारी:

(राज्य के सक्षम दत्तकग्रहण प्राधिकारी का नाम और पता)

....
....
....
....
....

2. एततद्वारा सत्यापित किया जाता है कि बालक:

कुटुंब नाम:

पहला नाम:

लिंग: बालक ( ) बालिका ( ) अन्य ( )

जन्मतिथि: दिन ( ) माह ( ) वर्ष ( )

जन्मस्थान:

निवास का पता:

3- निम्नलिखित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार अपनाया गया था।:

विनिश्चय की तारीख:

विनिश्चय को अंतिम रूप देने की तारीख:

(यदि दत्तकग्रहण किसी प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार न होकर अन्यथा किया गया तो कृपया समतुल्य का ब्यौरा दें)

4. निम्नलिखित व्यक्ति(यों) द्वारा किया गया:

(क) दत्तक पिता का कुटुंब नाम:

पहला नाम:

जन्म तिथि: दिन ( ) माह ( ) वर्ष ( )

जन्म स्थान:

दत्तकग्रहण के समय निवास का पता:

(ख) दत्तक माता का कुटुंब नाम:

पहला नाम:

जन्म तिथि: दिन( )माह( )वर्ष( )

जन्म स्थान:

दत्तकग्रहण के समय निवास का पता:

5. अधोहस्ताक्षरी प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि दत्तकग्रहण, हेग अभिसमय के अनुसार किया गया और करार अनुच्छेद 17, उप-पैरा ग के अनुसार निम्नलिखित द्वारा किया गया:

(क) मूल राष्ट्र के केंद्रीय प्राधिकरण का नाम और पता

....
....
.... /करार की तारीख: ....

(ख) प्राप्तकर्ता राष्ट्र के केंद्रीय प्राधिकरण का नाम और पता:

....
....
.... /करार की तारीख: ....

6. दत्तकग्रहण ने माता-पिता और बालक के बीच पूर्ववर्ती विधिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। ☐

अथवा

दत्तकग्रहण से माता-पिता और बालक के बीच पूर्ववर्ती विधिक संबंध को समाप्त नहीं किया है। ☐

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

प्रेषित:

(1) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता।

(2) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण अथवा राज्य सरकार के संबंधित विभाग का नाम और पता।

(3) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का नाम और पता।

(4) प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा संबंधित विदेशी सरकारी विभाग अथवा भारतीय राजनयिक मिशन का नाम और पता।

(5) प्राप्तकर्ता देश का भारत स्थित राजनयिक मिशन।

(6) प्राप्तकर्ता देश का केंद्रीय प्राधिकरण।

(7) विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।

अनुसूची 12

[विनियम 14(1), 20(1) और 21(5) देखें]

बालक की दत्तकग्रहण-पश्चात् रिपोर्ट

रिपोर्ट सं.: तारीख:

बालक और भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

[देश के भीतर दत्तक-ग्रहण के मामले में, पश्च दत्तकग्रहण अनुवर्ती पहली रिपोर्ट, दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देख-रेख के तीन महीने के भीतर और उसके बाद अर्ध-वार्षिक आधार पर पूर्ण की जाएगी]

पहली पश्च दत्तकग्रहण अनुवर्ती रिपोर्ट	दूसरी पश्च दत्तकग्रहण अनुवर्ती रिपोर्ट	तीसरी पश्च दत्तकग्रहण अनुवर्ती रिपोर्ट	चौथी पश्च दत्तकग्रहण अनुवर्ती रिपोर्ट
तारीख	तारीख	तारीख	तारीख

* भारत में निवास कर रहे विदेशी, भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक और स्वाभाविक रूप से विदेश में निवासरत विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामलों में, पहले वर्ष के दौरान त्रैमासिक आधार पर और दूसरे वर्ष में छमाही आधार पर स्थानन-पश्चात् छह रिपोर्टें होंगी।

1. पहचान संबंधी जानकारी:

(क) बालक का नाम (आंरभिक और बाद में दिया गया, यदि कोई हो)

(ख) उपनाम/ कुटुंब नाम:

(ग) बालक के जन्म की तारीख:

2. दत्तक माता-पिता का संपर्कों का ब्यौरा

3. बालक का सामंजस्य:

(क) वर्तमान लंबाई और भार

(ख) शारीरिक परीक्षाओं और चिकित्सक के दौरों से प्राप्त निष्कर्ष

(ग) खानपान और सोने संबंधी आदतें

(घ) भावात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास

(ड) कुटुंब के सदस्यों से लगाव

(च) स्कूल में बालक का नामांकन (यदि लागू हो)

(छ) बोली जाने वाली भाषा(एं) (यदि लागू हो)

4. बालक के साथ दत्तक परिवार के सदस्यों का सामंजस्य:

5. कुटुंब की संरचना या सक्रियता में महत्त्वपूर्ण बदलाव, यदि कोई हों:

(निवास, नियोजन, कार्य संबंधी दायित्वों, रोग इत्यादि में परिवर्तन)

6. सामाजिक कार्यकर्ता की संप्रेक्षण और सिफारिशें

(हस्ताक्षर)

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम:

अभिकरण का नाम और तारीख

टिप्पण: दत्तकग्रहण-पश्चात अनुवर्ती रिपोर्ट का ऑनलाइन अद्यतन करना अनिवार्य है।

*****

अनुसूची 13

[विनियम 25(1) (च) देखें]

विशिष्ट दत्तकगहण अभिकरणों में बालक की देखरेख के मानक

1. अभिकरणों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि बालकों को संस्था में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कराई जाएं:

(क) भौतिक सुविधाएं;

i. भौतिक परिवेश, जिसमें बालक की देखरेख की जाती है, स्वच्छ होना चाहिए। अभिकरण मे स्वच्छता और सफाई का रखरखाव पर्याप्त होना चाहिए चूंकि संस्था में अधिकांश बालक छोटे होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। एक वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे एक कमरे में रखा जाना चाहिए जिससे स्नानघर और दूध पिलाने का कमरा लगा हुआ हो। एक से तीन वर्ष की आयु के बालकों को स्नानघर से जुड़े हुए कमरे में रखा जाना चाहिए। बड़े बालकों को लड़के और लड़कियों के दो अलग-अलग कमरों में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक कमरे के साथ स्नानघर और शौचालय जुड़े होने चाहिए।

ii. इसमें बर्तन धोने का स्थान और बड़ा रसोईघर और बड़े बालकों के लिए भोजन कक्ष होना चाहिए। इसमें अच्छी रोशनी, हवा के आने-जाने की जगह और पर्याप्त स्थान आवश्यक होना चाहिए।

iii. गृह को, विशेषकर स्नानघर, शौचालय और रसोईघर को स्वच्छ, साफ होना चाहिए। दीवारें और आस-पास का परिवेश चमकदार और मनोहारी होना चाहिए। कक्षों को सजाने के लिए उनमें अच्छा रोगन होना चाहिए और खिलौने, जानवरों की तस्वीरें आदि लगी होनी चाहिए।

(ख) चिकित्सा सुविधाएं:

नियमित चिकित्सीय निरीक्षण किया जाना चाहिए, जहां तक संभव हो, हर वैकल्पिक दिन रजिस्ट्रीकृत पेशेवर चिकित्सक द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। शिशु रोग विशेषज्ञ को जोखिम वाले और अतिसंवेदनशील बालक का निदान और उपचार करने के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

i. शिशुओं और बालक को संस्थाओं में प्रवेश के समय अलग रखा जाए और कम से कम एक सप्ताह तक पर्यवेक्षण में रखा जाए।

ii. बालक के प्रवेश के समय उपलब्ध अन्य विवरणों के साथ उसका भार, लंबाई और सिर की माप को लिखा जाना चाहिए।

iii. चिकित्सा अभिलेख रखा जाना चाहिए और चिकित्सक को यथाशीघ्र, बालक के प्रवेश के चौबीस घंटों के भीतर, उसका आकलन करना चाहिए।

iv. छह मास से कम आयु के वरीयता प्रत्यके बालक की फोटो प्रत्येक मास, छह मास से तीन वर्ष तक हर तीन मास पर और उसके बाद हर छह मास पर ली जानी चाहिए।

v. प्रतिरक्षण नियमित रूप से दिया जाना चाहिए और निगरानी की जानी चाहिए।

vi. गृह में हर समय आपातकालीन किट उपलब्ध होनी चाहिए और बुलाने पर चिकित्सक के आने की व्यवस्था होनी चाहिए।

vii. स्वास्थ्य के साधारण उपाय अर्थात् स्वच्छता, दांत और त्वचा की देखरेख और आहार का पर्यवेक्षण किया जाए।

viii. बालक के समुचित विकास के लिए प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दिनचर्या में साधारण प्रेरणा तकनीकों को शुरू करके नर्सों, सहायकों में जागरूकता वृद्धि करके हासिल किया जा सकता है। यह भी सलाह दी जाती है कि फिजियोथैरेपिस्ट नियमित आधार पर बालकों की जांच करे।

(ग) कर्मचारीवृंद:

i. अभिकरण के पास बालकों की देखरेख के लिए पर्याप्त **कर्मचारीवृंद** होने चाहिए, एक वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए 4:1 अनुपात की वरीयता, एक से तीन वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए 5:1 और बड़े बालकों के लिए 8:1 के अनुपात में **कर्मचारीवृंद** होने चाहिए।

ii. दत्तकग्रहण गृहों में ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता होती है जो बालकों के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्हें बालकों की देखभाल में "शिक्षित" किए जाने की जरूरत है। यह सिफारिश की जाती है कि नर्सों, सहायकों, देखरेख कर्ताओं और अन्य **कर्मचारीवृंद** के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए जिसमें वे उन बालकों की, जो उनकी देखरेख में है, विशेष प्रास्थिति को पहचानने में सक्षम बन सकें|

iii. प्रतिबद्धित **कर्मचारीवृंद** अच्छी बालक देखरेख का क्योंकि अभिन्न अंग होता है, अत: **कर्मचारीवृंद** की प्रेरणा का स्तर ऊंचा रखा जाए।

iv. कर्मचारियों का भी प्रतिरक्षण किया जाए।

(घ) कपड़े: यह महत्वपूर्ण है कि गृह में रहने वाले बालक हर समय साफ, आरामदायक और अच्छी तरह रखे गए कपड़े पहनें, न कि सिर्फ दत्तक माता-पिता से मुलाकात के दौरान।

(ङ) भोजन: संस्था का भोजन स्वच्छतापूर्वक पकाया हुआ, पोषक और स्वादिष्ट होना चाहिए। व्यंजन सूची में भिन्नता होनी चाहिए। विशिष्ट भोजन लेने वाले बालकों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए। इससे गृह में आने वाले बालकों के सामने आ रही कुपोषण की समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। सूत्रों के संकेत वाला आहार चार्ट प्रदर्शित किया जाए और उसका अनुपालन किया जाए।

(च) शिक्षा: विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण को अर्हित शिक्षक और विशेष शिक्षक के माध्यम से अथवा किसी ऐसे विद्यालय से जुड़ कर जो बालक अथवा बालकों को अस्थायी आधार पर लेगा, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

2. बालकों की देखरेख करते समय, निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं:

(क) किसी बालक का स्नायुविक विकास उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहले कुछ वर्षों के भीतर पूर्ण हो जाता है और शेष पूरे जीवन में उनकी मस्तिष्क की क्षमताओं को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, किसी बालक को संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित करने के लिए 3 वर्ष की आयु तक सुरक्षित लगाव का अनुभव करने की आवश्यकता होती है। अतः विशेष दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा ऐसे बालकों के लिए वैकल्पिक परिवार को शीघ्रता से खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा जिससे उनमें शैशावस्था के दौरान ही सुरक्षित लगाव और उचित बंधन अनुभव विकसित हो सकें।

(ख) बालकों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए उनसे बात करना, गले लगाना, पकड़ना, खेलना, कहानियां सुनाना और गाना बहुत जरूरी है। यद्यपि यह कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जाना चाहिए, यह भी सलाह दी जाती है कि स्वयंसेवकों को इस क्रियाकलाप को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(ग) गुणवत्तापूर्ण बालक देखरेख (प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख) से शिशु और छोटे बालक को अपने साथियों के साथ खेलने और सामाजिककरण में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, भोजन और पोषण प्रदान करना, एक सुरक्षित वातावरण बनाना, स्कूली तत्परता को बढ़ावा देना और प्राथमिक विद्यालय के लिए बालकों को तैयार करना और बाल्यावस्था के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

(घ) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब बालक संस्था में हो तो बाल शोषण और उपेक्षा की कोई घटना न हो।

टिप्पण: सभी दत्तकग्रहण अभिकरण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2022 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट बालक देखरेख के मानकों का अनुपालन करेंगे।

अनुसूची-14

[विनियम 46 एवं 50 देखें]

संबंधित प्राधिकरणों और अभिकरणों के लिए समयसीमा

क . बालक से संबंधित प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा:

क्रं सं.	विनियम	कार्य	समय
1.	6(2)	बालक देख भाल संस्थान या विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को परित्यक्त बालक को बाल कल्याण समिति के सामने उनकी तस्वीर और विवरण वाली रिपोर्ट के साथ पेश करना होगा।	चौबीस घंटे के भीतर (यात्रा अवधि को हटाकर)।
2.	6(5) और 7 (10)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को अभिहित पोर्टल पर बालक के विवरण को उनकी तस्वीर के साथ ऑनलाइन दर्ज करेगी।	बालक प्राप्त करने के समय से तीन दिनों के भीतर।
3	6(7)	जिला बाल संरक्षक इकाई को एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में परित्यक्त बालक के विवरण और तस्वीर को विज्ञापित करने के लिए व्यापक प्रसार, स्थानीय केबल नेटवर्क, जहां कहीं भी विद्यमान है और ट्रैक चाइल्ड पोर्टल या खोयापाया में डाटा की प्रविष्टि सुनिश्चित करना।	बालक प्राप्त करने के समय से तीन दिनों के भीतर।
4	6(9)	जिला बालक संरक्षण इकाई को विज्ञापन के परिणाम सहित परित्यक्त बालक के जैविक माता-पिता या	बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को पेश करने की तारीख

		विधिक अभिभावक का पता लगाने के लिए उसके द्वारा किए गए प्रयासों पर बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।	से तीस दिनों के भीतर।
5	6(10)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देख भाल संस्थान को बालक द्वारा उनके अल्पावधि प्लेसमेंट के दौरान प्रकट की गई किसी भी जानकारी और बालक का दावा करने के लिए संपर्क करने वाले व्यक्तियों के विवरण के बारे में बाल कल्याण समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यदि कोई हो।	बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को पेश करने की तारीख से तीस दिन के तुरंत बाद।
6	6(13)	बाल कल्याण समिति द्वारा अनाथ या परित्यक्त बालक को गोद लेने के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करना।	दो या दो वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालक के मामलों में क्रमशः दो या चार महीने की समाप्ति के बाद तीन दिनों की अवधि के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करना।
7	6(15),7(18),30(1) (ड़) (च), और 38 (2)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को बालक की नवीनतम तस्वीर के साथ बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।	बाल कल्याण समिति द्वारा बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की तारीख से दस दिनों के भीतर।
8	7(3)	जैविक माता-पिता द्वारा समर्पण विलेख पर हस्ताक्षर।	बालक को प्रस्तुत करने वाले दिन।
9	7(10)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अभ्यर्पित बालक या बालक का विवरण अपलोड किया जाना है।	बालक प्राप्त करने के समय से तीन दिनों के भीतर।
10	7(11) और 7(16)	जैविक माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा आत्मसमर्पण किए गए बालक की पुनर्विचार अवधि या पुनः प्राप्त करना।	अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिन।
11	30(1) (घ)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाली बाल कल्याण समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगी।	ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर।
12.	36(8)	बालक में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या संदिग्ध विशेष आवश्यकता की स्थिति होने पर जिला मजिस्ट्रेट बालक को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेजेंगे।	चौबीस घंटे के भीतर जैसे ही संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई की मदद से विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देख भाल संस्थान से ऐसे बालक की जानकारी मिलती है।
13	36(9) और 37	मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालक के स्वास्थ्य की स्थिति की जांच करेगा और आकलन करेगा कि बालक को कोई बीमारी है या विशेष जरूरत है।	मामला प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर।

ख. निवासी भारतीयों के साथ-साथ भारत के भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में रहने वाले विदेशियों द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए समयसीमा:

क्रं सं.	विनियम	कार्य	समय
1.	10 (1)	भावी दत्तक माता-पिता को अपने रजिस्ट्रीकरण के बाद दस्तावेज अपलोड करने चाहिए।	तीस दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर।
2.	10(8),30(3) (फ) और 38(14)	सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट को पूरा किया जाना है।	अभिहित पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने की तारीख से साठ दिनों के भीतर
3.	10(9)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा नामित पोर्टल पर गृह अध्ययन रिपोर्ट अपलोड करना।	गृह अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर।
4.	11(3) और 21(3)	एक बालक को आरक्षित करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता।	नामंकन की तारीख और समय से अड़तालीस घंटे के भीतर।
5	11(9)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा आरक्षित बालक के मिलान की प्रक्रिया और भावी दत्तक माता-पिता द्वारा स्वीकृति।	बालक के आरक्षण की तिथि से तीस दिनों के भीतर।
6	12(1)	बालक को दत्तकग्रहण -पूर्व पोषण देखरेख में लिया जाना है।	दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख वचनबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैचिंग की तारीख से दस दिनों के भीतर।
7	30(5)(ए) और 18(2)	विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा जिला बालक संरक्षण इकाई को संवीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना।	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक के मिलान की तारीख से पांच दिनों के भीतर।
8	18(2), 30(5) (क) और 38(16)	जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संवीक्षा के बाद जिलाधिकारी के पास जमा करना है।	विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण से आवेदन प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर।
9	13(6),18(1) और 36(2)	जिला दण्डाधिकारी द्वारा दत्तक ग्रहण आवेदन का निराकरण।	दत्तक ग्रहण आवेदन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर।
10	13(8)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा प्राप्त संभावित दत्तक माता-पिता को दत्तक ग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति अग्रेषित करना।	दत्तक ग्रहण आदेश जारी होने के दस दिनों के भीतर।
11	13(9)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगी।	दत्तक ग्रहण आदेश जारी होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर।
12	13(9),19(5) और 40	जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण गोद लेने के आदेश और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करेगा।	संबंधित विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से आवेदन प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर।
13	14(1) और 14(3)	विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या जिला बालक संरक्षण इकाई दत्तक ग्रहण के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट तैयार करेगी।	दत्तक-ग्रहण के पश्चात अनुवर्ती रिपोर्ट के संचालन प्रक्रिया से दस दिनों के भीतर।
14	62(2)	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को देश में दत्तक ग्रहण के मामले में अपील।	राय या विनिश्चय की तारीख से सात दिनों के भीतर।

15	62(3)	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा शिकायत या शिकायत का निवारण।	आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर।
16	62(5)	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से पंद्रह दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर उपयुक्त प्रतिक्रिया प्राप्त करने में असमर्थ होने की स्थिति में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से अपील करें।	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अड़तालीस घंटे के भीतर।
17	62(5)	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा शिकायत या शिकायत का निवारण।	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर।

ग. भारत में निवास कर रहे विदेशी या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में नहीं रहने वाले विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा भारत से दत्तक ग्रहण की समय सीमा:

क्रं सं.	विनियम	कार्य	समय
1	16(7)	प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग या भारतीय मिशन के माध्यम से नामित पोर्टल से भावी दत्तक माता-पिता द्वारा एक बालक या बालकों का आरक्षण।	नामांकन प्राप्त होने मिलने के 96 घंटे के भीतर।
2	16(10)	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक की स्वीकृति।	बालक को आरक्षित करने के तीस दिनों के भीतर।
3	17(1) और 58	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र।	भावी दत्तक माता-पिता द्वारा बालक की स्वीकृति और जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय प्राधिकरण के अनुमोदन सहित अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर।
4	19(1) और 60	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण हेग दत्तक ग्रहण कन्वेंशन के अनुच्छेद 23 के अधीन अनुरूपता प्रमाणपत्र जारी करेगा।	दत्तक ग्रहण के आदेश की उपलब्धता की तारीख से तीन दिनों के भीतर।
5	19(3)	दत्तक ग्रहण किए गए बालक के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगी।	दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर।
6	19(4) और 42	दत्तक ग्रहण किए गए बालक के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट जारी करेगा।	केंद्रीय सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अंतर्देशीय दत्तक बालक को पासपोर्ट जारी करने के संबंध में परिपत्रों के अनुसार आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों के भीतर।

अनुसूची 15

[विनियम 25(1)(ड़), 29(1), 49(1) देखें]

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देख रेख संस्थानों द्वारा दत्तक ग्रहण शुल्क और उनका उपयोग

1. **देश के भीतर दत्तक ग्रहण शुल्क (शुल्क आदि):** किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के अधीन किये गए दत्तक ग्रहण के मामलों में निवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए लागू।

क) सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भारत में भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर) या कुटुंब पृष्ठभूमि रिपोर्ट।	रु. 6,000/(यात्रा व्यय सहित)
ख) दत्तकग्रहण का शुल्क, बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट, बालक की देख-रेख और रखरखाव, और अन्य प्रशासनिक लागत तैयार करने के प्रयोजन से।	रु. 50,000/*
ग) पश्च दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती मुलाकातें और परामर्श (दो वर्ष की अवधि के भीतर चार बार)।	रु. 2,000/प्रति विज़िट या रिपोर्ट (यात्रा व्यय सहित)
घ) जहां कहीं आवश्यक हो, गृह अध्ययन रिपोर्ट का पुनः विधिमान्यता।	रु. 2,000 प्रति विज़िट या रिपोर्ट (यात्रा व्यय सहित)

* देश के भीतर दत्तक ग्रहण के मामलों में, सहोदर के मामलों में दत्तकग्रहण करने की फीस 10,000 रुपये प्रति अतिरिक्त बालक के रूप में निर्धारित की गई है।

2. **अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण (शुल्क आदि):** किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के अधीन प्रोसेस्ड दत्तकग्रहण के मामलों में गैर-निवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए लागू।

क) प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भावी दत्तक माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट।	प्राप्त करने वाले देश के मानदंडों के अनुसार
ख) बाल अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट, बालक की देख-रेख और रखरखाव, और अन्य प्रशासनिक लागत तैयार करने के उद्देश्य से दत्तकग्रहण का शुल्क।	5,000 यूएस $**
ग) पश्च दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती मुलाकातें और परामर्श (दो वर्ष की अवधि के भीतर छह बार)	प्राप्त करने वाले देश के मानदंडों के अनुसार।

**अंतर-देशीय दत्तक-ग्रहण के मामलों में, सहोदर के मामलों में दत्तक-ग्रहण शुल्क 1000 अमेरिकी डॉलर प्रति अतिरिक्त बालक के रूप में निर्धारित किया गया है।

सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों वाले बालक को अंतर-देशीय गोद लेने के मामले में, दत्तकग्रहण का शुल्क देश में गोद लेने के समान होगा।

3. **मानक उपयोग पैटर्न**

सभी विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण गृह अध्ययन, दत्तक-ग्रहण शुल्क और दत्तक-ग्रहण पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्राप्त शुल्क के लिए निम्नलिखित मानक उपयोग पैटर्न का पालन करेंगे:

(क) संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा नियत विशिष्ट सरकारी अस्पताल दरों में यथाविहित चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने सहित बालकों के चिकित्सा परीक्षण और उपचार के संचालन के लिए सभी लागत;

(ख) बालकों के जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में व्यय;

(ग) बालकों के पासपोर्ट प्राप्त करने में व्यय;

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कुल रकम के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है से बड़े बालकों को परामर्श;

(ड) बालकों का संज्ञानात्मक विकास जिसमें मस्तिष्क का विकास, ज्ञान का विकास, कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव सम्मिलित हैं, जो बालकों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में सहायता करते हैं जो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कुल रकम का 10% से अधिक नहीं है (खिलौना और शिक्षण – बालकों के लिए शिक्षण सामग्री आदि);

(च) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणया बालक देख-रेख संस्था में रहने वाले बालकों के लिए चिकित्सा बीमा कवर जब तक उन्हें दत्तक नहीं लिया जाता है;

(छ) मामला दर मामला के आधार पर वास्तविक बिल के अनुसार आपात चिकित्सा स्थिति;

(ज) मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना के आधीन या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से सरकार से सहायता प्राप्त नहीं करने वाले ऐसे बालकों की बालक देखरेख और रखरखाव;

(झ) बालकों के लिए फिजियोथेरेपी सुविधाएं।

4. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या संबद्ध बालक देखरेख संस्थाएं दत्तक लेने की फीस के रूप में प्राप्त रकम का उपयोग केवल संबंधित घरों में बालकों के कल्याण के लिए करेंगी और ऊपर दी गई निधियाँ का उपयोग करेंगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान खातों के ब्यौरे बनाकर रखेंगी और अव्ययित अतिशेष को अगले वित्तीय वर्ष में जमा किया जा सकता है।

5. दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 26(2) के अनुसार, दत्तक ग्रहण फीस या सरकार से प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग या व्यपवर्तन किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता के निलंबन का एक आधार हो सकता है।

6. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या बालक देख-रेख संस्थाओं को दत्तकग्रहण विनियम- 2022 के नियम 29 (2) के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित की जाने वाली अन्य सरकारी अधिसूचित योजनाओं के अधीन दत्तक की फीस और सरकारी अनुदान के उपयोग सहित उचित खातों को बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपगत किए गए सभी व्यय बिलों और वाउचरों द्वारा समर्थित होने चाहिए और हर हालत में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा इसका लेखापरीक्षित किया जाना चाहिए।

7. सरकार द्वारा चलाई जा रही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के मामले में, बालकों के कल्याण के लिए ऐसी निधियों के उपयोग के लिए उपयुक्त स्तर पर अनुमोदन लिया जाएगा।

8. यदि किसी अभिकरण की मान्यता समाप्त हो जाती है, और राज्य सरकार द्वारा उस अभिकरण के बालकों को किसी अन्य अभिकरण या अभिकरणों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जाता है, तो दत्तक लेने के फीस खाते में उपलब्ध अतिशेष राशि ऐसी अभिकरण या अभिकरणों को स्थानांतरित बालकों की संख्या के अनुपात में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

9. विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण प्राप्त दत्तक लेने की फीस के लिए एक अलग बैंक खाता बनाएगी जिसमें अलग रिकॉर्ड या रसीदों या भुगतानों या व्यय या खातों के रजिस्टर होंगे और खाते की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष के अंत में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जानी चाहिए जो यह प्रमाणित करें कि शुल्क का उपयोग उपरोक्त पैरा 3 में नियत मानदंडो के अनुसार किया गया है।

10. जहां विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ने किसी अन्य बालक देख-रेख संस्था से संबंधित बालक के दत्तक लेने के मामले की प्रक्रिया की है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संबंधित बालक देख-रेख संस्था के बैंक खाते के ब्यौरे प्राप्त करेगी और इसे प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या संभावित दत्तक माता-पिता को प्रदान करेगी। संबंधित बालक देख-रेख संस्था को इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के माध्यम से दत्तक लेने की फीस का पचास प्रतिशत भुगतान करने के लिए और ऐसे मामलों में, बालक देख-रेख संस्था को भी दत्तक लेने की फीस के उपयोग के समान पैटर्न का पालन करना अपेषित होता है। उनको छोड़कर जो लागू नहीं हैं।

11. जिन अभिकरणों को मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण योजना के अधीन अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, वे केवल बालकों की देख रेख के लिए और उपरोक्त मदों के अधीन निधियों का उपयोग कर सकते हैं।

अनुसूची 16

[विनियम 53(2) देखें]

पोषण देख रेख दत्तकग्रहण

(1) कुटुंब पालन-पोषण देख-रेख के लिए उपलब्ध बालक और बाद में पालक माता-पिता द्वारा दत्तक लिए गए बालक –

(क) **प्रवर्ग -1**: दत्तक लेने के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालक, जिन्हें किशोर न्याय नियम 2022 के नियम 44 और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित पोषण देख-रेख के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार देश में या अंतरदेशीय दत्तकग्रहण में कोई कुटुंब नहीं मिलता है।

(ख) **प्रवर्ग -2**: बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालक, जिन्हें दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 2 के खंड (13) में यथाउपबंचित जिन बालकों को कठिन श्रेणी या वो बालक जो तत्काल स्थापन के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें देश में दत्तकग्रहण करने या अंतरदेशीय दत्तकग्रहण हेतु कुटुंब नहीं मिलता है।

(2) पालक माता-पिता की पात्रता।

(क) भावी पालक माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम हों, और उनको जीवन को जोखिम में डालने वाली चिकित्सा दशा नहीं होनी चाहिए और उनको कोई खतरनाक बीमारी न हो और उन्हें किसी भी आपराधिक प्रकृति के कृत्य में सिद्ध दोषी नहीं होना चाहिए या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले में अभियुक्त नहीं होना चाहिए।

(ख) भावी पालक माता-पिता भी किशोर न्याय नियम 2022 और समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित पोषण देख-रेख मार्गदर्शक सिद्धांत में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार पात्र होने चाहिए।

(3) पालन की जाने वाली प्रक्रिया-

(क) भावी पालक दत्तक माता-पिता अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रर करेंगे और जिला बालक संरक्षण इकाई यथा अपेक्षित उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करेगी।

(ख) जिला बालक संरक्षण इकाई भावी पालक माता पिता के साथ बालक का मिलान पूरा करेगी और पोषण देख-रेख करने वालों का चयन करते समय, पड़ोस की देख-रेख और समूह पोषण देख-रेख द्वारा पालित विस्तारित कुटुंबिक संबंधों को, उसके बाद को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) बालक के हित को ध्यान में रखते हुए बालक को उसी सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में पालक माता-पिता के साथ पोषण देख-रेख में रखा जाएगा।

(घ) यदि पालक माता-पिता विशेष बालक या बालकों को दत्तक लेना चाहते हैं, तो दो वर्ष की अवधि के पश्चात इसकी अनुमति दी जा सकती है और ऐसे मामले में, पालक माता-पिता को दत्तक लेने के लिए अभिहित पोर्टल में संतोषजनक अनुवर्ती रिपोर्ट पालन के अधीन ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

(4) अन्य मामलों में प्रक्रिया।

(क) ऐसे मामलों में, जहां कोई बालक विधिक रूप से मुक्त घोषित नहीं है और उसे सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए अस्थायी अवधि के लिए एक पालक कुटुंब के साथ रखा गया है, ऐसा पालक कुटुंब विशेष बालक को दत्तक ले सकता है परंतु बालक विधिक रूप से मुक्त घोषित की स्थिति प्राप्त करता है जिसके बाद कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए संतोषजनक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(ख) इसके अतिरिक्त राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई की सहायता से सुसंगत जानकारी को अभिहित पोर्टल में अपलोड करेगी।

अनुसूची 17

[विनियम 41(17) देखें]

देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के लिए समर्थन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____________ और श्रीमती __________ (अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या------------------) ने किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 के अधीन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट __________________ (जिले का नाम) द्वारा दत्तक लेने हेतु जारी आदेश संख्या ______________तारीख_____________ के माध्यम से __________ (पुरुष या स्त्री या अन्य), को _____________ (जन्म तारीख) को देश में विधिमान्य रूप से दत्तक लिया है।

2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधत अधिनियम 2021 की धारा 63 के अनुसार उस तारिख से, जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक, जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक माता-पिता का बालक हो जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के इस प्रकार माता-पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता-पिता ने बालक को पैदा किया है, जो इस मामले में लागू होता है।

3. आगे यह सूचित किया जाता है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अधीन दत्तकग्रहण- पूर्व दत्तक ग्रहण की तारीख से दो साल की अवधि के लिए दत्तक लिए गए बालक के लिए आज्ञापक अनुवर्ती प्रदान करते हैं। अब तक इस मामले में _______ तक _______ दत्तक लेने के बाद की अनुवर्ती रिपोर्ट (रिपोर्टों) को पूरा किया जा चुका है और _______ शेष हैं। यदि दत्तक माता-पिता स्थायी रूप से या लंबी अवधि (तीन मास से अधिक) के लिए विदेश में स्थानांतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो दत्तक ग्रहण के बाद के आतिशेष संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन द्वारा व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से संचालित की जाएगी। भारतीय राजनयिक मिशन या प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई का संतुलन प्राप्त करने का दायित्व दत्तक माता-पिता के पास है। **(दत्तक माता-पिता द्वारा वचनबद्धता की प्रति संलग्न)।**

4. उपरोक्त समर्थन पत्र ___________ (दत्तक माता-पिता का नाम) से प्राप्त अनुरोध के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बालक के लिए पासपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

सहायक निदेशक, सी ए आर ए

प्रेषित

(भावी दत्तक माता-पिता)

ईमेल: ______________

प्रतिलिपि

आरपीओ______________

ईमेल: _____________

अनुवर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए माता-पिता द्वारा वचनबद्धता।

मैं या हम, दत्तक माता-पिता ______________________ _____________ अभिहित पोर्टल पर पंजीकरण संख्या के रूप में ___________ है ने ___________को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण_________ से बालक___________ (बालक या बालकों का नाम) को दत्तक लिया है, मैं घोषणा करता हूं कि, मैं या हम अपने कुटुंब के साथ यात्रा करने के लिए ___________ से __________ तक की समयावधि के लिए ___________ यात्रा कर रहे हैं।

यह घोषित किया जाता है कि भारतीय राजनयिक मिशन (संबंधित आईडीएम का पता) या प्राधिकरण ___________ द्वारा पहचाने गए व्यावसयिक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से दत्तक ग्रहण के बाद आतिशेष प्राप्त करने का भार हमारा होगा।

(दत्तक पिता) (दत्तक माता)

तारीख_______

*****

अनुसूची 18

[विनियम 2 (25), 8 (2), 36(9), 37, 51(4) देखें]

दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों का वर्गीकरण [दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और अनुसूची- 3 के भाग ड़के अनुसार उपबंधित की गई अनुसूची के अनुसार माना जाएगा]

1. शारीरिक दिव्यांगता

(अ) **गतिविषयक् दिव्यांगता** सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है, जिसके अंतर्गत-

(क) “कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है-

हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण [redacted]
घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;

व्यक्त विरूपता और आंशिक [redacted]
व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है।;

अत्यंत शारीरिक विरूपता के [redacted]
“कृष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति” पद का तदृनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) “प्रमस्तिष्क घात” से कोई गैर-प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

(ग) “बौनापन” से कोई चिकित्सय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणास्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट दस इंच (147 से0मी0) या उससे कम रह जाती है;

(घ) “पेशीयदुष्पोषण” से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है, जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए

आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

(ड़) “तेजाबी आक्रमण पीड़ित” से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दि्ष्टगत ह्रास

(क) “अंधता” से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोतम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विघमान होती है, -

(i) दृष्टि का पूर्णतया अभाव या; या

(ii) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम, या 10/200 (स्नेलन)से कम या; या

(iii) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) “निम्न दृष्टि” से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्: -

(i) बेहतर ओख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या

(ii) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;

(इ). श्रवण शक्ति का ह्रास-

(क) “बधिर” से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "ऊँचा” सुनने वाला व्यक्ति से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ई). **“वाक् भाषा दिव्यांगता”** से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्‌भूत दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. “बौद्धिक दिव्यांगता” से एसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोषलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत-

(क) **विनिर्दिष्ट विघा दिव्यांगताओं**” से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विघमान होती है जो समझने, बोलने पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी है;

(ख) **स्वपरायणता स्पैक्ट्रस विकार**“से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्ट: जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकाडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. मानसिक व्यवहार

“मानसिक रूग्णता” से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरण मनोदशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के कलए समग्र रूप् से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने

करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर कर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

(क) निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे-

(i) "ब्हु-स्केलेरोसिक" से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिक कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरें के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) "पार्किंसंस रोग" से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिह्नकिंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अघपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के ह्रास से संबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है

(ख) रक्त विकृति-

(i) हेमाफीलिया" से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायःपुरूषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे स्त्री द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्त्राव हो सकता है;

(ii) "थेलेसीमिया से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;

(iii) "सिक्कल कोशिका रोग" से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है, हेमोलेटिक लाल रक्त कोशिकाओ की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

4. बहुदिव्यांगता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अधंता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएँ अभिप्रेत है।

5. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

6. अनुसूची 3 (भाग ड़) को घ्यान में रखते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाने वाली संबधित बालक की विशेष आवश्यकताओं की सटीक प्रकृति।

अनुसूची 19

[विनियम 54(2) देखें]

देश के भीतर नातेदार द्वारा दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ सहमति

क. मैंने/ हमने, अधोहस्ताक्षरी ने, आगे दर्शाए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मुझे या हमें अपनी सहमति के प्रभावों की जानकारी है और मैं या हम बिना किसी प्रपीड़न या धमकी के और किसी भी प्रकार का कोई भुगतान या प्रतिकर प्राप्त किए बिना इस कथन को कह रहे हैं।

जैविक पिता	जैविक माता
परिवारिक नाम:	परिवारिक नाम: ....
प्रथम नाम:	प्रथम नाम: ....
जन्म की तारीख: तारीख ( ) माह ( ) वर्ष ( )	जन्म की तारीख: तारीख ( ) माह ( ) वर्ष ( )
स्थायी पता:	स्थायी पता: ....

मैं/हम

(i) एतद्द्वारा बालक से अपना विधिक संबंध समाप्त करता हूँ /करती हूँ /करते हैं।

(ii) यह समझता हूँ /समझती हूँ /समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता और बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।

(iii) यह प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ /करते हैं कि बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और हमारे संबंधी को दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के रूप में स्वीकार करने को इच्छुक है (जहां कहीं लागू हो)।

(iv) यह प्रमाणित करता/करती हूँ /करते हैं कि हमारी यह सहमति भुगतान या किसी भी प्रकार के प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।

(v) अपने बालक या बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2 (52) की परिभाषा के अधीन आने वाले अपने नातेदार को दत्तकग्रहण में देने के लिए सहमत हूँ/सहमत हैं।

बालक का कुटुम्ब नाम: …………....

प्रथम नाम: ....

लिंग: पुरुष [ ] स्त्री [ ] अन्य [ ]

जन्म की तारीख: तारीख ( ) माह ( ) वर्ष ( )

जन्म स्थान: ....

पता: ....

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ /करती हूं/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त कथनों को पूर्ण रूप से समझ लिया है।

................में ………………… को हस्ताक्षरित

(जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

जैविक पिता **जैविक माता**

टिप्पण: यदि जैविक माता/पिता जीवित नहीं है, जैविक माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।

ख. यदि बालक ने पांच वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो उस बालक की सहमति

जैविक माता-पिता के प्रतिहस्ताक्षर

ग. बालक या बालकों का दत्तक ग्रहण करने वाले भावी दत्तक माता या पिता (माता-पिता)

दत्तकग्रहण करने वाला पिता	**दत्तकग्रहण करने वाली माता**
परिवारिक नाम:	परिवारिक नाम: ....
प्रथम नाम:	प्रथम नाम: ....
जन्म की तारीख: तारीख ( ) माह ( ) वर्ष ( )	जन्म की तारीख: तारीख ( ) माह ( ) वर्ष ( )
स्थायी पता:	स्थायी पता: ....
बालक के साथ दत्तकग्रहण से पहले संबंध:	बालक के साथ दत्तकग्रहण से पहले संबंध:

मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी:

(i) ऊपर क पर उल्लिखित बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए मेरी या हमारी स्वेच्छा से मेरी या हमारी सहमति देता हूँ / देती हूँ या देते हैं।यह समझता हूँ /समझती हूँ /समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ माता-पिता और बालक का स्थायी ऑर विधिक संबंध स्थापित हो जाएगा।

(iii) मैं या हम यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि मैंने या हमने उपरोक्त कथनों को पूर्ण रूप से समझ लिया है।

…………… में …………………….. को हस्ताक्षरित

(दत्तक ग्रहण करने वाले भावी दत्तक माता या पिता (माता-पिता) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

दत्तकग्रहण करने वाला पिता **दत्तकग्रहण करने वाली माता**

जैविक माता-पिता का फोटो	दत्तक माता-पिता का फोटो

घ. साक्षियों द्वारा घोषणा

मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी, उपर्युक्त प्रक्रिया के साक्षी हैं।

(क) पहचान के साक्ष्य के साथ प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर, नाम ऑर पता

(ख) पहचान के साक्ष्य के साथ दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, नाम ऑर पता

………………… में ....को हस्ताक्षरित

(जिस बालक/जिन बालकों का दत्तकग्रहण किया जाना हो, उस बालक/उन बालकों, जैविक माता-पिता/संरक्षकों और साक्षियों के फोटो सामने चिपकाए जाने और सत्यापित किए जाने अपेक्षित हैं।)

ङ. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

उपर्युक्त सम्मतियों और परिवारिक वृक्ष सहित समर्थित दस्तावेजों के आधार पर, बालक कल्याण समिति .... (जिले का नाम) विधिवत इस मामले को नातेदार द्वारा दत्तकग्रहण का मामला होने की पुष्टि करती है।

.... में ....को हस्ताक्षरित

बाल कल्याण समिति की मुहर

बाल कल्याण समिति के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर

अनुसूची 20

[विनियम 7(22), 55(2) और 55(9) देखें]

किसी एक जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता द्वारा बालक या बालकों के दत्तकग्रहण के लिए बाल कल्याण समिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए जैविक माता या पिता के साथ-साथ सौतेले माता या पिता की सहमति

क. मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी:

जैविक पिता	जैविक माता
परिवारिक नाम:	परिवारिक नाम: ....
प्रथम नाम:	प्रथम नाम: ....
जन्म की तारीख: तारीख ( ) माह ( ) वर्ष ( )	जन्म की तारीख: तारीख ( ) माह ( ) वर्ष ( )
स्थायी पता:	स्थायी पता: ....

(i) मेरे या अपने बालक या बालकों (नाम, लिंग, जन्म की तारीख)…………………….. से मेरा या अपना नैसर्गिक संबंध समाप्त या अभ्यर्पित करता हूँ /करती हूँ या करते हैं।

(ii) यह समझता हूँ /समझती हूँ/समझते हैं कि इस दत्तकग्रहण से इस बालक का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता या पिता और जैविक माता या पिता के साथ माता/पिता और बालक का स्थायी ऑर विधिक संबंध स्थापित हो जाएगा।

(iii) यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि बालक या बालकों ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता/पिता को माता या पिता के रूप में स्वीकार करने का/की/के इच्छुक हूँ/हैं। (जहां कहीं लागू न हों, काट दें)

(iv) यह प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ/करते हैं कि मेरी या हमारी उक्त सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई है और किसी भी प्रकार के भुगतान या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।

(v) यह घोषणा करता हूँ /करती हूँ/करते हैं कि मैंने या हमने उपर्युक्त कथनों को पूर्ण रूप से समझ लिया है।

.... में ………………… को हस्ताक्षरित

(जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

जैविक पिता जैविक माता

ख. बाल कल्याण समिति के समक्ष क(i) पर उल्लिखित बालक या बालकों की सहमति, यदि उसने पांच वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

जैविक माता-पिता के प्रति हस्ताक्षर

ग. बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने वाला सौतेले माता/पिता और जैविक माता या पिता

परिवारिक नाम: ....

प्रथम नाम: ....

जन्म की तारीख: तारीख ( ) माह ( ) वर्ष ( )

स्थायी पता: ....

हम, अधोहस्ताक्षरी

(i) ऊपर क(i) पर उल्लिखित बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी सहमति देता / देती हूँ या देते हैं।

(ii) यह समझता/समझती हूँ कि इस दत्तकग्रहण से बालक या बालकों का मेरे या हमारे साथ इस संबंध से जुड़े सभी अधिकारों और कर्तव्यों के साथ स्थायी माता/पिता-बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।

(iii) यह घोषणा करता/करती हूँ या करते हैं कि मैंने या हमने उपर्युक्त कथनों को पूर्ण रूप से समझ लिया है।

…………… में ……………… को हस्ताक्षरित

(सौतेले माता/पिता और जैविक माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

सौतेले माता/पिता जैविक माता-पिता

घ. साक्षियों द्वारा घोषणा

मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी, उपर्युक्त प्रक्रिया के साक्षी हैं।

(क) पहचान के साक्ष्य के साथ प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर, नाम ऑर पता

(ख) पहचान के साक्ष्य के साथ दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, नाम ऑर पता

………………… में............... को हस्ताक्षरित

टिप्पण:

(i) यदि जैविक माता या पिता जीवित नहीं है, उनका / उसका मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करें।

(ii) जिस बालक/जिन बालकों का दत्तकग्रहण किया जाना हो, उस बालक/उन बालकों, जैविक माता-पिता, बालक या बालकों का दत्तकग्रहण वाले पति/पत्नी और गवाहों के प्ररूप प्रपत्र में सामने चिपकाए जाने और सत्यापित किए जाने अपेक्षित हैं।

(iii) यदि पति-पत्नी दोनों द्वारा अपने-अपने पूर्व के विवाह से बालकों का त्याग/अभ्यपर्ण किया जा रहा है, तो अलग-अलग सहमति पत्र भरा जाएगा।

(iv) केवल माता-पिता को ही बालक या बालको का पूर्ण संरक्षक अधिकार होगा।

जैविक माता-पिता का फोटो	बालक का फोटो	सौतेले माता-पिता का फोटो

ङ. बाल कल्याण समिति का प्रमाणपत्र

उपर्युक्त सहमतियों और समर्थित दस्तावेज़ों के आधार पर बाल कल्याण समिति .... (जिले का नाम), जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तकग्रहण आदेश जारी किए जाने के अध्यधीन, क(i)पर उल्लिखित बालक या बालकों को केवल --------------------------- (सौतेले माता या पिता) और .... (जैविक माता या पिता) द्वारा दत्तकग्रहण करने के लिए वैध रूप से स्वतंत्र घोषित करती है।

.... में................ को हस्ताक्षरित

बालक कल्याण समिति की मुहर बाल कल्याण समिति के तीन सदस्यों के हस्ताक्षर

अनुसूची 21

[विनियम 55(9), 57(1) और 68(5) देखें]

बालक और जैविक माता-पिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट

(जिला बालक संरक्षण इकाई के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर किए जाएं)

घर के दौरे की तारीख:

जिला बालक संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि का नाम:

1. बालक का व्यक्तिगत ब्यौरा

1.1 बालक का पूरा नाम:

1.2 लिंगः पुरुष, स्त्री, अन्य

1.3 जन्म की तारीख (बालक का जन्म प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए):

1.4 जन्म-स्थान:

1.5 धर्म:

1.6 बोली जाने वाली भाषा (यदि लागू हो):

1.7 कुटुंब में जन्म का क्रम:

1.8 वर्तमान शैक्षणिक स्थिति:

1.9 बालक का सामान्य व्यक्तित्व और वर्णन:

1.10 बालक की सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि:

2. बालक के जैविक माता-पिता या संरक्षक का ब्यौरा, जैसी भी स्थिति हो।

पिता/संरक्षक का ब्यौरा	माता/संरक्षक का ब्यौरा
जन्म की तारीख और आयु	जन्म की तारीख और आयु
धर्म	धर्म
राष्ट्रीयता	राष्ट्रीयता
वर्तमान और स्थायी पता	वर्तमान और स्थायी पता
शैक्षिक अर्हताएं	शैक्षिक अर्हताएं
वर्तमान व्यवसाय	वर्तमान व्यवसाय
कुल मासिक आय (साक्ष्य दिया जाए)	कुल मासिक आय (साक्ष्य दिया जाए)
क्या किसी रोग से पीड़ित हैं (यदि हां तो ब्यौरा दिया जाए)	क्या किसी रोग से पीड़ित हैं (यदि हां तो ब्यौरा दिया जाए)

3. जैविक माता-पिता/संरक्षक के साथ रह रहे परिवार के अन्य सदस्यों का ब्यौरा (अन्य व्यक्ति जो घर में या घर से बाहर रहते हैं)

पूरा नाम	आयु/लिंग	व्यवसाय का ब्यौरा	वैवाहिक स्थिति	बालक से संबंध

4. प्रस्तावित दत्तकग्रहण के विषय में कुटम्ब के प्रत्येक सदस्य के विचार:

5. जैविक कुटुंब और दत्तकग्रहण करने वाले परिवार के बीच संबंध (कृपया परिवारिक वृक्ष संलग्न करें)

6. जिला बालक संरक्षण इकाई की टिप्पणियां:

[जिला बालक संरक्षण इकाई को जैविक माता-पिता को दत्तकग्रहण के प्रभावों के विषय में परामर्श प्रदान करना अपेक्षित है, और किसी बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव करने के कारण बताने हैं। इसके अतिरिक्त, जिला बालक संरक्षण इकाई को यह उल्लेख करना है कि क्या दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता ने बालक से विचार-विमर्श किया है, यदि हां तो कब, तथा दत्तकग्रहण के कारण या उद्देश्य क्या हैं। जिला बालक संरक्षण इकाई जैविक परिवार के घर का वर्णन भी करे तथा यह भी बताए कि क्या बालक या बालकों के माता-पिता भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के संपर्क में हैं, रहने के स्थान तथा दत्तकग्रहण करने वाले कुटुंब के साथ बालक का फोटो इत्यादि भी प्रस्तुत करें।]

जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं:

क) क्या बालक देश की विधि के अनुसार दत्तकग्रहण के योग्य है और विशेष रूप से दत्तकग्रहण का/के क्या कारण है/हैं?

ख) क्या जैविक माता-पिता को दत्तकग्रहण के प्रभावों के बारे में परामर्श दिया गया है कि दत्तकग्रहण के परिणामस्वरूप बालक और उनके मूल परिवार के बीच विधिक संबंध समाप्त हो जाएंगे?

ग) अपेक्षित विधिक प्ररूप में जैविक माता-पिता की सहमति इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि यह किसी भी प्रकार के भुगतान या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।

घ) क्या दत्तकग्रहण के प्रभावों के बारे में बालक को पूर्ण रूप से परामर्श दिया गया है?

(पांच वर्ष से कम आयु के बालक के मामले में लागू नहीं)

ङ) बालक को परामर्श किसने प्रदान किया है?

माता-पिता या संरक्षक या बाल कल्याण समिति या सामाजिक कार्यकर्ता या परामर्शदाता या शिक्षक या चाचा या चाची / ताई/ ताया/ माया/ मामी / भाई-बहन / दादा-दादी / कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

च) अपेक्षित विधिक प्ररूप में बालक की सहमति, यदि वह पांच वर्ष से अधिक आयु का है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बालक को बिना किसी प्रलोभन के परामर्श दिया गया है और वह दत्तकग्रहण के प्रभावों से पूरी तरह से अवगत है।

छ) दिव्यांगता या विशेष आवश्यकता (यदि कोई हो तो चिकित्सा जांच रिपोर्ट में दर्शाई जाए)

ज) क्या बालक को दत्तकग्रहण के कारण माता-पिता-बालक के संबंध की विधिक रूप से समाप्ति के बारे में पता है? (यदि बालक की आयु पांच वर्ष से कम है, तो लागू नहीं है)

झ) बालक को देश के भीतर दत्तकग्रहण के लिए स्थानन न करने का कारण क्या हैं, [यदि लागू हो]

ञ) बालक को जैविक कुटुम्ब से अलग करने का औचित्य। (न्यूनतम 100 शब्दों में) [यदि लागू हो]

7. क्या परिकल्पित स्थानन बालक के सर्वोत्तम हित में है:

जिला बालक संरक्षण अधिकारी का नाम

जिला बालक संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर/तारीख सहित

रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

क) जैविक माता-पिता से संबंधित दस्तावेज:

1. जैविक कुटुम्ब या संरक्षक के निवास का साक्ष्य
2. जैविक कुटुम्ब या संरक्षक के जन्म की तारीख का साक्ष्य
3. यदि जैविक माता-पिता को कोई बीमारी है, तो चिकित्सा प्रमाणपत्र
4. जैविक माता-पिता की सहमति को दर्शाने वाला शपथपत्र

ख. बालक से संबंधित दस्तावेज

1. बालक के जन्म की तारीख का साक्ष्य
2. दत्तकग्रहण किए जाने वाले बालक की चिकित्सा जांच रिपोर्ट
3. यदि बालक की आयु पांच वर्ष से अधिक है, तो दत्तकग्राही बालक की सहमति को दर्शाने वाला शपथपत्र
4. जैविक माता-पिता के साथ बालक का फोटो
5. दत्तकग्राही के साथ बालक का फोटो

अनुसूची 22

[विनियम 54(2) देखें]

बालक के रिश्तेदार द्वारा उसको दत्तकग्रहण में लेने के लिए उसके अविभावक द्वारा दी गई सहमति पर बाल कल्याण समिति की अनुमति (जहां जैविक माता-पिता जीवित न हों या सहमति प्रदान करने में सक्षम न हों)

अ. मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी, बाल कल्याण समिति (जिला-------------) के समक्ष निम्नलिखित घोषणा करता हूँ /करती हूँ/करते हैं:

पुरुष संरक्षक	**स्त्री संरक्षक**
नाम	नाम ....
उप नाम	उप नाम ....
पिता का नाम	पिता का नाम ....
जन्म की तारीख: दिन ( ) माह ( ) वर्ष ( )	जन्म की तारीख: दिन ( ) माह ( ) वर्ष ( )
स्थायी पता:	स्थायी पता: ....
वर्तमान पता:	वर्तमान पता: ....

घोषणा करता हूँ /करती हूँ / करते हैं कि:

जो बालक (नाम) .... (उपनाम) ....- लिंग: लड़का ( ) लड़की ( ), अन्य ( ) जन्म की तारीख: तारीख ( ) माह ( ) वर्ष ( ), जन्म स्थान ...., सुपुत्री/सुपुत्र ...., स्थायी निवासी …………………………….. और वर्तमान में ………………………….. पते पर रहा / रही है, वह बालक अपने माता-पिता (दोनों) की मृत्यु हो जाने के कारण मेरी या हमारी अभिरक्षा में है। ऊपर वर्णित बालक या बालकों के नैसर्गिक माता-पिता मेरे या हमारे ____ है/हैं (कृपया संबंध विनिर्दिष्ट करें और समर्थन में दस्तावेजों के साक्ष्य संलग्न करें)।

मैं या हम

(i) ………………….. नामक बालक को दत्तकग्रहण के लिए मेरे या हमारे संबंधी को अभ्यर्पित किए जाने के लिए सहमति प्रदान करता/करती हूँ या करते हैं।

(ii) उक्त बालक या बालकों के साथ संरक्षक-प्रतिपाल्य का विधिक संबंध समाप्त करता हूँ /करती हूँ या करते हैं।

(iii) यह समझता/समझती हूँ या समझते हैं कि उक्त बालक का दत्तकग्रहण भारत या विदेश में रह रहे उनके संबंधी द्वारा किया जाएगा।

(iv) यह समझता हूँ/समझती हूँ अथवा समझते हैं कि इस बालक के दत्तकग्रहण से उसका दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता के साथ स्थायी माता – पिता बालक का संबंध स्थापित हो जाएगा।

(v) मेरा या हमारा बालक पर कोई अधिकार नहीं होगा।

(vi) मै या हम यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ या करते हैं कि मैंने अथवा हमने उपर्युक्त कथनों को ध्यानपूर्वक समझ लिया है।

(vii) मेरी या हमारी अपनी सहमति के प्रभावों की जानकारी है।

(viii) बिना किसी प्रपीड़न या धमकी के और किसी भी प्रकार किसी संदाय या प्रतिकर प्राप्त किए बिना यह कथन पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ/रही हूँ /रहे हैं।

.............को ……………. में हस्ताक्षरित

[संरक्षक/संरक्षकों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान]

ख. बालक का दत्तकग्रहण कर रहे बालक के रिश्तेदार की स्वीकृति:

दत्तक ग्राही पिता	**दत्तक ग्राही माता**
कुटुम्ब नाम:	कुटुम्ब नाम: ....
पहला नाम:	पहला नाम: ....
जन्म की तारीख: दिन ( ) माह ( ) वर्ष ( )	जन्म की तारीख: दिन ( ) माह ( ) वर्ष ( )
स्थायी पता:	स्थायी पता: ....

मैं या हम

(i) यह स्वीकार करता हूँ/ करती हूँ / करते हैं और समझता हूँ/ समझती हूँ अथवा समझते हैं कि इस बालक का दत्तकग्रहण हमारे साथ माता-पिता-बालक का स्थायी संबंध सृजित करेगा।

(ii) प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ अथवा करते हैं कि सहमति किसी भी प्रकार के संदाय या प्रतिकर से प्रेरित नहीं है।

(iii) यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ/करते हैं कि मैंने या हमने उपरोक्त कथन को पूर्णरूप से समझ लिया है।

................को ……………. में हस्ताक्षरित

[दत्तक ग्राही माता-पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान]

दत्तक ग्राही पिता **दत्तक ग्राही माता**

ग. साक्षियों द्वारा घोषणा

मैं या हम, अधोहस्ताक्षरी **साक्षियों**, बालक या बालकों के संरक्षक को भली भांति जानता/जानती हूँ या जानते हैं और सहमति/अभ्यर्पण के उपर्युक्त कथन का / की / के साक्षी हूँ या हैं।

(क) पहला साक्षी के हस्ताक्षर, नाम व पता

(ख) दूसरे साक्षी के हस्ताक्षर, नाम व पता

संरक्षक का फोटो	बालक का फोटो	भावी दत्तक ग्राही माता-पिता का फोटो

घ. बाल कल्याण समिति का प्रमाणन

नामः ....

पदनामः ....

बाल कल्याण समिति .... (जिले का नाम), यह प्रमाणित करती है कि उपरोक्त नामित व्यक्ति और साक्षी (यों) समिति के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुए तथा हमारी उपस्थिति में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं।

..............को ………………………. में हस्ताक्षरित

बाल कल्याण समिति के हस्ताक्षर और मुहर

अनुसूची 23

[विनियम 13(10) देखें]

बालक के दत्तकग्रहण के समर्थन में जिला मजिस्ट्रेट को विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के मुख्य कार्यकारी / प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

1. …………… में स्थित ………………….. में ………………… के रूप में कार्यरत …………………….. का शपथपत्र।

2. मैं नियमानुसार सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं /करती हूं किः

(क) …………………….बालक (नाम, लिंग और जन्म की तारीख) के ब्यौरों की प्रविष्टि अभिहित पोर्टल पर कर दी गई है। बालक को अभिहित पोर्टल के माध्यम से दी गई विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या ___ _ है।

(ख) बाल कल्याण समिति ___(जिले का नाम) ने …………… (तारीख) को बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया है।

(ग) कि बालक का ब्यौरा अभिहित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चाइल्ड अभिनिर्देशन प्रणाली में प्रतीक्षारत भावी दत्तक ग्राही माता-पिता को निर्दिष्ट किया गया और बालक को मौजूदा भावी दत्तक ग्राही माता-पिता (रजिस्ट्रीकरण संख्या और नाम) _____ ने दत्तकग्रहण विनियमों के पैरा संख्या ……………….. द्वारा यथा उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार कर लिया है।

(घ) ……………………………. द्वारा तैयार की गई भावी दत्तक ग्राही माता-पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट उपयुक्त पाई गई है।

(ङ) दत्तकग्रहण विनियमों के पैरा संख्या _______ के अधीन गठित दत्तकग्रहण समिति ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के पक्ष में विनिश्चय किया है और तदनुसार ………………. जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दत्तकग्रहण आवेदन दायर किया जा रहा है।

या

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए ………………… तारीख को अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है (जो भी लागू न हो, उसे काट दें)

(च) इस मामले में अपनाई गई दत्तकग्रहण प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा ……………… और दत्तकग्रहण विनियमों के पैरा ___ का अनुपालन करती है।

(छ) हमारे संगठन को …………… राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण .... संख्या के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता दी गई है , जो …………… तारीख से ……… तक मान्य है।

(ज) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण ने केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित मात्र ………………….. रूपये का दत्तकग्रहण शुल्क प्राप्त किया है।

(झ) मैं अपनी यह वचनबद्धता व्यक्त करता / करती हूं कि मैं दत्तकग्रहण प्रक्रिया के दौरान या यह प्रक्रिया संपन्न हो जाने के बाद दत्तक-ग्राही माता-पिता या उनके संबंधियों से या उनकी प्रायोजक अभिकरणो के माध्यम से किसी भी रूप में कोई दान प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी।

(ञ) उपर्युक्त तथ्य मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि यदि उपर्युक्त तथ्य सत्य न पाए गए तो परिणामों के लिए मैं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

सत्यापन

मैं …………………………., उपर्युक्त अभिसाक्षी एतत् द्वारा यह सत्यापित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त शपथपत्र में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।

मुख्य कार्यकारी या

विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर

………………. पर सत्यापित, मेरी उपस्थिति में ………………….. को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की गई और हस्ताक्षर किए गए।

अनुसूची 24

[विनियम 54(4)]

देश के भीतर रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण की दशा में, विनियम 54 के उप-विनियम 4 के अनुसार अपनी वित्तीय और सामाजिक प्रास्थिति के समर्थन में भावी दत्तक – ग्राही माता-पिता का शपथपत्र

रिश्तेदार परिवार श्री_____ और श्रीमती _________ निवासी ________, से …….. बालक का दत्तकग्रहण करने के लिए श्री _______ और श्रीमती ___________ निवासी __________ का उनकी सामाजिक-आर्थिक और वित्तीय प्रास्थिति के विषय में शपथपत्र।

1. मैं या हम …………… वर्ष से …………………… में रह रहा/रही/रहे भारतीय नागरिक हूँ//है / हैं।

2. दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तावित बालक मेरा ________ है, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52) में यथा उपबंधित रिश्तेदारी के मानदंडों को पूरा करता है।

3. सभी स्रोतों से मेरी या हमारी कुल वार्षिक आय ______ रुपए है, जो कि जहाँ हम निवास करते है के स्थानीय मानकों के अनुसार हमारे परिवार में बालक का पालन-पोषण करने के लिए युक्तियुक्त है।

सत्यापन

मैं या हम ____, उपर्युक्त आवेदक, यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त शपथपत्र में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।

आवेदक
(देश के भीतर दत्तकग्रहण की दशा में
भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता)

-------- पर सत्यापित

मेरी उपस्थिति में …………………….. को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की गई और हस्ताक्षर किए गए।

*****

अनुसूची 25

[विनियम 54(6) और 55(5) देखें]

देश के भीतर रिश्तेदार या सौतेल माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण की दशा में पूर्व-अनुमोदन पत्र

तारीख:

प्रारूप 1 - पूर्व-अनुमोदन पत्र (रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण)

………………… नामक बालक ………….. लिंग (बालक या बालिका या अन्य) …………………. (जन्म तिथि) का उसके रिश्तेदारों ………………………… और ……………………….. (अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या) ………………तथा (रजिस्ट्रीकरण की तारीख) द्वारा दत्तकग्रहण की दिशा में पूर्व-अनुमोदन पत्र।

2. यह कि भावी दत्तक माता पिता, ………….. बालक (बालक या बालिका)……………. (जैविक माता पिता) का पुत्र या पुत्री, को गोद लेने के इच्छुक है और …………………………. (दत्तकग्राही माता और पिता)--------- ------- (बालक या बालकों के नाम) के --------------- (बालक अथवा बालकों के नाम के साथ नाता विनिर्दिष्ट करे) है और इसलिए किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2 की उपधारा (52) के अधीन दत्तकग्रहण के प्रयोजन के लिए एक ' रिश्तेदार' है।
3. यह कि भावी दत्तक माता-पिता ने दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54(1) के उपबंधों के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण कराया लिया है।
4. यह कि दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54(2) के उपबंधों के अनुसार और दत्तकग्रहण विनियम, 2022 की **अनुसूची 19** या **22** में विहित प्रारूप में जैविक माता-पिता से सहमति पत्र या बाल कल्याण समिति की अनुमति अभिप्राप्त कर ली गई है।
5. यह कि दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 (4) के अधीन अपेक्षित अपनी सामाजिक और वित्तीय स्थिति की घोषणा करने वाले भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता का शपथपत्र विहित प्रारूप, अर्थात दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की **अनुसूची 24** के अनुसरण में प्रस्तुत किया गया है और जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किया गया है और संतोषजनक पाया गया है।

6. यह कि भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता, दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54(5) के अनुसार जिला बालक संरक्षण इकाई के माध्यम से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं, चूंकि उन्होंने देश के भीतर रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण करने के लिए, किशोर न्याय (बालक की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।
7. यह कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट दत्तकग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची 30 में यथाउपबंधित आवेदन के आधार पर विनियम 36(3)(घ) के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश जारी कर सकता हैं।

प्राधिकृत अधिकारी (राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण)

प्रेषित:- भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता, जिला बालक संरक्षण इकाई एवं केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण।

<u>प्रारूप 2 - पूर्व-अनुमोदन पत्र (सौतेले माता - पिता द्वारा दत्तकग्रहण)</u>

………………… बालक ………….. अन्य लिंग (बालक या बालिका या अन्य) …………………. (जन्म तिथि) का उसके सौतेले माता - पिता ………………………, ………………. (अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या) एवं ……………… रजिस्ट्रीकरण की तारीख-------- द्वारा दत्तकग्रहण के मामले में पूर्व-अनुमोदन पत्र।

2. यह कि जैविक माता - पिता---------- , और सौतेले पिता या सौतेली माता--------- ने------- (विवाह की तारीख) को विवाह किया।

3. यह कि सौतेले और जैविक माता-पिता ने दत्तकग्रहण विनियम, 2022 की अनुसूची 20 के अनुसार बालक कल्याण समिति से अनुमति अभिप्राप्त कर ली है।

4. यह कि सौतेले और जैविक माता-पिता ने अपेक्षित दस्तावेज अभिहित पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं।

5. यह कि जिला बालक संरक्षण इकाई ---------- (जिले का नाम) ने विनियम के अनुसार सत्यापन जांच का सम्पादन कर दिया है और उल्लेख किया है कि उसमें दी गई जानकारी और दस्तावेज सत्य और सही हैं।

6. यह कि दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 59(5) के अनुसार सौतेले और जैविक माता-पिता जिला बालक संरक्षण इकाई के कार्यालय के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट ---------- (जिले का नाम) से संपर्क कर सकते हैं।

7. यह कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 की **अनुसूची 32** में यथाउपबंधित आवेदन के आधार पर विनियम 36 (3) (घ) के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश जारी कर सकते हैं।

प्राधिकृत अधिकारी (राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण)

प्रेषित:- भावी दत्तक-ग्राही माता-पिता, जिला बालक संरक्षण इकाई एवं केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण।

अनुसूची 26

[विनियम 24(1) देखें]

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता के लिए किसी बालक देखरेख संस्था का आवेदन

1. संस्था के बारे में:

1.1 संस्था अथवा संगठन का नाम

1.2 सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्था या संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख (रजिस्ट्रीकरण के सुसंगत दस्तावेज और उप-नियमों, संगम ज्ञापन संलग्न किए जाएं)

1.3 बालक देखरेख संस्था के रूप में संस्था या संगठन की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)

1.4 बालक देखरेख संस्था के संचालन की विधिमान्यता की अवधि

1.5 आवेदक या संस्था या संगठन का पूरा पता

1.6 एसटीडी कोड या टेलिफोन नंबर

1.7 एसटीडी कोड फैक्स नंबर

1.8 ईमेल पता

1.9 यदि संगठन का स्वरूप अखिल भारतीय हो तो कृपया अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं के पते दें

1.10 यदि पहले कभी बालक देखरेख संस्था को मान्यता प्रदान करने या विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया गया है?

हां या नहीं

यदि हां

(क) उस आवेदन की संदर्भ संख्या, जिसके परिणामस्वरूप बालक देखरेख संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने से इनकार किया गया:

(ख) इनकार करने की तारीख:

(ग) किस विभाग ने मान्यता प्रदान करने से इनकार किया है:

(घ) विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करने से इनकार करने का कारण:

2. अवसंरचना:

2.1 कमरों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)

2.2 शौचालयों की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)

2.3 रसोईघर की संख्या (माप का भी उल्लेख करें)

2.4 रोगी कक्षों की संख्या

2.5 भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति (भवन का अधिप्रमाणितरेखा चित्र नक्शा संलग्न की जाए

2.6 अनपेक्षित आपदा से निपटने की व्यवस्था; की गई व्यवस्था के स्वरूप का भी उल्लेख करें:

(क) कीट नियंत्रण

(ख) अपशिष्ट निपटान

(ग) भंडारण क्षेत्र

(घ) अन्य कोई व्यवस्था

2.7 किराया करार या भवन रखरखाव प्राक्कलन (जो कोई भी लागू हो)

(किराया करार की प्रति संलग्न करें)

3 संस्था या संगठन की क्षमता

3.1 गृह में मौजूदा बालकों की संख्या

क) 0-5 वर्ष

ख) 5-11 वर्ष

ग) 11-18 वर्ष

4 बालकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं

4.1 शैक्षणिक सुविधा

4.2 स्वास्थ्य जांच व्यवस्था, जांच की बारंबारता, किए जाने वाली प्रस्तावित जांचों का प्रकार

4.3 बालक के समग्र विकास को प्रभावित करने वाली अन्य कोई सुविधा

5 कर्मचारीवृंद

5.1 कर्मचारियों की विस्तृत सूची (संलग्न की जानी है)

5.2 साझेदार संगठनों के नाम

6 बालक देखरेख संस्था पृष्ठभूमि की जानकारी

6.1 पिछले दो वर्षो में संगठन के प्रमुख कार्यकलाप (पिछले दो वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)

6.2 प्रबंधन समिति या शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (दत्तकग्रहण अभिकरण चलाने के विनिश्चय के समर्थन में संस्था की कार्यकारिणी निकाय का संकल्प संलग्न करें)

6.3 संगठन की आस्तियो या अवसंरचना की सूची (संलग्न की जाए)

6.4 यदि संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या (प्रमाणपत्र संलग्न करें)

6.5 पिछले दो वर्षो में प्राप्त विदेशी अभिदायों का ब्यौरा (सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें)

6.6 सहायतानुदान वित्तपोषण के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) के साथ योजना या परियोजना का नाम, प्रयोजन, रकम इत्यादि।

6.7 अभिकरण के विद्यमान बैंक खाते का ब्यौरा, जिसमें शाखा कोड और खाता संख्या उपदर्शित किए गए हों।

6.8 क्या संस्था प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है।

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2022 को पढ़ और समझ लिया है।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति पूर्व में दोषी सिद्ध नहीं हुआ है या किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल-शोषण या बाल श्रमिक को काम पर रखने में संलिप्त नहीं रहा है और न ही केंद्रीय या राज्य सरकार ने कभी भी इस संगठन को ब्लैकलिस्ट किया है।

…………………………. [संगठन अथवा संस्था का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 के अधीन विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

मैं अभिहित पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन आंकड़े अपलोड करने तथा इस प्रयोजनार्थ सुविधाएं स्थापित करने का वचन देताहूँ/देती हूँ।

मैं इस विषय में केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दत्तकग्रहण विनियमों और अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की जाने वाली सभी शर्तों को पूरा करने का वचन देताहूँ/देती हूँ।

मुख्य पदाधिकारी का नाम और हस्ताक्षर:……………………………

पदनाम:

पता:

जिला:

तारीख:

कार्यालय की मुहर:

हस्ताक्षर:

साक्षी संख्या 1:

साक्षी संख्या 2:

अनुसूची 27

[विनियम 11(4) देखें]

देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त का प्रारूप

विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता:

1. केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (4) के अनुसार दत्तक ग्रहण समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं।

क्रम सं.	नाम	पदनाम
(1)		
(2)		
(3)		

[विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण - बालक देखरेख संस्था लिंकेज के माध्यम से दत्तकग्रहण के मामले में सदस्य दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 61(8) के अनुसार होंगे। समिति का कोरम विनियम 11(5) के अनुसार होगा।

2. समिति के अधोहस्ताक्षरी सदस्यों ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दत्तकग्रहण आवेदन करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों (सत्यापित/नोटरी से प्रमाणित) की जांच कर ली है, जो कि इस प्रकार हैं:
   1) वर्तमान परिवार का फोटो या बालक का दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति का फोटो
   2) माता-पिता का पैन कार्ड
   3) माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र या जन्म की तारीख का प्रमाण (विवाहित दंपत्ति के मामले में दोनों आवेदकों के जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करें)
   4) निवास का प्रमाण (आधार कार्ड या मतदाता कार्ड या पासपोर्ट या मौजूदा बिजली बिल या टेलिफोन बिल)
   5) पिछले वर्ष की आय का प्रमाण (सरकारी विभाग द्वारा जारी वेतन पर्ची अथवा आय प्रमाणपत्र अथवा आयकर विवरणी)
   6) किसी चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिससे प्रमाणित होता है कि भावी दत्तक माता-पिता किसी चिरकालिक, संक्रामक या घातक रोग से ग्रस्त नहीं है और वे दत्तकग्रहण करने के लिए उपयुक्त हैं (विवाहित दंपत्ति के मामले में दोनों आवेदकों के चिकित्सा प्रमाणपत्र अपलोड करें)
   7) विवाह प्रमाण पत्र/विवाह –विच्छेद डिक्री/सक्षम अदालत से घोषणा या स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) द्वारा शासित विवाह –विच्छेद के मामले में विवाह –विच्छेद से संबंधित शपथ पर शपथपत्र जहां विवाह –विच्छेद की डिक्री अनिवार्य नहीं है/ पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र लागू हो।
   8) दत्तकग्रहण के समर्थन में परिचितों या रिश्तेदारों के दो संदर्भ पत्र।
   9) विवाह विच्छेद के बारे में विवाह-विच्छेद डिक्री अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा यदि विवाह विच्छेद स्वीविधि (पर्सनल लॉ) द्वारा अभिशासित है, जहां विवाह विच्छेद की डिक्री आवश्यक नहीं है, शपथ अथवा पति या पत्नी की मृत्यु का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) की प्रति।
   10) परिवार में अधिक आयु के बालक अथवा बालकों की सहमति की प्रति।

3. दत्तकग्रहण समिति का विनिश्चय

(1) समिति ने यह विनिश्चय किया है कि भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता.......................... जिनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या .... है, को बालक…………. (जन्मतिथि) जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या .... है, का दत्तकग्रहण करने के लिए उपयुक्त समझा गया है।

(2) यदि भावी दत्तक माता-पिता को उपयुक्त नहीं समझा गया तो उसके कारण:

(.................................) (.................................) (.................................)

सदस्य 1	सदस्य 2	सदस्य 3
(नाम और पदनाम)	(नाम और पदनाम)	(नाम और पदनाम)

अनुसूची 28

[धारा 56(1), 58,61 और विनियम 13(2) देखें]

अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक /बालकों के मामले में देश के भीतर दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला मॉडल आवेदन

[विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा-------- में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया जाए]

1. आवेदन संख्या ____ / वर्ष
2. भावी दत्तक माता-पिता की अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3. जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:
4. दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 13(2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 58(3) के अधीन ……………………………… नामक बालक (लड़का या लड़की या अन्य), ………… (जन्मतिथि) के दत्तकग्रहण के मामले में आवेदन।

आवेदक (आवेदकगण)

1. भावी दत्तक माता-पिता की ओर से संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता:
2. यदि दत्तकग्रहण आवेदन एक लिंकेज मामले में फाइल किया जा रहा है, तो संबंधित बालक देखरेख संस्था का नाम और पता:

भावी दत्तक माता-पिता

श्री …………………….. सुपुत्र ………………………….., आयु लगभग …………………. वर्ष, नागरिक ………………….., व्यवसाय……………….. स्थायी निवास स्थान का पता ……………………………श्रीमती ……………………… पत्नी ………………………., आयु लगभग ……………. वर्ष, नागरिक ………………, व्यवसाय: ……………….., स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….

आवेदक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करते है, जो इस प्रकार है:-

1. कि आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (इसके बाद इसे "किशोर न्याय अधिनियम" कहा गया है) की धारा 65 के अधीन _____ राज्य सरकार से किशोर न्याय अधिनियम और दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनर्वास के लिए मान्यता-प्राप्त विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण है।
2. कि आवेदक को बालक ……………… लड़का या लड़की या अन्य; जन्म की तारीख: ......) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह इस बालक को उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने का इच्छुक है।
3. कि सह-आवेदक, एक रजिस्ट्रीकृत बालक देखरेख संस्था है, जिसे बालक …………... (लड़का या लड़की या अन्य; जन्म की तारीख: ......) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह संस्था इस बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 66 के उपबंध के अनुसार आवेदक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की इच्छुक है।

   [**टिप्पणी**: इस पैरा का उल्लेख तभी किया जाएगा जब दत्तकग्रहण आवेदन लिंकेज मामले में फाइल किया जा रहा हो।]
4. कि बालक अथवा बालकों..... (लड़का या लड़की या अन्य, जन्म की तारीख:......) को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों के अनुसार बाल कल्याण समिति .... जिला द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न है) तथा उक्त बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 (1) में यथा-परिकल्पित दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या ...... द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
5. कि उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता वर्तमान में .... (पूरा पता) में रह रहे भारत के निवासी हैं।
6. कि उन्हें उनकी संलग्न गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर उन्हें किशोर न्याय अधिनियम की धारा 57 और दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 5 में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण करने के लिए योग्य और उपयुक्त पाया गया है।
7. कि दत्तकग्रहण समिति द्वारा भी भावी दत्तक माता-पिता को उपर्युक्त नामित बालक/ बालकों को गोद लेने के लिए उपयुक्त पाया गया है। दत्तक ग्रहण समिति के निर्णय की एक सत्य प्रति भी संलग्न है।
8. कि उपर्युक्त बालक अथवा बालकों को उक्त भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अभिहित पोर्टल के माध्यम से आरक्षित किया गया है और उक्त भावी दत्तक माता-पिता ने बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर .... को हस्ताक्षर करके उक्त बालक अथवा बालकों को स्वीकार किया है।
9. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 58 (3) और दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 12(1) के उपबंधों के अनुसार, दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख शपथपत्र (सत्य प्रति संलग्न) प्राप्त करने के बाद बालक अथवा बालकों को .... को उक्त भावी दत्तक माता-पिता के दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख में दिया गया है।
10. कि बाल संरक्षण समिति ने ……………. तारीख की अपनी बैठक में बालक अथवा बालकों को भावी दत्तक माता-पिता के दत्तकग्रहण में स्थानन करने का विनिश्चय किया है।
11. कि भावी दत्तक माता-पिता ने उक्त दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख शपथपत्र में यह वचन दिया है कि वे दत्तकग्रहण करने वाले परिवार में बालक की प्रगति और कल्याण की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन के लिए विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई अथवा राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता अथवा कार्यकारी को अपने घर आने की अनुमति देंगे (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 58(5) की परिकल्पना के अनुसार)।
12. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे, अपने निवास स्थान में किसी भी बदलाव (इस आवेदन में सूचित निवास स्थान से भिन्न) की सूचना, दत्तकग्रहण-पश्चात अनुवर्तन के प्रयोजनार्थ, आवेदक(कों), संबंधित राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण तथा जिला बालक संरक्षण इकाई को देंगे।
13. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे उक्त बालक अथवा बालकों को अपने बालकों की भांति पालेंगे तथा बालक अथवा बालकों को अपने नैसर्गिक बालक के समान परिस्थिति अथवा अधिकार अथवा

सुविधाएं प्रदान करेंगे, जैसा कि इस आवेदन के साथ संलग्न दत्तकग्रहण-पूर्व पोषण देखरेख शपथपत्र में कहा गया है।

14. कि इस दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।

15. कि बालक अथवा बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।

16. कि जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(23), 58(3) और 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

17. कि आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

18. कि आवेदक/(कों) ने किसी अन्य जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया है।

19. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है:

(क) कि उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने तथा उन्हें विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।

(ख) कि जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निदेश देने की कृपा करें।

स्थान और तारीख: आवेदक सं. 1

आवेदक सं. 2 (यदि लागू हो)

बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

सत्यापन

मैं अथवा हम, श्री/श्रीमती ...., आयु लगभग ___, आवेदक संख्या 1 के दत्तकग्रहण प्रभारी/सामाजिक कार्यकर्ता, शपथपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता /करती हूँ अथवा करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

आवेदक सं. 1 (नाम एवं हस्ताक्षर, मुहर सहित)

तारीख

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 और 9 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी
(नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित,
स्थान और तारीख)

अनुसूची 29

[धारा 59 और विनियम 18(2) देखें]

अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालक / बालकों के मामले में अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए मॉडल आवेदन

[विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण द्वारा फाइल किया जाए]

1. आवेदन संख्या ____ / वर्ष
2. भावी दत्तक माता-पिता की अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3. जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:
4. दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 18(2) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 59(7) के अधीन ……………………………… नामक बालक (लड़का या लड़की या अन्य), ………… (जन्मतिथि) के दत्तकग्रहण के मामले में आवेदन।

आवेदक (आवेदकगण)

1. भावी दत्तक माता-पिता की ओर से संबंधित विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण का नाम और पता:
2. यदि दत्तकग्रहण आवेदन एक लिंकेज मामले में फाइल किया जा रहा है, तो संबंधित बालक देखरेख संस्था का नाम और पता:

भावी दत्तक माता-पिता

श्री …………………….. सुपुत्र ………………………….., आयु लगभग …………………. वर्ष, नागरिक ………………….., व्यवसाय………………. स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….:

श्रीमती ……………………… पत्नी ………………………., आयु लगभग …………….. वर्ष, नागरिक ………………, व्यवसाय: ……………….., स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….

आवेदक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करता है, जो इस प्रकार है:-

1. कि आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (इसके बाद इसे "किशोर न्याय अधिनियम" कहा गया है) की धारा 65 के अधीन _____ राज्य सरकार से किशोर न्याय अधिनियम और दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनर्वास के लिए मान्यता-प्राप्त विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण है।
2. कि आवेदक को बालक ……………… (लड़का या लड़की या अन्य; जन्म की तारीख: ......) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह इस बालक को उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने का इच्छुक है।
3. कि सह-आवेदक, एक रजिस्ट्रीकृत बालक देखरेख संस्था है, जिसे बालक …………... (लड़का या लड़की या अन्य; जन्म की तारीख: ......) की देखरेख और अभिरक्षा प्राप्त है और यह संस्था इस बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 66 के उपबंध के अनुसार आवेदक विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण के माध्यम से उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने की इच्छुक है।

[**टिप्पण:** इस पैरा का उल्लेख तभी किया जाएगा जब दत्तकग्रहण आवेदन लिंकेज मामले में फाइल किया जा रहा हो।]

4. कि बालक अथवा बालकों..... (लड़का या लड़की या अन्य, जन्म की तारीख:......) को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों के अनुसार बालक कल्याण समिति .... जिला द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न है) तथा उक्त बालक को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 56 (1) में यथा-परिकल्पित दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या ...... द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
5. कि उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता वर्तमान में .... (पूरा पता) में रह रहे भारत में निवास कर रहे विदेशी भावी दत्तक माता-पिता अथवा भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक या विदेशी नागरिक हैं।
6. कि भावी दत्तक माता-पिता को प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय अभिकरण (नाम और पता) द्वारा तथा उनकी संलग्न गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर और उनके निवास के देश के कानून के अनुसार, दत्तकग्रहण करने के लिए पात्र और उपयुक्त पाया गया है।
7. कि भावी दत्तक माता-पिता को अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या ………………….. के साथ रजिस्ट्रीकृत किया गया है और उन्हें किशोर न्याय अधिनियम की धारा 57 में उल्लिखित मानदंडों और दत्तक ग्रहन विनियम के विनियम 5 के अनुसार केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा योग्य पाया गया है।
8. कि उक्त नामित बालक अथवा बालकों को उक्त भावी दत्तक माता-पिता द्वारा अभिहित पोर्टल पर ऑनलाइन आरक्षित किया गया है और भावी दत्तक माता-पिता ने बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर .... को हस्ताक्षर करके स्वीकार किया है।
9. कि भावी दत्तक माता-पिता ने प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण एजेंसी अथवा संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से यह वचन दिया है कि वे दत्तकग्रहण करने वाले परिवार में बालक की प्रगति और कल्याण की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 59(11) में यथापरिकल्पित, दत्तकग्रहण-पश्चात् अनुवर्तन के लिए प्राधिकृत विदेशी दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा केंद्रीय प्राधिकरण अथवा संबंधित सरकारी विभाग के प्राधिकृत सामाजिक कार्यकर्ता या कृत्यकारी को अपने घर आने की अनुमति देंगे।
10. कि भावी दत्तक माता-पिता ने यह वचन भी दिया है कि वे उक्त बालक अथवा बालकों को अपने बालकों की भांति पालेंगे तथा बालक अथवा बालकों को अपनी नैसर्गिक संतान के समान प्रास्थिति अथवा अधिकार अथवा सुविधाएं प्रदान करेंगे।
11. कि इस दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।
12. कि बालक अथवा बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।

13. कि आवेदक जिला मजिस्ट्रेट के अधिकारिता के अधीन हैं, और इसलिए मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(23), 59(7) और 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने की अधिकारिता प्राप्त है।

14. कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 17 में यथाउपबंधित प्रस्थावित दत्तकग्रहण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।

15. कि आवेदक/(कों) ने किसी अन्य जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए कोई अन्य आवेदन दायर नहीं किया है।

16. कि बालक अथवा बालकों को दत्तकग्रहण में देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।

17. **अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि**:

(क) उपर्युक्त भावी दत्तक माता-पिता को विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त बालक अथवा बालकों का माता-पिता घोषित करने तथा उक्त बालक अथवा बालकों को उस देश ले जाने की अनुमति देने कृपा करें, जिस देश में उन माता-पिता का निवास स्थान है, ताकि वे उक्त बालक अथवा बालकों का पालन-पोषण अपने बालक की भांति कर सकें।

(ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 19 (5) और विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्य दिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

(ग) संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 42 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से दस कार्यदिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

स्थान और तारीख: आवेदक सं. 1

आवेदक सं. 2

बालक का फोटो	भावी दत्तक माता-पिता का फोटो

सत्यापन

मैं, श्री/श्रीमती ...., आयु लगभग ___, आवेदक संख्या 1 के दत्तकग्रहण प्रभारी/सामाजिक कार्यकर्ता, एतद्द्वारा शपथपूर्वक यह घोषणा तथा सत्यनिष्ठा से यह पृष्टि करता /करती हूँ कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

आवेदक सं. 1 (नाम एवं हस्ताक्षर, मुहर सहित)

तारीख

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 और 9 के उपबंधों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी
(नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित,
स्थान और तारीख)

[**टिप्पण:** भारत में निवासरत विदेशी नागरिकों के मामले में, आवेदन प्रपत्र में उपयुक्त संशोधन किया जाए]

अनुसूची 30

[धारा 2(52), 56(2) और विनियम 54(8) देखें]

देश के भीतर रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन

[भावी दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल किया जाए]

1. आवेदन संख्या ____ / वर्ष
2. भावी दत्तक माता-पिता की अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3. जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:
4. दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(2) के अधीन ……………………………… नामक बालक (बालक या बालिका), ………… (जन्मतिथि) के दत्तकग्रहण के मामले में आवेदन

भावी दत्तक माता-पिता (आवेदक)

श्री …………………….. सुपुत्र…………………………., आयु लगभग …………………. वर्ष, नागरिक ………………….., व्यवसाय………………. स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….

श्रीमती …………………….. पत्नी ………………………., आयु लगभग ……………. वर्ष, नागरिक ………………, व्यवसाय: ………………., स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….

नैसर्गिक अथवा जैविक माता-पिता

श्री …………………….. सुपुत्र…………………………., आयु लगभग …………………. वर्ष, नागरिक ………………….., व्यवसाय……………….. स्थायी निवास स्थान का पता ……………………………..:

श्रीमती …………………….. पत्नी ………………………, आयु लगभग …………….. वर्ष, नागरिक ………………, व्यवसाय: ………………., स्थायी निवास स्थान का पता ……………………………

आवेदक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करते हैं, जो इस प्रकार है:-

1. आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (जिसे इसमे इसके पश्चात किशोर न्याय अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 (52) के अधीन बालक ____ (बालक अथवा बालिका) के भावी दत्तक माता-पिता और उसके नैसर्गिक/जैविक माता-पिता के संबंधी हैं।
2. आवेदक बालक …………….. के चाचा / ताऊ या चाची/ ताई, या मामा या मामी, या दादा-दादी या नाना-नानी हैं।
3. ……………………….. बालक को नैसर्गिक माता-पिता ने _____ को जन्म दिया था और वे ……………… के निवासी हैं।
4. नैसर्गिक माता-पिता ___ कारण से बालक को दत्तकग्रहण में रखने में इच्छुक हैं।
5. भावी दत्तक माता-पिता ____ कारण से बालक का दत्तकग्रहण करने में इच्छुक हैं।
6. आवेदकों और नैसर्गिक माता-पिता ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए सहमति दे दी है, जो कि इस आवेदन के साथ उपब्ध्द है। (यदि नैसर्गिक माता-पिता जीवित न हों तो दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार बाल कल्याण समिति से दत्तकग्रहण की अनुमति से संबंधित दस्तावेज उपबध्द किए जाएंगे।)
7. जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं।

   या

   जिस बालक या बालिका के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह आवेदकों को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छुक है।
8. नैसर्गिक माता-पिता से आवेदकों द्वारा बालक का दत्तकग्रहण उस बालक के सर्वोपरि कल्याण के लिए होगा और आवेदक बालक के साथ अपने बालक की भांति व्यवहार करेंगे सभी अधिकारो और दायित्वो सहित।
9. दत्तकग्रहण के लिए न तो आवेदकों ने कोई भुगतान या प्रतिफल दिया है या देने के लिए सहमति प्रदान की है और न ही नैसर्गिक माता-पिता या संरक्षकों ने कोई भुगतान या प्रतिफल प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान की है।
10. प्रस्तावित दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में अधिकाधिक शर्तों का अनुपालन किया गया है।
11. बालक अथवा बालकों को देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।
12. बालक सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में निवास करता है और इसलिए जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

13. आवेदक(कों) ने उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए जिला मजिस्ट्रेट के किसी अन्य कार्यालय में कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया है।

14. आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

15. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:

क) आवेदको को उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने तथा उन्हें विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।

ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को विनियमों के विनियम 19(5) और विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच दिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

सत्यापन

मैं या हम, श्री/श्रीमती ...., शपथपूर्वक यह कथन तथा सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन की अंतर्वस्तु मेरी या हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

भावी माता-पिता

नाम **हस्ताक्षर**

जैविक माता-पिता का फोटो	बालक का फोटो	भावी माता-पिता का फोटो

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 और 9 के में यथाउपबिंधित उपाबद्ध किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट महोदय को अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी
(नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित,
स्थान और तारीख)

अनुसूची 31

[धारा 2(52), 60 और विनियम 59(4) देखें]

रिश्तेदार द्वारा अंतरदेशीय दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन

[भावी दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल किया जाए]

1. आवेदन संख्या ____ / वर्ष
2. भावी दत्तक माता-पिता की अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3. जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:
4. दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 56, 57, 58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 60 के अधीन ……………………………… नामक बालक (बालक या बालिका), ………… (जन्मतिथि) के दत्तकग्रहण के मामले में आवेदन

भावी दत्तक माता-पिता (आवेदक)

श्री …………………….. सुपुत्र ………………………….., आयु लगभग …………………. वर्ष, नागरिक ………………….., व्यवसाय……………….. स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….:

श्रीमती …………………….. पत्नी ……………………….., आयु लगभग ……………. वर्ष, नागरिक ………………, व्यवसाय: ……………….., स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….

नैसर्गिक अथवा जैविक माता-पिता

श्री …………………….. सुपुत्र ………………………….., आयु लगभग …………………. वर्ष, नागरिक ………………….., व्यवसाय……………….. स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….:

श्रीमती …………………….. पत्नी ……………………….., आयु लगभग ……………. वर्ष, नागरिक ………………, व्यवसाय: ……………….., स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….

आवेदक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करते हैं, जो नियमानुसार है:-

1. आवेदक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2021 (जिसे इसमेन इसके पश्चात किशोर न्याय अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 (52) के अधीन बालक ____ (बालक या बालिका) के भावी दत्तक माता-पिता और उसके नैसर्गिक/जैविक माता-पिता के संबंधी हैं।
2. आवेदक बालक के चाचा/ ताऊ या चाची/ ताई, या मामा या मामी, या दादा-दादी या नाना-नानी हैं।
3. आवेदक ………………… के निवासी हैं।
4. ……………………….. बालक को नैसर्गिक माता-पिता ने _____ को जन्म दिया था और वे ………………. के निवासी हैं।
5. नैसर्गिक माता-पिता ___ कारण से बालक को दत्तकग्रहण में रखने के इच्छुक हैं।
6. भावी दत्तक माता-पिता ____ कारण से बालक का दत्तकग्रहण करने के इच्छुक हैं।

7. आवेदकों और नैसर्गिक माता-पिता ने प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए सहमति दे दी है, जो कि इस आवेदन के साथ उपाबद्ध है। (यदि नैसर्गिक माता-पिता जीवित न हों तो दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार बाल कल्याण समिति से दत्तकग्रहण की अनुज्ञा से संबंधित दस्तावेज उपाबद्ध किए जाएंगे।)

8. जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं है।

या

जिस बालक के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस बालक ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह आवेदकों को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छुक है।

9. नैसर्गिक माता-पिता से आवेदकों द्वारा बालक का दत्तकग्रहण उस बालक के सर्वोपरि कल्याण के लिए होगा और आवेदक बालक के साथ अपने बालक की भांति व्यवहार करेंगे सभी अधिकारो और दायित्वो सहित ।

10. दत्तकग्रहण के लिए न तो आवेदकों ने कोई संदाय या प्रतिफल दिया है या देने के लिए सहमति प्रदान की है और न ही नैसर्गिक माता-पिता या संरक्षकों ने कोई संदाय या प्रतिफल प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान की है।

11. प्रस्तावित दत्तकग्रहण मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61(1) में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।

12. बालक अथवा बालकों को में देने और लेने वालों का बालक अथवा बालकों के हित के प्रतिकूल कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं है।

13. बालक सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में निवास करता है और इसलिए मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

14. आवेदक(कों) ने उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए किसी देश के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के किसी अन्य कार्यालय में कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया है।

15. प्राप्तकर्ता देश से अनुज्ञा (हेग दत्तकग्रहण अभिसमय का अनुच्छेद 5 अथवा 17) पहले ही आवेदन के साथ संलग्न कर दी गई है।

16. केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने पहले ही .... को पूर्व-अनुमोदन पत्र (प्रति संलग्न) जारी कर दिया है।

17. आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

18. अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:

क) आवेदकों को उक्त बालक दत्तकग्रहण में देने और आवेदकों को विधि द्वारा अनुमेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।

ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को कृपया विनियमों के विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच कार्यदिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का निदेश देने की कृपा करें।

ग) संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) को दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 19(4) और 42 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से दस दिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के पासपोर्ट जारी करने का निदेश देने की कृपा करें।

सत्यापन

मैं या हम, श्री/श्रीमती ...., शपथपूर्वक यह कथन तथा सत्यनिष्ठा से यह प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन की अंतर्वस्तु मेरी या हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

भावी माता-पिता

नाम **हस्ताक्षर**

जैविक माता-पिता का फोटो	बालक का फोटो	भावी माता-पिता का फोटो

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियमों की अनुसूची 6 और 9 में यथाउपबंधित उपाबद्ध किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट को अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी
(नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित,
स्थान और तारीख)

अनुसूची 32

[धारा 39(1), 56(1) और विनियम 55(7) और 59(5) देखें]

सौतेले और जैविक माता व पिता द्वारा बालक/ बालकों के दत्तकग्रहण के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला मॉडल आवेदन

[जैविक और सौतेले माता अथवाव पिता द्वारा फाइल किया जाए]

1. आवेदन संख्या ____ / वर्ष
2. भावी दत्तक माता-पिता की अभिहित पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संख्या:
3. जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:
4. दत्तकग्रहण विनियम के विनियम 55 और 59(5) के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(1), 39(1) और 57(5) के अधीन .... नामक बालक (बालक या बालिका या अन्य, जन्मतिथि ....) के दत्तकग्रहण के मामले में आवेदन

भावी दत्तक माता-पिता (आवेदकगण)

श्री …………………….. सुपुत्र ………………………….., आयु लगभग …………………. वर्ष, नागरिक ………………….., व्यवसाय………………. स्थायी निवास स्थान का पता ……………………………..:

श्रीमती ……………………… पत्नी ……………………….., आयु लगभग ……………. वर्ष, नागरिक ………………, व्यवसाय: ……………….., स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….

नैसर्गिक अथवा जैविक माता-पिता (आवेदकगण)

श्री …………………….. सुपुत्र ………………………….., आयु लगभग …………………. वर्ष, नागरिक ………………….., व्यवसाय………………. स्थायी निवास स्थान का पता ……………………………..:

श्रीमती ……………………… पत्नी ……………………….., आयु लगभग ……………. वर्ष, नागरिक ………………, व्यवसाय: ……………….., स्थायी निवास स्थान का पता …………………………….

[जो लागू न हो, उसे काट दें]

आवेदक, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सविनय निवेदन करते हैं, जो इस प्रकार है:-

1. आवेदक अनुसूची 20 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार बालक अथवा बालकों के जैविक माता-पिता या सौतेले माता-पिता (जैविक माता-पिता के/की विधिक रूप से विवाहित पति/पत्नी) हैं।
2. आवेदक …………………के निवासी हैं।
3. ……………. बालक या बालकों, ____ (बालक या बालिका या अन्य) और जन्म की तारीख ……………………… को नैसर्गिक माता-पिता (जैविक माता-पिता) ………………………………….. और …………………… ने ………………. को जन्म दिया था और वे ……………. के निवासी हैं।
4. जैविक माता-पिता, बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले पति/पत्नी (आवेदक) को, उससे विधिकरूप से विवाह कर लेने के कारण और वह बालक (बालकों) का दत्तकग्रहण करना चाहता/चाहती है, विधिक संबंध को साझा करने के इच्छुक हैं।
5. दूसरे जैविक माता/पिता की सहमति प्राप्त कर ली गई है या दूसरे जैविक माता/पिता की मृत्यु हो गई है। (जो लागू न हो उसे काट दें)
6. जैविक माता-पिता और बालक या बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता-पिता यह समझते हैं कि बालक या बालकों के दत्तकग्रहण से उनके साथ माता-पिता-बालक का स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा।
7. दत्तकग्रहण विनियम की अनुसूची 20 में दत्तकग्रहण के लिए यथा अपेक्षित सहमति (सहमतियां) इस आवेदन के साथ उपाबद्ध है(हैं)।
8. जिस (जिन) बालक (बालकों) के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, वह अवयस्क है (पांच वर्ष से कम आयु), जो कि अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं है।

   या

   जिस (जिन) बालक (बालकों) के दत्तकग्रहण का प्रस्ताव है, उस (उन) बालक (बालकों) ने उक्त दत्तकग्रहण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह (वे) आवेदकों को माता-पिता के रूप में स्वीकारने को इच्छुक है (हैं)।
9. प्रस्तावित दत्तकग्रहण के लिए किशोर न्याय अधिनियम (2016 का 2) की धारा 61(1) में अधिकथित शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।

10. देश के भीतर या विदेश में किसी भी न्यायालय में उक्त बालक या बालकों की अभिरक्षा के लिए कोई मुकदमा नहीं है।

11. आवेदक(कों) ने उक्त बालक के दत्तकग्रहण के लिए किसी देश के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के किसी अन्य कार्यालय में कोई अन्य आवेदन फाइल नहीं किया है।

12. आवेदक यह समझते हैं कि दत्तकग्रहण किया जाने वाला बालक जैविक बालक से जुड़े सभी अधिकारों, सुविधाओं और जिम्मेदारियों के साथ आवेदकों का विधिमान्य बालक बन जाएगा।

13. बालक सामान्यतः जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में निवास करता है और इसलिए मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के उपबंधों के अनुसार दत्तकग्रहण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

14. **अतः, आवेदक(कों) का निवेदन है कि:**

क) उक्त बालक अथवा बालकों के पिता अथवा माता का विधिक संबंध, बालक अथवा बालकों का दत्तकग्रहण करने वाले सौतेले माता- पिता के साथ-साथ जैविक माता अथवा पिता (आवेदक) को हस्तांतरित कर दिया जाए - उन्हें विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिए उक्त अवयस्क का माता-पिता घोषित करने की कृपा करें।

ख) जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकरण (नाम व पता) को कृपया दत्तकग्रहण विनियमों के विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार आवेदन की तारीख से पांच दिवसों में उक्त बालक अथवा बालकों का/के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने या संशोधित करने का निदेश देने की कृपा करें।

आवेदक

स्थान:

तारीख:

जैविक माता या पिता अथवा दोनों, जैसा भी मामला हो, का फोटो	बालक का फोटो	दत्तक माता या पिता अथवा दोनों, जैसा भी मामला हो, का फोटो

सत्यापन

मैं या हम, श्री या श्रीमती ...., शपथपूर्वक यह कथन तथा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता /करती हूँ अथवा करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य मेरी या हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इस आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी तथा दस्तावेज वास्तविक हैं।

भावी दत्तक माता पिता (जैविक माता-पिता और सौतेले माता-पिता)	
नाम	**हस्ताक्षर**

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	दत्तकग्रहण विनियम की अनुसूची 6 और 9 के उपबंधों के अनुसार उपाबद्ध किए जाने वाले दस्तावेज	संदर्भ	पृष्ठ सं.

आवेदन की संवीक्षा कर ली गई है और जिला मजिस्ट्रेट के परिशीलन के लिए प्रस्तुत है।

जिला बालक संरक्षण अधिकारी
(नाम और हस्ताक्षर, मुहर सहित,
स्थान और तारीख)

*****

अनुसूची 33

[विनियम 36(2) देखें]

दत्तकग्रहण आदेश का प्रारूप

जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय

ज़िला: राज्य:

_______ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष।

दत्तकग्रहण आवेदन सं .... वर्ष………..

अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या:

दत्तकग्रहण आदेश का प्रकार (कृपया √ का चिह्न लगाएं)

1.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 10, 11, 12 और 13 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(1), 58 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण	☐
2.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(4), 59 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	☐
3.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52), 56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश के भीतर दत्तकग्रहण	☐
4.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 56, 57, 58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52), 60 और 61 के अधीन नातेदार (परिवारिक अथवा सौतेले) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	☐

5.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 39(1), 56(1) और 57(5) और 61 के अधीन सौतेले बालक का देश के भीतर दत्तकग्रहण	☐

भाग 1

क) आवेदक/आवेदकों का नाम और पता [भावी दत्तक माता-पिता]:

ख) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में नियुक्त मुख्तारनामा धारक (यदि लागू हो तो):

ग) मान्यताप्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का नाम और पता (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में लागू नहीं):

घ) बालक देखरेख संस्था का नाम और पता, यदि यह मान्यताप्राप्त विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से संबद्ध है (जहां कहीं भी लागू हो):

ङ) नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में जैविक माता-पिता का नाम, (यदि लागू हो):

च) जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:

छ) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण:

ज) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में, प्राधिकृत दत्तकग्रहण विदेशी अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग अथवा भारतीय मिशन का नाम और पता:

भाग 2

क) यह कि विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण .... द्वारा जिला बालक संरक्षण ईकाई............. के माध्यम से .... को दत्तकग्रहण का आवेदन फाइल किया गया है और दत्तकग्रहण विनियम की अनुसूची 6 के साथ पठित अनुसूची 9 में यथा उपबंधित जाँच सूची में नियत दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है। [नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में, आवेदन सीधे जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाए]

ख) यह कि आवेदकगण ने बालक को एक नया नाम देने के लिए एक शपथपत्र दायर किया है और सुझाया गया नाम ------------- है तथा तदनुसार बालक को .... नाम के बजाय .... से जाना जाएगा। (यदि लागू हो)

ग) यह कि दत्तकग्रहण की प्रक्रिया अब सभी प्रकार से पूर्ण हो गई है और तदनुसार मैं, ... भावी दत्तक माता-पिता, जिनका रजिस्ट्रीकरण संख्या .... है, के साथ बालक .... (लड़का या लड़की या अन्य), जन्म तिथि .... (बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रुप से स्वतंत्र होना प्रमाणित किया गया) के दत्तक ग्रहण की अनुमति देता हूँ:

(i) भावी दत्तक माता-पिता अर्थात् --------------------- दत्तकग्रहण के लिए पात्र और उपयुक्त पाए गए हैं [देश के भीतर दत्तकग्रहण के मामले में दत्तकग्रहण समिति के कार्यवृत्त या अनिवासी भारतीय अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक अथवा विदेशी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामले में केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी निराक्षेप प्रमाणपत्र के आधार पर] ;

(ii) बालक की इच्छा पर सम्यक रूप से विचार किया गया है। (पांच वर्ष से अधिक आयु के बालक के मामले में);

(iii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 में यथाउपबंधित सम्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

(iv) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 63 के अनुसार, ... नाम के बालक, जन्मतिथि .... जिसके संबंध में आज दिनांक .... को एक दत्तकग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तकग्रहण आदेश के प्रभावी होने की तारीख से निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार दत्तक माता-पिता……………………., की संतान बन जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के माता-पिता बन जाएंगे जैसे कि बालक का जन्म दत्तक माता-पिता से हुआ हो और इसी तारीख से बालक के जन्म लेने वाले परिवार के साथ बालक के सभी संबंध समाप्त माने जाएंगे और दत्तकग्रहण आदेश द्वारा दत्तकग्रहण परिवार में सृजित संबंधों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(v) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (1869 का 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार को, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तकग्रहण आदेश में उल्लिखित दत्तक माता-पिता का नाम और बालक की जन्म तिथि को समाविष्ट करते हुए विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी या दत्तक माता-पिता द्वारा फाइल आवेदन पर दत्तक बालक के पक्ष में पांच दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निदेश दिया जाता है।

(vi) यदि बालक अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक है, तो विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रास्थिति अद्यतन की जाए, जबकि अन्य सभी मामलों में आदेश को संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अपलोड किया जाएगा।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट का नाम

तारीख:

कार्यालय का पता और मुहर

प्रति प्रेषित – सभी संबंधित व्यक्ति

[रिश्तेदार द्वारा दत्तकग्रहण या सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तकग्रहण के मामले में, आवेदन केवल जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा फाइल किया जाएगा और दत्तकग्रहण आदेश को तद्नुसार संशोधित किया जा सकेगा।]

अनुसूची 34

[विनियम 36(10) देखें]

दत्तकग्रहण विघटन आदेश का प्रारूप

जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय

ज़िला: राज्य:

______ जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष।

दत्तकग्रहण आवेदन पत्र सं ....वर्ष

अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या:

दत्तकग्रहण आदेश का प्रकार (कृपया √ का चिह्न लगाएं)

1.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 10, 11, 12 और 13 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(1), 58 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण	☐
2.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(4), 59 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	☐
3.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52), 56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश के भीतर दत्तकग्रहण	☐

4.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 56, 57, 58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52), 60 और 61 के अधीन नातेदार (परिवारिक अथवा सौतेले) द्वारा अंतर-देशीय दत्तकग्रहण	☐
5.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(1), 39(1) और 57(5) और 61 के अधीन सौतेले बालक का देश के भीतर दत्तकग्रहण	☐

भाग 1

क) आवेदक/आवेदकों का नाम और पता [भावी दत्तक माता-पिता]:

ख) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में नियुक्त मुख्तारनामा धारक (यदि लागू हो तो):

ग) मान्यताप्राप्त विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का नाम और पता (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में लागू नहीं):

घ) बालक देखरेख संस्था का नाम और पता, यदि यह विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से संबद्ध है (जहां कहीं भी लागू):

ङ) नातेदार या सौतेले बालक के दत्तकग्रहण के मामले में जैविक माता-पिता का नाम और पता (यदि लागू हो):

च) जिला बालक संरक्षण इकाई का नाम और पता:

छ) राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण:

ज) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण के मामले में, प्राधिकृत दत्तकग्रहण विदेशी अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग अथवा भारतीय मिशन का नाम और पता:

भाग 2

क) दत्तक माता-पिता .... ने .... तारीख के दत्तकग्रहण आदेश के तहत ....(विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण या बालक के अनाथ, परित्यकत और अभ्यर्पित बालक होने के मामले में बालक देखरेख संस्था का नाम) के माध्यम से बालक .... (नाम), ... (लड़का या लड़की या अन्य), ... (जन्म तिथि) का दत्तकग्रहण किया था और .... को एक दत्तकग्रहण समापन आवेदन फाइल किया है।

ख) दत्तक माता-पिता को ---- और ------ को परामर्श दिया गया है और वे अपने दत्तकग्रहण-विघटन आवेदन के संदर्भ में मेरे समक्ष पेश हुए।

ग) विघटन के कारण यह तथ्य हैं कि ....
....
....
....

घ) मैं, ... तारीख को जारी किए गए दत्तकग्रहण आदेश को समाप्त करता हूँ क्योंकि दत्तक संबंध अब बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है और दत्तक माता-पिता और बालक भली-भांति सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं।

ङ) भावी दत्तक माता-पिता श्री -------- और श्रीमती -------- को निम्न कारणों से किसी अन्य बालक का दत्तकग्रहण करने की अनुशंसा नहीं की जाती है:..
....
....
....

च) यदि बालक अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक है, तो आवश्यक परामर्श के बाद तीन दिन की अवधि के भीतर विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रास्थिति अद्यतन की जाए। [अन्य सभी मामलों में आदेश को संबंधित जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अपलोड किया जाएगा।]

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट का नाम

तारीख:

कार्यालय का पता और मुहर

संपर्क सं. -

प्रति प्रेषित – सभी संबंधित व्यक्ति

*****

अनुसूची 35

[विनियम 67(1), 67(2) और 69(4) देखें]

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन संपन्न दत्तकग्रहण के मामले में सत्यापन प्रमाणपत्र

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय

जिला: राज्य:

विषय: हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन………. नामक बालक, लिंग ………….. (पुरुष या स्त्री या अन्य), जन्मतिथि .... के अंतर-देशीय दत्तकग्रहणों के लिए विनियम के अधीन अपेक्षित सत्यापन प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत दत्तकग्रहण विलेख के अनुसार, ..., जो……………. अभ्यस्त निवासी हैं ने……….. नामक बालक को जैविक माता-पिता या संरक्षक……………………… निवासी …………….. से दत्तक लिया है।

2. पक्षकारों और साक्षियों की परीक्षा के पश्चात, मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

क) दत्तकग्रहण विलेख में अभिलिखित दत्तकग्रहण बालक के स्रोत, पात्रता और दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता सहित हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम,1956 (1956 का 78) के उपबंधों के अनुसार ही किया गया है।

ख) बालक के दत्तकग्रहण के समय दत्तक बालक या जैविक माता-पिता पर कोई दबाव नहीं था।

ग) दत्तकग्रहण सभी संबंधित पक्षकारों की आपसी सहमति से संपन्न हुआ।

घ) दत्तकग्रहण की प्रक्रिया में कोई मौद्रिक प्रतिफल शामिल नहीं है और दत्तकग्रहण, बालक के सर्वोत्तम हित में है।

3. मैने दत्तक के समर्थन की सूचना को सत्यापित कर लिया है और दत्तकग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाही के लिए केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण को अनुशंसा करता हूं।

जिला मजिस्टेट का नाम

मुहर सहित कार्यालय का पता

संपर्क सं.

निदेशक (कार्यक्रम)

केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

वेस्ट ब्लॉक-8, आरके पुरम, नई दिल्ली- 110066

सूचनार्थ प्रेषित:

1. जन्म और मृत्यु के जिला रजिस्ट्रार
2. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण
3. जिला बालक संरक्षण इकाई

अनुसूची 36

[विनियम 68(5) तथा 69(4) देखें]

हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78) के अधीन परिवार की पृष्ठभूमि रिपोर्ट

हिंदू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम,1956 के अधीन किए गए दत्तकग्रहण के सत्यापन के लिए जिला मजिस्टेट के लिए जांच सूची (कृपया नीचे दिए गए बॉक्स पर √ चिह्न लगाएं)

1. **जैविक माता-पिता हिंदू हैं (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अनुसार):** ☐
2. **दत्तक माता-पिता हिंदू हैं (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अनुसार):** ☐
3. **दत्तक पुरुष हिंदू की पात्रता (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार):** ☐

क) स्वस्थचित्त है।

ख) अवयस्क नहीं है।

ग) किसी पुत्र या पुत्री का दत्तकग्रहण करने के लिए सक्षम है।

घ) अपनी पत्नी की सहमति ले चुका है (जब तक पत्नी ने पूर्णतया और अंतिम रूप से संसार का परित्याग न किया हो या वह अब हिंदू नहीं रही हो या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसे विकृतचित घोषित किया गया हों)।

4. दत्तक स्त्री हिंदू की पात्रता (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार):

क) स्वस्थचित्त है।

ख) अवयस्क नहीं है।

ग) किसी पुत्र या पुत्री का दत्तकग्रहण करने के लिए सक्षम है।

घ) अविवाहित है या यदि विवाहित है, उसका विवाह-विच्छेद हो गया है या उसके पति की मृत्यु हो गई है या पति पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुका हो या सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो, किसी पुत्र या पुत्री का दत्तकग्रहण करने के लिए सक्षम हो।

5. हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के अधीन दत्तकग्रहण में देने में सक्षम (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार):

क) **पिता**, माता की सहमति से, जब तक कि माता पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो या हिंदू न रह गई हो या सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित न कर दिया गया हो।

ख) **माता** यदि पिता की मृत्यु हो गई हो या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुका हो या हिंदू न रह गया हो या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित कर दिया गया हो।

ग) बालक के संरक्षक को बालक को दत्तक देने का अधिकार होगा।

6. दत्तकग्रहण के लिए बालक की पात्रता (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अनुसार):

क) वह एक हिंदू है;

ख) वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका है या ली जा चुकी है;

ग) उसका विवाह नहीं हुआ है, तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो;

घ) उसने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होंने पंद्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।

7. विधिमान्य दत्तकग्रहण की अन्य शर्तें (हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अनुसार):

क) यदि पुत्र का दत्तक है, तो दत्तकग्रहण करने वाले पिता या माता, जिनके द्वारा दत्तकग्रहण किया जाए, का कोई हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र नहीं होना चाहिए (चाहे धर्मज-रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तकग्रहण के समय न हो।

ख) यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तकग्रहण करने वाले पिता या माता, जिसके द्वारा दत्तक ग्रहण किया जाए, की कोई हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री (चाहे धर्मज-रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) न हो।

ग) यदि दत्तकग्रहण किसी पुरूष द्वारा किया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति स्त्री है, तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ा हो।

घ) यदि दत्तकग्रहण किसी स्त्री द्वारा किया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है, तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी हो।

ङ) वही बालक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक नहीं लिया गया हो।

च) दत्तक किये जाने वाले बालक को वास्तव में संबंधित माता पिता या संरक्षक द्वारा उनके प्राधिकार के अधीन, बालक को उसके जन्म के परिवार से अंतरण करने के आशय के साथ, दत्तक लिया और दिया गया हो।

हस्ताक्षर

तारीख

जिला मजिस्टेट का नाम

मुहर सहित कार्यालय का पता

संपर्क नं.

[फा. सं. सीडब्ल्यू-II-26/37/2021- सीडब्ल्यू-II]

तृप्ति गुरहा, संयुक्त सचिव